राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का २४ वां दिवस [संख्या १८

बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. २.३५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, यातायात, चिकित्सा, सार्वजनिक सम्पर्क, सार्वजनिक निर्माण, न्याय, जेल, यातायात, गृह एवं पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

मृत्यु का कारण

६३०. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६०–६१ में श्री शिवजीसिंह पुत्र श्री बाघसिंह राजपूत, सा० सुन्दरियावास, जिला जयपुर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर को एक आवेदन-पत्र दिया था जिसमें यह लिखा था कि उसको तत्कालीन एस० पी० श्री शीशराम ने जान से मारने की धमकी दी है ? यदि हाँ तो एप्लीकेशन की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त श्री शिवजीसिंह फरवरी सन् १९६२ में पुलिस एनकाउन्टर में श्री भंवरसिंह व श्री आनन्द सिंह डाकुओं के साथ सुन्दरियावास के जंगल में मारा गया था ?

(३) यह क्या सही है कि उपरोक्त मृतक डाकुओं का पोस्टमॉर्टम कराया गया था ? यदि हाँ, तो Cause of death, weapon used and the distance from which it was used के सम्बन्ध में मेडिकल जूरिस्ट ने क्या लिखा है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) उपलब्ध रेकॉर्ड से ऐसा कोई आवेदन आना प्रतीत नहीं होता ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, पोस्टमॉर्टम कराया गया था । मृत्यु गोली लगने के कारण हुई बतलाई गई । फासला उक्त रिपोर्ट में दर्ज नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का आवेदन पत्र माननीय गृह मन्त्रीजी के पास भी किया गया था जिसके बारे में उन्होंने इस सदन में हां भी भरी थी ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : क्या फरमाया मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न दोहराइये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के आवेदन के सम्बन्ध में पिछली विधान सभा में एक प्रश्न भी किया था, जिस सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्रीजी ने हां भी भरी थी; इस प्रकार का पत्र मुझे बताने को कहा था, जिस पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास आज भी मौजूद है?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन पत्र आया या नहीं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि मेरे पास नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वह आवेदन-पत्र पुलिस के पास भेज दिया?

श्री मथुरादास माथुर : जब उसके पास पहुंचा ही नहीं तो भेजने का क्या प्रश्न हुआ?

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से गया या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : जब वह यह कहता है कि मेरे पास पहुंचा ही नहीं तो पुलिस के पास भेजने का प्रश्न ही कहां है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने सदन में किस प्रकार 'हां' भरी?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे जो दिया गया था उसके बारे में हां भरी थी। वे जानते हैं कि किसने दिया, किसने नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

भूमि का अवैधानिक विक्रय

६३१. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका, बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ जनता के एतराज के बावजूद भी बिना एस० डी०ओ०की स्वीकृति हासिल किये नगरपालिका की भूमि का अवैधानिक तरीके से विक्रय कर रहे हैं एवं सस्ती दर से पक्षपात कर अपनी पार्टी के लोगों को इस प्रकार अनुचित फायदा पहुंचाने की कार्यवाही पर तुले हुए हैं?

(२) क्या यह सही है कि हाल ही में कानोड दरवाजे की तरफ हरिजन मोहल्ले के पास भी रामा मेघवाल को ४००) रुपये में एक प्लॉट बिना नीलामी के विक्रय किया है जबकि उक्त प्लॉट के श्री भेरा रेगर ने १६००) रू० देने की दर्ख्वास्त पेश की थी? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लॉट पर कब्जा हाल ही में श्री धूलजी सुनार का है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) अध्यक्ष द्वारा एस० डी० ओ० की वगैर स्वीकृति के पांच आदमियों को जमीनें दी गई हैं।

(२) रामा मेघवाल को ४००) रू० में जमीन दी गई है, जिसकी कीमत करीब १५००), १६००) रू० हो सकती है। परन्तु भेरा रेगर द्वारा दर्ख्वास्त देने सम्बन्धी जानकारी नहीं है।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) कब्जा जाहिर नहीं आया।

श्री शंकरलाल : यह बात बिल्कुल सही है कि भैरा रेगर ने १६००) रु० इस प्लोट की कीमत देने की दरख्वास्त की थी। इसको अगर नीलाम किया जाता है तो आज भी ४,०००),५,०००) रु. का यह प्लॉट है। धूलजी सुनार का कब्जा उस पर है और बाड़ा कर रहे हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री दौलतराम सारण: जहाँ तक कीमत का सवाल है स्वयं ने निवेदन किया कि ४००) रु. में दी गई है जिसकी कीमत १५००) रु० १६००) रु० हो सकती है। जहां तक कब्जे का सवाल है हमारी सूचना के अनुसार किसी ने कब्जा नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : रियायती रेट पर यह जमीन देने का कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : कारण का पता नहीं है। यह मामला प्रश्न आने पर ही हमारे सामने आया है। पूरी तरह से जांच करवाई जायगी; सूचना सदन को प्राप्त होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या हरिजनों को ४००) रू० में प्लॉट दिया जाना गैर-वाजिब है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि वाजिब है या गैर वाजिब है। तथ्य निवेदन कर रहा हूं। अनुपूरक में मैंने निवेदन किया है कि उसकी जानकारी की जायगी कि वस्तु-स्थिति क्या है।

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि धूलजी सुनार ने कब्जा किया है वह गैर वाजिब है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह नहीं कहा कि उसका कब्जा है। मैंने यह कहा कि कब्जा जाहिर नहीं आया।

श्री मुरलीधर व्यास : कब्जा जायज माना है।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न इस प्रकार था, "क्या यह भी सही है कि उक्त प्लॉट पर कब्जा हाल ही में श्री धूलजी सुनार का है ? यदि हां, तो क्यों ?" इसके उत्तर में मैंने कहा कि कब्जा जाहिर नहीं आया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जाहिर नहीं आया का क्या मतलब है ?

श्री दौलतराम सारण : मौके पर नहीं है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या यह सच है कि एस० डी० ओ० के ऑर्डर का पालन नगरपालिका का चेयरमैन नहीं करता ?

श्री दौलतराम सारण: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): क्या यह सच है कि तमाम जमीन हरिजनों को दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी जांच करवायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि सारी जानकारी करेंगे। आपके प्रश्न

Page No 4

(श्री अध्यक्ष)

से सूचना मिली है कि उसकी सारी जानकारी करेंगे।

श्री शंकरलाल : अर्ज करना है कि डेढ़ साल से मामला चल रहा है । इसकी कार्यवाही की गई उसके लिए उसको सस्पेन्ड किया गया । लेकिन उसके बाद उस सस्पेन्शन आॅर्डर को विथड्रा कर लिया गया है । हमारी कोई सुनता नहीं है । क्या हमें इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं कि यदि जांच की रिपोर्ट उनके खिलाफ होगी तो कार्यवाही की जायगी ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जायगी और उसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया ।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के सामान की चोरी

६३२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या राजस्थान स्टेट रोडवेज के स्टोर से गत जनवरी से कुछ सामान चोरी हो गया था ? यदि हां, तो क्या क्या व कितने मूल्य का ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त चोरी का का माल स्टेट रोडवेज की बस नं० ७२२२ के द्वारा ले जाया गया था ?

(३) क्या यह सच है कि मालूम होने पर विभाग की कार द्वारा पीछा किया जाकर सामान को उतारते उतारते पकड़ा गया ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस चोरी में विभाग के किसी बड़े कर्मचारी का हाथ था ?

(५) क्या यह भी सच है कि चोरी का माल लेकर जाने वाली बस का पीछा करने वाली विभाग की कार पुल से टकरा दी गई जिससे कार को काफी नुकसान हुआ था ?

(६) क्या इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो अब इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं । अगस्त १९६२ में कुछ सामान में कमी होने की सूचना कार्यालय को मिली । इसकी सूची मय कीमत के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं । बस नं० ७२४१ थी ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी हां । मामूली नुकसान हुआ ।

(६) जी नहीं । अपराधी विभागीय कर्मचारी है । उसे मुअत्तिल कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जयनारायण सालोदिया : जैसा आपने फर्माया, सूची मुझे तो मिली नहीं है । कितने का नुकसान हुआ है, क्या चोरी हुई है, मुझे सूचना नहीं मिली जिससे सप्लीमेन्ट्री कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष श्री : श्रवणलाल ।

नवलगढ़ अस्पताल के डॉक्टर

६३३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरकारी अस्पताल नवलगढ़ के डॉ. श्री कमलनारायण ने अस्पताल की वार्ड मेड श्रीमती पतासी तथा अन्य फोर्थ क्लॉस सर्वेन्ट्स के साथ ६ जुलाई, सन् १९६२ के दिन मारपीट की ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि डी० एम० एच० ओ०, सीकर ने इस सम्बन्ध की जांच की है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि इस मारपीट का कारण डॉक्टर का किसी सबोर्डिनेट से अनुचित सम्बन्ध होना बताया ? यदि हाँ, तो डॉक्टर के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । जांच करने पर यह बात गलत पाई गई ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने बताया कि मारपीट नहीं हुई ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष ७–४–६२ को डी. एम. एच. ओ. ने डॉक्टर शाह को इन्क्वायरी करने के लिए अपोइन्ट किया । उन्होंने इन्क्वायरी की और कहा कि मारपीट नहीं हुई, ऐसा वाकया नहीं हुआ । उसके बाद पुलिस को कहा गया इन्क्वायरी करने के लिए । पुलिस इन्सपेक्टर ने जांच की और कहा कि ऐसा वाकया नहीं हुआ । उसके बाद डॉक्टर बी. एम. शर्मा ने, जो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर थे, २५-८-६२ को जानकारी की और वे भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा वाकया नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो डॉक्टर शाह ने रिपोर्ट दी है, तो प्रश्न २ के सम्बन्ध में आपने ना कहा है, उस सम्बन्ध में उन्होंने हां लिखा है और कहा है कि इनके नाजायज सम्बन्ध थे ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मुझे इन्फोर्मेशन दी गई है, जैसा शाह की रिपोर्ट में कहा गया है, ऐसा वाकया नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि डी. एम. एच. ओ. ने जांच की थी ?

श्री बरकतुल्ला खां : उन्होंने डॉक्टर शाह को अपोइन्ट किया था ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने पर्सनली जांच की थी या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : डी. एम. एच. ओ. ने शाह से जांच करवाई, उसके बाद पुलिस से जांच करवायी ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने खुद ने जांच की, उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि मारपीट की घटना नहीं हुई ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने इन्क्वायरी नहीं की, उन्होंने इन्क्वायरी करवाई ।

Page No 6

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिनके साथ मारपीट हुई, क्या उन्होंने शिकायत की थी कि उनके साथ मारपीट हुई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वहां के सरपंच के द्वारा शिकायत होने पर तीन दफा जांच कराई गई।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिल खां।

'अदल' वीकली को सरकारी विज्ञापन

६३४. **श्री मजलिस खां** (कामा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि 'अदल' वीकली, जोधपुर अल्प संख्यकों का एकमात्र अखबार है ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह अखबार दो साल से भी अधिक अर्से से चल रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस अखबार को सरकारी विज्ञापन मिलने के लिये कई बार फॉर्म भर कर पेश किये गये हैं ?

(४) यदि हां, तो इस पत्र को सरकारी विज्ञापन न दिये जाने का कारण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) हां।

(२) हां, परन्तु बीच में यह पत्र अनियमित हो गया था।

(३) हां।

(४) पत्र ने सरकारी विज्ञापनों की सूची पर लेने के लिए निर्धारित नियमों की पूर्ति नहीं की है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कौनसे फार्म की पूर्ति नहीं की।

श्री माथुरदास माथुर : प्रेस रजिस्ट्रार से डिक्लेरेशन लेना पड़ता है, वह उन्होंने आज तक पेश नहीं किया। अब नये नियम बन गये हैं, उनके अनुसार नम्बर ऑफ रिक्वीजिट कॉपीज़ का सेल होना चाहिए; उसके लिए सर्टीफिकेट प्रेस रजिस्ट्रार से लेना चाहिए, वह पेश नहीं हुआ है। इनको एप्रूवल लेनी पड़ेगी उसके बाद विज्ञापन की लिस्ट पर आयेगा।

श्री अध्यक्ष:श्री विरदाराम फुलवारिया।

जालोर-उम्मेदाबाद तथा उम्मेदाबाद-गुढ़ा मालानी सड़क

६३५. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालोर से उम्मेदाबाद तक की सड़क निर्माण का ठेका राज्य सरकार द्वारा कब दिया गया था ? अब इस कार्य के पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा ?

(२) क्या सरकार उम्मेदाबाद से सायला होती हुई गुढ़ा मालानी तक की सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लेना चाहती है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश चन्द्र) : (१) उपरोक्त कार्य का ठेका नम्बर, १९५८ में दिया गया था, इसको पूर्ण होने में लगभग १ वर्ष लगने की सम्भावना है।

(२) जी हां। सर्वे कराया जा रहा है। अर्थाभाव के कारण निश्चित कहना मुश्किल है।

श्री विरदा राम : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क उदयपुर से सीधी बाड़मेर तक मिल सकती है। यह सड़क उदयपुर से बाड़मेर मिले, यह जरूरी है।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बीस मील की लम्बी सड़क है जिसमें १४ मील तक काम कम्प्लीट हो गया था। छः मील के अन्दर अलाइनमेन्ट में कोई डिफेक्ट था। री-अलाइनमेंट कराया गया, तो उसकी लैंथ साढ़े छः, सात मील हो गई है। इस वास्ते इसका री-एस्टीमेट करवा कर मंगवाया गया है, ताकि काम शुरू कर दें।

श्री बिरदाराम : अब एस्टीमेट बढ़ गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यही कहा।

श्री बिरदाराम : 'उम्मेदाबाद से गुढ़ा मालानी और गुढ़ा मालानी से बाड़मेर, यह लिखा है। उदयपुर से गुढ़ा मालानी तक कैसे जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसी सड़क के लिए फर्माया। एक मैंने बताई है, यह दूसरी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) उम्मेदाबाद से गुढ़ामालानी और गुढ़ामालानी से बाड़मेर।

श्री हरिशचन्द्र : उम्मेदाबाद से सायला होती हुई; उसके लिए मैंने अर्ज किया है कि सर्वे और एस्टीमेट कराया जा रहा है। पैसा उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

कुचामन अस्पताल में बिजली

६३६. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मेडिकल विभाग ने कुचामन अस्पताल में बिजली व्यवस्था हेतु मार्च, १९६२ में ४,०५०) रु. जमा करा दिए परन्तु बिजली अभी तक नहीं मिली ? यदि हाँ, तो इस कार्य में विलम्ब का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : जी हाँ। चूंकि अस्पताल के अधिकारियों ने अभी तक इन्टर्नल फिटिंग एवं फॉर्म को पूरा नहीं करवाया है, अतः देरी हो रही है, इस देरी में बोर्ड उत्तरदायी नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री परसराम मदेरणा : फोर्मेलिटीज पूरी करना, फॉर्म को पूरा करना और टेस्टिंग रिपोर्ट को पेश करना होता है, यह होस्पिटल के अधिकारियों ने नहीं करवाई है; इसलिए इन फोर्मेलिटीज़ के पूरा किये बिना लाइन नहीं दी जा सकती।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जब आप फोर्मेलिटीज़ पूरी करवा देंगे।

श्री हनुमान सिंह चौधरी : क्या कमी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि फोर्मेलिटीज कन्ज्यूमर को पूरी करनी पड़ती हैं। एल फोर्म और टेस्टिंग रिपोर्ट कान्ट्रेक्टर के थ्रू करवाये तो बोर्ड सर्विस लाइन से उनको कनेक्शन देगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : एल फॉर्म कम्प्लीट करके भेज दिया है आपके डिपार्टमेंट में।

Page No 8

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर का होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मुरलीधर व्यास: प्रश्न संख्या ६३७।

नगर विकास निगम द्वारा प्लॉट्स की नीलामी

६३७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत)[श्री मुरलीधर व्यास(बीकानेर)द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) नगर विकास निगम, बीकानेर ने इस वर्ष में अब तक कितने प्लॉट बेचे व नीलाम किए हैं ?

(२) इस निगम में नागरिकों के कितने प्रार्थना-पत्र जमीन खरीदने हेतु अब तक विचाराधीन पड़े हैं ?

(३) क्या इस निगम द्वारा हरिजनों एवं अनुसूचित जातियों के आवास के लिये उन्हें न्यूनतम निर्धारित मूल्य (मिनिमम फिक्स्ड प्राइस) पर जमीनें दी जाने के लिए कोई योजना आज तक बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया है, अथवा दिया जा रहा है ?

(४) क्या जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर के नगर विकास निगमों ने हरिजनों एवं अनुसूचित जातियों के आवास के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर जमीन वितरण करने की योजनायें बनाई हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण):(१) नगर विकास निगम, बीकानेर द्वारा ११३ प्लॉट नीलाम से व ४५ प्लॉट नियमित रेट पर इस वर्ष अलॉट किये गये हैं।

(२) २७३ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(३) बीकानेर में जसूसर दरवाजे से बाहर जो योजना बनी है उसी में हरिजनों के लिए कुछ प्लॉट सुरक्षित रखे हैं।

(४) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : अनुसूचित जाति और हरिजनों के लिए कोई विशेष शर्तों पर प्लॉट्स देने की योजना बनाई है या कॉमन शर्तों पर देते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : हरिजनों के लिए निश्चित रेट पर देने की है।

श्री मुरलीधर व्यास : निश्चित क्या रेट्स हैं ?

श्री दौलतराम सारण : नियमित दरें ये हैं, प्रति फुट २५ नया पैसे से लेकर ७५ नये पैसे पर प्लॉट्स दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री मुरलीधर व्यास : ७५ नये पैसे आप फर्मा रहे हैं, जो प्लॉट्स दिये गये हैं उस जगह पर दिये हैं जहां वे वर्षों से रहते थे ···

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये माननीय मंत्री से।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं वही कह रहा हूँ, नये प्लॉट्स दिये जा रहे हैं। जो आम लोगों के लिए हैं वे उनके लिए है या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा योजना बनी है

Page No 9

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि इस प्रकार से विशेष प्लॉट्स बना कर विशेष रियायत के अन्दर प्लॉट्स देने की योजना है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने अर्ज किया, योजना अलग नहीं बनाई गई है। जो योजना है उसमें २७३ प्लॉट्स हैं, यह जसूसर दरवाजे के बाहर की योजना है। इनमें से ५३ हरिजनों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। इनमें से ३३ पर नगरपालिका अपने ढंग से क्वार्टर बनायेगी और २० बाकी पड़े हैं जिनकी रेट २५ नया पैसा है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री कुमारानन्द : प्रश्न संख्या ६३८।

रोडवेज़ कर्मचारियों को रात्रि-भत्ता

६३८ श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) [श्री कुमारानन्द (ब्यावर) द्वारा पूछा गया] क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रोडवेज़ कर्मचारियों के लिये रात्रि-भत्ता मात्र १) रु० प्रति रात्रि के लिये प्रदान किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि रोडवेज कर्मचारियों के राजस्थान से दूसरे प्रदेशों के के बड़े शहरों में जाने पर भी मात्र १) रु० ही रात्रि-भत्ता प्रदान किया जा रहा है जब कि अन्य प्रदेश के कर्मचारियों को राजस्थान की राजधानी में और अन्य हिल स्टेशनों पर आने पर इससे कहीं अधिक रात्रि भत्ता प्रदान किया जाता है ? अगर हां, तो इस फर्क को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि रोडवेज़ कर्मचारियों को अभी अतिरिक्त काम का भत्ता प्रदान नहीं किया जाता और मात्र रु० ८५) मासिक वेतन ड्राइवर तथा रु० ७५) कन्डक्टर आदि को प्रदान किया जाता है ? अगर हां, तो अतिरिक्त काम का भत्ता जो बकाया है उसे दिये जाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए रात्रि-भत्ता निम्न प्रकार से दिया जाता है :

१. देहली—रु० २. ५० नया पैसा

२. आगरा, जयपुर तथा माउन्ट आबू—रुपये १. ५० न. पै.

३. अन्य स्थानों के लिये १ रुपया।

(२) जी नहीं। राजस्थान में भी अन्य प्रदेशों की तरह बड़े शहरों, हिल स्टेशनों तथा राजधानी में रात्रि में भत्ता राज्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक दिया जाता है।

(३) मोटर ट्रान्सपोर्ट एक्ट के तहत में अतिरिक्त काम का भत्ता दिया जायगा—ड्राइवर को ७५-३-१२०-५-१३० के हिसाब से वेतन मिलता है तथा कंडक्टर को ६५-२ ७५-३-६३-४-१०५ बकाया भत्ता देने के लिए सम्बन्धित डिपो मैनेजरों ने बिल बनाकर ट्रेज़री में भेज दिये हैं और बिल पास हो जाने पर पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री कुमारानन्द : मंत्री महोदय ने कहा कि जब दूसरी जगह जाते हैं तो ज्यादा पैसा दिया जाता है। मैं आपसे पूँछना चाहता हूं कि जब दूसरी जगह जाते हैं

Page No 10

(श्री कुमारानंद)
तो आप उनको किस हिसाब से देते हैं और क्यों देते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब वे बाहर जाते हैं तो वहीं पर ठहरते हैं और ड्राइवर गाड़ी की लुक आफ्टर करते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : एयर कन्डीशन के ड्राइवरों को १०) रु० और बस वालों को १.५० नये पैसे दिये जाते हैं ; यह इतना अन्तर क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी करके मैं आपको बता दूंगा।

श्री कुमारानन्द : आप क्यों देते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये, जो इसके लिये एक्ट बना है उस एक्ट की तहत जो सुविधा उनको है वह मिलेगी।

श्री कुमारानन्द : क्या सुविधाएं हैं; यही तो मैं जानना चाहता हूं, बतावें।

श्री हरिश्चन्द्र : वह तो आप स्वयं एक्ट पढ़ कर जान सकते हैं। यह छपा हुआ है।

श्री अब्दुलजब्बार : एयर कन्डीशन और बस कन्डक्टरों.......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मथुरेशबिहारी।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आपको मजदूरों से हमदर्दी अवश्य है, लेकिन प्रश्न नहीं है।

नेक्स्ट।

पुल बनाने की स्वीकृति

६३६. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बांदीकुई क्षेत्र में बान गंगा नदी व सावां नदी के पुल एवं कालेड़ा व गुल्लाना की सड़क के पुल के बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कार्य न होने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां ! बानगंगा तथा सावां नदी के पुल का कार्य अर्थाभाव के कारण अभी आरंभ नहीं कराया गया है तथा राजगढ़ बांदीकुई वाया बसवा रोड पर बजट प्रावधान के अनुसार कुछ पुलियों का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कालेड़ा व गुल्लाना की सड़क के पुल बनाने के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं किया गया; यह क्यों ? यह तो पिछले वर्ष का था। इसके अलग एस्टीमेट्स तैयार हुए थे और प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी थी।

श्री हरिश्चन्द्र : एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब यह नहीं कि काम शुरू हो जाये। मैंने आपको बताया कि अर्थाभाव के कारण काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या इस साल हो जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर पैसा हमें मिला तो काम जरूर शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : I should be permitted, Mr. Speaker, because he has permitted me.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) Those members who are absent, their questions are generally taken later on if the time remains. That has been the procedure.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): What is the reply of the hon. Minister about the question of Shri Rama Nand Agarwal.

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : This question will be replied on my next turn because I have not received the reply from the High Court so far.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जोधसिंह चौहान।

उदयपुर सर्विस के ठेकेदारों की बकाया

६४१ **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग के उदयपुर सर्किल में किस किस ठेकेदार की कितनी कितनी रकम का भुगतान पिछले तीन वर्षों से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ठेकेदारों की रकमों के भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी नहीं आ पाया है। इसमें काफी सूचना मांगी गई है। मैं समझता हूं कि इसमें काफी समय लगेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : यह प्रश्न कितना पुराना है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह पी. डब्ल्यू. डी. में २० अगस्त को आया है।

श्री अध्यक्ष : इसको अन-स्टार्ड कर देंगे। आप इसकी सूचना भेज दें। अगर आपको जल्दी हो तो आप स्वयं इनसे पूछ लें, इसमें कोई बात नहीं है।

बीकानेर अस्पताल में कमियां

६४२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) मेडीकल कॉलिज, बीकानेर के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये मेडीकल कौंसिल ऑफ इंडिया के स्टेन्डर्ड के अनुसार बीकानेर ग्रूप ओफ होस्पिटल्स में किन रोगों के उपचार हेतु रोग शैयाओं की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है ?

(२) उपरोक्त कौंसिल के माप-दंडों के अनुसार बीकानेर के होस्पिटल में अन्य क्या क्या कमियां हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये सरकार कब व क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (बरकतुल्लाखां) : (१) कोई कमी नहीं है।

(२) कोई विशेष कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No 12

विचाराधीन मामले

६४३. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बयाना में इस समय कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(२) ये विचाराधीन मामले कितने समय से चले आ रहे हैं ?

(३) इतने केसेज पेंडिंग में रहने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीपरसराम मदेरणा): मुंसिफ मजिस्ट्रेट बयाना की अदालत में दिनांक १–६–६३ को २६० केसेज़ सिविल तथा ४११ केसेज़ क्रिमिनल के विचाराधीन थे।

(२) इन पेन्डिग केसेज का व्योरा इस प्रकार है—

	एक वर्ष के नीचे के केसेज़	एक वर्ष से अधिक किन्तु ३ से कम के केसेज़	तीन वर्ष से ऊपर के केसेज़	योग
सिविल	२०३	८३	४	२६०
क्रिमिनल	३३५	७४	२	४११

(३) दिनांक १–६–६२ से पृथक्करण योजना लागू होने के फलस्वरूप आई. पी. सी. केसेज़ के आ जाने से इतने केसेज पेन्डिग हैं। दिनांक १५–५–६३ से कार्य को शीघ्र कराने हेतु एक अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री रामकिशन : इससे पहले के पुराने केसेज़ पेन्डिग थे, वे सरकार की योजना में नहीं थे। इसके पहले के भी केसेज़ तीन तीन साल से पड़े थे। इसमें लोगों को कितनी तकलीफ होती है इसको देखना है।

श्री परसराम मदेरणा—इन्डिविजुअल केसेज़ में क्यों डिले हुई, यह तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ पर केसेज़ की संख्या करीब ७०० के आस–पास है। जब जुडिशियल का सेपरेशन हुआ तो आई. पी. सी. के केसेज़ होने से ज्यादा दिक्कत हुई है। मैंने आपको बताया है कि तीन साल से ऊपर के केसेज़ ६ हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जुडिशियल सेपरेशन के बाद कितने आई. पी. सी. के केसेज़ एडमिट हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास ५०० केसेज़ का काफी काम है। इसलिये एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है और उनका पोस्टिंग कर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ६४४

श्री अध्यक्ष : गोकुलप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री कुमारानन्द,

लामाणा–लीडी सड़क

३४५. कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या सार्वजनिज निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला अजमेर में लामाणा से

Page No 13

(श्री कुमारानन्द)

लीडी तक सड़क बनाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि लीडी एक अच्छी बस्ती है, जिसके रहनेवाले निवासियों को व्यापार करने हेतु अजमेर आना जाना पड़ता है, जिसके लिये कोई अच्छा रास्ता नहीं है ?

(३) क्या सरकार लामाणा से लीडी तक पक्की सड़क बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हाँ, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को कोई ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) जी हाँ।

(३) जी नहीं। यह सड़क योजना में स्वीकृत नही है।

श्री कुमारानन्द: अध्यक्ष महादेय, पिछले १५ वर्ष से यही सुन रहा हूं कि सरकार के पास कई प्रार्थनापत्र नहीं आया है। इसके लिये कई बार एप्लीकेशन्स दी गई हैं; जब से एम. एल. ए. आया उस विषय में पार्लियामेंट के सदस्य, श्री मुकुटबिहारीलाल भार्गव को भी कम्पलेन्ट किया। मैं समझता हूं कि आप अपने विभाग से इसकी जानकारी करके उत्तर दें।

श्री हरिश्चन्द्र: हमारे विभाग के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह सड़क चार मील लम्बी है। पंचायत समिति देख-भाल करती है कच्ची सड़क के लिये।

श्री कुमारानन्द: Is it not under the roads plan ?

श्री हरिश्चन्द्र: It is not under the plan.

श्री कुमारानन्द: Why it is not under the Roads plan ?

श्री हरिश्चन्द्र: Because it is not sufficiently important.

श्री कुमारानन्द: It is a business centre and you don't consider it as important.

श्री हरिश्चन्द्र : The Hon. Member should know that there are many other roads which should be taken up first. This is a stretch of four miles only which connects only a small village and, therefore, the Government is unable to accept your request.

श्री कुमारानन्द : It is a big town, you call it a small village !

श्री अध्यक्ष : Next, Shri krishna kumar Goyal

कोटा के अस्पतालों में मरीजों की सुविधाएं.

६४६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में स्थित जनाने व मरदाने शफाखानों के कोटेज वार्ड व साइड रूम्स में रेडियो, हीटर व एक्स्ट्रा फेन्स कीं सुविधा मरीजों को दी जाती है ? अगर हाँ, तो अब तक इस संबन्ध में विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(२) क्या यह सत्य है कि माह जून-जुलाई, सन् १९६३ में महाराव भीमसिंह अस्प-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ताल के साइड रूम को एक मरीज के रिश्तेदार को ठहरने के लिये दिया गया, जब कि मरीज जनरल वार्ड में था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल में कई रेफरीजरेटर होते हुए भी ग्रीष्म काल में मरीजों को बर्फ नहीं दिया जाता ?

(४) क्या यह सत्य है कि डॉक्टर मरीज से फीस प्राप्त करने पर उसे रसीद नहीं देते ?

(५) क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल में मरीज को एक्सरे, लेबोरेटरी व इन्डोर एडमिशन की सुविधा बिना पी. एम. ओ. के काउन्टरसाइन के प्राप्त नहीं होती ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हाँ, लेकिन इन सुविधाओं के लिए किसी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ; अतः इस संबन्ध में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

(२) जी नहीं । यह साइड रूम मरीज को ही एलाटड था परन्तु ऑपरेशन के बाद हृदय की गति बन्द होने के कारण खास उपचार के लिए मरीज को जनरल वार्ड में भेज दिया गया था । मरीज का सब सामान व उसके रिश्तेदार वगैरह साइड रूम में ही थे ।

(३) महाराज भीमसिंह अस्पताल, में इस समय दो रेफ्रीजेटर है; उनमें से एक लेबोरेटरी तथा दूसरा ऑपरेशन थिएटर में काम आता है । एक पानी का कुलर अस्पताल के मध्य में लगा हुआ है जहाँ से रोगी अपनी इच्छानुसार हर समय ठण्डा पानी ले सकते हैं ।

(४) ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई ।

(५) पी. एम. एण्ड एच. ओ. कोटा के काउन्टर साइन केवल उसी हालत में आवश्यक हैं जबकि एक्सरे लेबोरेटरी परीक्षा मुफ्त की जानी होती है । वह कार्यवाही महालेखापाल, राजस्थान, जयपुर के निर्देशन के अनुसार की जाती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस प्रकार से कोटेज वार्ड और साइड रूम्स में रेडियो, फैन्स आदि की फेसिलिटी दी जाती है; उसके सम्बन्ध में चार्जेज लेने के नियम नहीं बने हुए हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : नियम बने हुए हैं, अगर रेडियो सैट हंड्रेड वाट तक का लिया जाय तो १० घंटों के लिए ३५ न. पै. लिये जाते हैं, अदर पॉवर एप्लायेन्सेज-हीटर, रेफ्रिजेटर आदि के २ घंटे के १६ न.पै. लिये जाते हैं । फैन्स वगैरह के लिये ऑर्डिनरी करेंट का २५ न. पै. पर ● के हिसाब लिया जाता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि किसी मरीज ने इन फेसिलिटीज को नहीं मांगा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसी कोई इन्फोर्मेशन नहीं है कि मरीजों ने इन जरूरतों को मांगा हो ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं सूचित करना चाहूंगा कि जितने साइड रूम्स हैं, कोटेज वार्ड्स हैं इनको या तो मध्यम वर्ग के लोग या उच्च वर्ग के लोग लेते हैं, हर एक ने हीटर फैन प्राप्त किया है और उनके सारे के सारे चार्जेज अधिकारियों की जेब में गये हैं । आपके यहां से सूचना दी गई है यह सही नहीं है ।

Page No 15

श्री अध्यक्ष : Yes, Shrimti Nagendra Bala.

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या मंत्री महोदय महाराज भीमसिंह होस्टिल और जनाना अस्पताल की जांच करेंगे ? क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला !

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप तो पूछते कहां, बताने लग गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या किसी को फैन्स, रेडियो, हीटर यूज़ करने के लिये इजाजत नहीं दी गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : किसी ने ऑफिशियली एप्लाई नहीं किया है कि वे रेडियो, हीटर, फैन लगाना चाहते हैं । जब एप्लाई ही नहीं किया है तो इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है; अगर ऐसी कार्यवाही हुई है तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानकारी देता हूं कि हर एक ने यूज़ किया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला !

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि किसी एक मरीज़ का नाम दे दें माननीय सदस्य तो मैं जांच करने के लिये तैयार हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अभी-अभी सूचना आई होगी कि एन्टीकरप्शन को मामला दिया गया है, वहां बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री बरकतुल्ला खां : It is an unrelated question altogether, Sir.

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या किसी को एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह सम्बन्धित क्वेश्चन नहीं है। सम्बन्धित प्रश्न यह है कि एक मरीज का नाम बता दें कि उसने हीटर, रेडियो इस्तेमाल किया और चार्जेज़ नहीं दिये, तो मैं जांच कराने के लिये तैयार हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मरीज़ साइड रूम में था और जिसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था; तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की एन्ट्री हॉस्पिटल में मौजूद है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मरीज की हालत खराब हो जाने की वजह से जनरल वार्ड में ले जाया गया, क्योंकि जो इमीजियेट अटेन्शन जनरल वार्ड में दिया जा सकता है वह वहां नहीं दिया जा सकता। पर उस मरीज की फेमिली, सामान सब साइड रूम में रहा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : साइड रूम जब प्रारम्भ में मरीज़ को दिया गया था तो उस मरीज़ की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, पर जो साइड रूम मरीज को दिया गया उसकी एन्ट्री हॉस्पिटल में है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : अगर हॉस्पिटल में एन्ट्री मौजूद नहीं होती तो यहां जवाब कैसे देता ?

Page No 16

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई एन्ट्री नहीं हुई है। वहां कई घोटाले हैं, इसलिए अधिकारियों को मौजूद होना पड़ा है कि वे आपको इस तरह का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक प्रश्न और।

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री विजयसिंह झाला !

एक प्रश्न में १० प्रश्न जोड़ देते हैं और फिर सप्लीमेंटरीज पूछते हैं।

नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला।

पशुओं की चोरी

६४७. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६२–६३ में राजस्थान से कितने पशु चुरा कर पाकिस्तान ले जाये गये और इन पशुओं में से राजस्थान सरकार कितने वापिस मंगा सकी ?

(२) सन् १९६१–६२ की तुलना में सन् १९६२–६३ में पशु अधिक चुराये गये हैं या कम ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) माह अप्रेल सन् ६२ से माह मार्च सन् ६३ तक कुल १,५१२ पशु राजस्थान से चोरी कर पाकिस्तान में ले जाये गये जिनमें से ८०० पशु वापिस प्राप्त किये जा सके हैं।

(२) अधिक।

श्री विजयसिंह झाला : दो का क्या जवाब दिया ?

श्री भीमसिंह : अधिक।

श्री विजयसिंह झाला : अधिक क्या ?

श्री भीमसिंह : आपका प्रश्न है कि १९६१–६२ की तुलना में सन् ६२–६३ में पशु अधिक चुराये गये हैं या कम; इसका जवाब दिया है कि अधिक।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है कि अधिक चोरियां क्यों हुई हैं ? ज्यों ज्यों स्ट्रिक्टनेस बढ़ती रही हैं चोरियां ज्यादा क्यों होती हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह पुलिस की इनएफिशियेन्सी है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इसमें पुलिस की एफिशियेन्सी या इनएफिशियेन्सी का ताल्लुक नहीं। एफिसियेन्सी तो इसमें है कि पुलिस रिकवरी कितनी करती है। ६१-६२ में २५ परसेंट रिकवरी थी, वहां ६२-६३ में ५२ परसेंट रिकवरी है। रिकवरी पुलिस ने कितनी अधिक की है। वह तो समाज का स्टेन्डर्ड है कि चोरियां ज्यादा होती हैं।

श्री विजयसिंह झाला : रिकवरी आप ज्यादा करते है, तो क्या इसका मतलब यह हैं कि चोरियां ज्यादा से ज्यादा हों ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री विजयसिंह झाला : एक बात और बता दें, ६१–६२ में कितने पशु चुराये गये ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह नहीं था कि कितने पशु चुराये गये, आपका तो यह था कि ६१–६२ के मुकाबले में ६२–६३ में अधिक चुराये गये या कम ।

श्री विजयसिंह झाला : यह मैंने पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : किसी प्रश्न का जवाब तो पूरा ... ...

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please ! Next Question.

श्री मुरलीधर व्यास : किसी प्रश्न का समाधान तो होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि समाधान का प्रश्न नहीं। आपने जानकारी चाही, मंत्री महोदय ने वह देदी, तीन-चार सप्लीमेंटरी हो गये।

श्री मुरलीधर व्यास : पर माननीय अध्यक्ष, .. :

श्री अध्यक्ष : Order please ! मेरी सुनिये तो सही माननीय सदस्य। Order please.

श्री मुरलीधर व्यास : जो मैं पूछना हूं वह यह है ...

श्री अध्यक्ष : Order please ! मेरा निवेदन तो सुनिये कि हमेशा इतने प्रश्न रह जाते हैं। माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं। अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं । एक प्रश्न पर दो-चार सप्लीमेंटरीज़ कर लिये।

श्री विजयसिंह झाला : पाकिस्तान से रिकवरी किस आधार पर होती है, यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह समझने की आवश्यकता नहीं, यह बहस नहीं हैं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

डिस्पेन्सरीज़ में दवाइयों पर खर्च

६४८. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) [श्री जोधासिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डिस्पेन्सरीज़ में इन्डोर पेशेन्ट्स के दवाइयों के खर्च का बजट प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना होता है ?

(२) भोपालपुरा डिस्पेन्सरी, उदयपुर कब खुली व अब तक कितने रुपयों का बजट उसे दिया गया है ?

(३) भोपालपुरा में डिस्पेन्सरी में औसतन बीमारों की संख्या कितनी है व प्रति व्यक्ति औषध का क्या खर्चा बैठता है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१)डिस्पेन्सरी में इन्डोर पेशेन्ट्स तथा आउट डोर पेशेन्ट्स पर दवाइयों के खर्च का बजट एक आदमी के हिसाब से नहीं होता है बल्कि वहां रोजानां के औसत पर होता है ।

(२) भोपालपुरा डिस्पेन्सरी, उदयपुर में २५–४–६२ से चालू हुई और अब तक उसके लिये इस तरह मंजूर किया गया है :

सन् १९६१–६२	१३,३६०) रू०
सन् १९६१–६३	४,४६०) रू०
सन् १९६३–६४	६,४५०) रू०
कुल	३४,३५०)रू०

(श्री बरकतुल्ला खां)

(३) भोपालपुरा में डिस्पेन्सरी में रोजाना बीमारों की औसत १६४, ५ है जिसके हिसाब से ३४ न. पै. हर बीमार पर औसतन खर्चा होता है।

श्री जोधसिंह चौहान: क्या यह सही है कि दूसरी डिस्पेन्सरीज़ पर इससे कम और इसमें ज्यादा खर्चा हुआ है ?

श्री बरकतुल्ला खां: सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कृपया वापिस दोहरायें ।

श्री जोधसिंह चौहान: क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में और भी डिस्पेन्सरीज़ हैं उनमें कम खर्चा होता है और भोपालपुरा में डिस्पेन्सरी है उस पर ज्यादा खर्चा होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछने का आपका मतलब क्या है। सारी डिस्पेन्सरियों का तो हिसाब अभी मंत्री महोदय के पास हो नहीं सकता, आपको कोई शिकायत हो तो आप पूछलें ।

श्री जोधसिंह चौहान: दूसरी डिस्पेन्सरीज़ में दवा नहीं मिलती और इसमें मिलती हैं, उदयपुर में डिस्पेन्सरी है उसमें दवाइयां नहीं मिलती हैं ।

श्री बरकतुल्ला खां : दवाइयां नहीं मिलने की तो कोई शिकायत नहीं पहुंची।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

अनूपगढ़-छत्रगढ़ सड़क

६४६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनूपगढ़ से छत्रगढ़ सड़क कहां तक और कितने मील बनी है ? इसका कितना हिस्सा बाकी है तथा यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अनूपगढ़ छत्रगढ़ सड़क पर ०।० से ४।० तक काम चालू है । इसका ३६ मील २ फर्लांग हिस्सा बाकी है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : कब से काम प्रारम्भ हुआ है और किस वर्ष के अन्तर्गत इसे समाप्त करने का है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सड़क राजस्थान केनाल के अन्तर्गत आती है, राजस्थान केनाल ने इसकी हाई प्रायोरिटी फिक्स की थी, इसके बाद प्रायोरिटी लो फिक्स कर दी है इसलिये ४ मील बन पाई है। राजस्थान केनाल को कह सकते हैं कि इसको हाई प्रायोरिटी दी जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि सेंट्रल रिज़र्व फण्ड से भी पैसा मिल रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान केनाल की तरफ से ही अलॉटमेंट मिलता है । We are only executing.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

लेडी डॉक्टर की व्यवस्था

६५०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेंट वर्क्स के अस्पताल में करीब एक वर्ष से लेडी डॉक्टर नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि लाखेरी वर्क्स में इन्श्योरेंस स्कीम लागू है और पूरे परिवार को उसका उचित फायदा मिलना अनिवार्य है ?

(३) क्या यह सही है कि लेडी डॉक्टर के अभाव में अनेकों केस खराब होते हैं तथा मजदूरों को वहां से कोटा ले जाना पड़ता है ?

(४) यदि हां, तो उक्त अस्पताल में लेडी डॉक्टर नहीं होने का कारण क्या है ?

(५) अब कब तक उक्त अस्पताल में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होना संभव है ?

स्वास्थय मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हां, लेडी डॉक्टर नहीं थी वह अब पहुंच गई है।

(२) जी हां ।

(३) जी हां !

(४) लेडी डॉक्टरों की आम तौर पर कमी है, पर वहां पहुंच गई है ।

(५) सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि लेडी डॉक्टर को भिजवाने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछना जरूरी नहीं है ।

जहां तक इस अस्पताल का सवाल है वहां के एम्प्लोयर हैं उन्हीं की यह जिम्मेदारी है । गवर्नमेन्ट की ओर से नहीं जाती हैं, उन्हीं को प्रोवाइड करना पड़ता है ।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

बिजली के बारबार बंद होने की शिकायत

६५२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली के बार बार बन्द हो जाने की शिकायतें हैं ?

(२) क्या इस प्रकार बिजली के बार बार बन्द हो जाने से वहां के उद्योगों के कार्य में रुकावट आती है और भारी नुकसान होता है ?

(३) इस वर्ष में कितनी बार बिजली बन्द हुई और उससे कितनी औद्योगिक क्षति हुई है ?

उप-मन्त्री विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) कुछ मामूली नुकसान होने की संभावना हो सकती हैं ।

(३) इस वर्ष में कितनी बार बिजली बंद हुई इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, उससे कितनी औद्योगिक क्षति हुई उसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी आपने यह फरमाया कि मामूली क्षति होने की संभावना है। अभी आपने जो सूची दी उसको देखने से पता चलता है कि पिछले ६ महीने में ३५ बार बिजली बन्द हुई है और साढे छः घंटे गयी है। कोटा ऐसा क्षेत्र है जहां नाइलोन की फेक्टरी है। यदि वहां ५-६ घन्टे के लिए बिजली चली जाय तो उसका प्रोसेस ऐसा है कि उसको हजारों रुपयों की क्षति होती है ?

श्री परसराम मदेरणा : बिजली का मोमेन्टरी ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ मोमेन्ट्स के लिए गयी है। छः छः घंटे का बताया तो उस दिन गांधी सागर में ब्रेकडाउन हो गया था, इतवार का रोज था। मध्यप्रदेश में कुछ डिले हुई। कुछ जगहों पर अनफोर्सीन सरकम्स्टान्सेज़ होजाती हैं। एक जगह हैवी स्टोपेज हो गया। फॉल्ट रिमूव करने के लिए उसको ठीक किया जाता है। नया नया सिस्टम चालू किया गया है और इसमें कुछ ब्रेकडाउन की विशेष सम्भावना रहती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सरकार को मालूम है कि नाइलोन फैक्टरी में काफी नुकसान हुआ इस बिजली के ब्रेकडाउन से और जैसी यहां कल बिजली की आंख मिचौनी हुई वैसी ही वहाँ होती रहती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : यहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): बार बार बिजली के बन्द हो जाने का क्या कारण है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कोटा एक औद्योगिक क्षेत्र है और उसका ध्यान रखते हुए यह ब्रेकडाउन न हो।

श्री हरिश्चन्द्र : जयपुर में तो ब्रेकडाउन नहीं होता है, जयपुर से तो मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है, लेकिन यह बात सही है कि कोटा में फ्रीक्वेन्ट ब्रेकडाउन होते हैं और सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कई मर्तबा आगाह कर दिया है कि ब्रेकडाउन नहीं होने चाहिये। दो दिन पहले टैकिनकल स्टाफ कोटा गया था और उनसे यह कह गया था कि इन्जीनियर्स से बात करें। इस तरह का रास्ता निकाला जाय कि इस प्रकार के फेक्चुअल ब्रेकडाउन न हो। फ्रीक्वेन्ट ब्रेकडाउन होने के कई कारण हैं और मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि फ्रीक्वेन्ट ब्रेकडाउन के लिए मोस्ट केयरफुल और शिफ्टिंग इन्क्वायरी परम आवश्यक है।

श्री हरिश्चन्द्र : डुंगरपुर में तो कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विधान सभा में ब्रेकडाउन होते हैं तो डूंगरपुर की तो गणना ही क्या है। सब को समानता में ही आप समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खाँ।

रामगढ़-गोबिन्दगढ़ सीकरी रूट

६५३. **श्री मजलिस खाँ** (कामा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 21

(श्री मजलिस खां)

(१) क्या यह सही है कि अलवर से वाया रामगढ़-गोविन्दगढ़ सीकरी तक प्राइवेट बस चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सीकरी से गोविन्दगढ़ तक और गोविन्दगढ़ से रामगढ़ तक १६ मील कच्चा रास्ता है जिसके कारण वर्षा काल में बसें बन्द हो जाती हैं ?

(३) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार इस १६ मील के टुकड़े को पक्का कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

(२) जी हाँ ।

(३) रामगढ़ से गोविन्दगढ़ की सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कर दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

मेडीकल वर्क्स यूनियन, जिला अलवर का मांग-पत्र

६५४. **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर) [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मेडिकल वर्क्स यूनियन, जिला अलवर ने अपना कोई मांग-पत्र सरकार के सामने रखा है ?

(२) यदि हाँ, तो कब रखा था ? सरकार ने इस सम्बन्ध से अभी तक क्या क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या सरकार ने यूनियन के प्रतिनिधियों से इन मांगों के सम्बन्ध में कोई बातचीत की है ?

(४) अगर हाँ, तो उस बातचीत का क्या नतीजा निकला ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) जी हाँ ।

(२) यह मांग-पत्र माह अक्टूबर, सन् १९६२, में रखा गया है । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

(३) जी नहीं ।

(४) सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या उनसे डाइरेक्ट निगोसियेशन्स सरकार करना नहीं चाहती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष महोदय , हर एक लेबर यूनियन के कायदे हैं, लेबर लॉज़ हैं । वहां पर मेडीकल डिपार्टमेन्ट के, अस्पतालों के व्यक्तियों की कोई यूनियन बनायी जाती तो वह समझ में आ सकती थी । वहां जो यूनियन बनायी है उसमें मलेरिया इरेडिकेशन के लोग मौजूद हैं, हैल्थ के मौजूद हैं, और दूसरे हैं । तो इस तरह की यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करने का प्रश्न नहीं है । कोई यूनियन ट्रेड यूनियन के नीचे रजिस्टर्ड है

Page No 22

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ग्रौर वह कोई डिमान्ड भेजती है तो उससे बातचीत करने में क्या एतराज है ?

श्री बरकतुल्लाखां : उनकी डिमान्ड पर गौर किया जा रहा है ग्रौर जरुरत पड़ी ग्रौर कानून ने इजाजत दी तो करेंगे ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ग्रलवर की यूनियन ने कई बार शिकायत की है तो ग्राप उसके लिए क्या कर रहे हैं ? It may or may not be affiliated to any trade union but they have complained to y u that they have grievances.

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां । जो हमारे पास शिकायत लेकर ग्राये उन पर गौर किया जा रहा है । शिकायत गवर्नमेंन्ट के पास पहुँच गयी, मेडीकल डिपार्टमेंन्ट के उस पर व्यूज लिये जा रहे हैं ग्रौर तीन महीने के ग्रन्दर ग्रन्दर जवाब दे दिया जावेगा ।

श्री कुमारानन्द : उसका तरीका क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रापने यह कहा है कि कानून परमिट करेगा तो उनसे बातचीत करेंगे । मेरी समझ में नहीं ग्राया, ग्रापने यह कहा कि यूनियन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है । रिकॉग्इज्ड है या नहीं, लेकिन जब वह ट्रेड युनियन के नीचे रजिस्टर्ड है तो ग्राप उसको मुमानियत कैसे कर सकते हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैंने माननीय सदस्य से कह दिया है । जैसे चाहें वे इसको इन्टरप्रेट करें । मैंने इसको मान लिया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रापके उत्तर से स्पष्ट रूप से यह ध्वनि निकलती है कि जब तक ग्राप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते तब तक ग्राप उनसे बातचीत नहीं करेंगे । ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज़ न कर लिया जाय , उनसे बातचीत नहीं की जाय; क्या यह सरकार की नीति है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जब सरकार के पास डिमान्ड रखी जाती है तो उसके सब पहलू देखे जाते हैं ग्रौर यह भी देखा जाता है कि इल्लीगल कार्यवाही न हो जाय ग्रौर जिससे ग्रागे ग्रड़चनें ग्रावें । डिमान्ड ग्रा जाने से यह मतलब नहीं होता है कि उस पर विचार पूरा कर ही लिया गया है । पहले सरकार को ग्रपना दिमाग बनाना पड़ता है कि यह डिमान्ड जायज़ है या नहीं, फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं ।

श्री कुमारानन्द : ग्रर्थात् यह माना जाना चाहिये कि शिकायत सुनी नहीं ग्रौर सरकार ने जैसा ठीक समझा वैसा किया । ठीक यही कहना चाहते हैं ग्राप ?

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का यह कहना है कि रिकॉग्नाइज़ हो या न हो, उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है ग्रौर ग्रावश्यकता हुई उनसे बात करने की तो कर लेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: रिकाग्नाइज्ड, नहीं है तो गवर्नमेन्ट की क्या यह पॉलिसी है कि रिकाग्नाइज़ हो तब ही उनकी डिमान्ड सुनी जाय ग्रौर नहीं तो नहीं, क्या यह पॉलिसी है ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय ।

गंगापुर-जयपुर सड़क पर ग्रसुविधाएं

६५५. वैद्य श्री गोविन्दसहाय

Page No 23

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगापुर–जयपुर रोड पर शीतौड़ के नाले से वर्षा के दिनों में आवागमन अवरूद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो जनता की यह असुविधा कब तक दूर होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, अधिक पानी आने पर कभी कभी कुछ समय के लिये आवागमन बन्द हो जाता है । अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

श्री गोविन्दसहाय : उस पर पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सरकार की योजना में तो स्वीकृति नही है । लेकिन मैं सप्लीमेन्टरी को देख रहा था, उसमें यह बताया गया था कि डेमेज के लिए ३ हजार की आवश्यकता होगी । यह इन्फोमेशन करेक्ट है तो इस काम को ले सकते हैं ।

श्री गोविन्दसहाय : कौनसी योजना में ?

श्री रामकिशन (वैर) : आप ले लेंगे । तीन हजार रूपया लगेगा, यह कहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

सब-जेल्स के सर्किल आफिसर्स

६५६. **श्री भीमसेन** (लूणकरसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक 'ए' क्लास बन्दी-गृहों के अधीक्षकों के अधीन उनके सर्किल्स में सब जेल्स अथवा लोक–अप्स के लिये सर्किल ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सर्किल ऑफिसर्स को उसके क्षेत्रान्तर्गत सब–जेल्स एवं लोक–अप्स का निरीक्षण करने हेतु राज्य सरकार को ओर से कोई सुविधाएं नहीं दे रखी हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रकार की सब-जेल्स एवं लोक–अप्स के निरीक्षण हेतू विभाग की ओर से दो वरिष्ठ लिपिक ग्रेड के इन्सपेक्टर्स नियुक्त कर रखे हैं, जिनका तजुर्बा उपरोक्त अधिकारियों से कहीं कम होता है ?

(४) क्या सरकार प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखते हुए उपरोक्त पदों को समाप्त करके सर्किल ऑफिसर्स को निरीक्षण के अधिकार देना वाजिब नहीं समझती है ?

उप–मंत्री गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं ! स्थिति यह है कि केवल पांच जेलों के यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर के अधीक्षकों को वार्डरों की नियुक्ति की दृष्टि से सर्किल ऑफीसर बना रखा है । यह अपने अपने सर्किलों में वार्डरों की नियुक्ति व उनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार करते हैं । दूसरे प्रशासनिक मामलों के लिये ऑफिसर इन्चार्ज जेल्स व लोकअप्स का भी सीधा संबन्ध जेल के प्रधान कार्यालय से है, यानी आई० जी० प्रिजन्स ऑफिस से हैं ।

(२) इस प्रश्न का उत्तर ऊपर के प्रश्न में दे दिया गया है । जेल अधिक्षकों के पास

(श्री भीमसिंह)

उनके जेल का ही इतना काम है कि लोकअप्स के निरीक्षण का कार्य-भार उन पर नहीं किया जा सकता।

(३) समस्त सब जेलों यानी लोकलपों के निरीक्षण के लिये दो इन्सपेक्टर नियुक्त हैं जो जेलर ग्रेड़ के हैं और इनका ग्रेड़ वरिष्ठ लेखक के ग्रेड़ से अधिक है। ग्रेड़ इन्सपेक्टर १३०–५–१५५–१०–२३५–२५० ग्रेड़ वरिष्ठ लेखक १०५–५–१५०–८–१६० १०–२४०। इन इन्सपेक्टरों व जेल के सर्किल ऑफिसरों यानी अधीक्षकों के बीच तुलना का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है।

(४) प्रशासनिक दक्षता ध्यान में रखते हुए ही दो इन्सपेक्टरों की पोस्ट सरकार द्वारा अक्टूबर सन् ५४ में स्वीकृत की गई है और यह अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। सर्किल ऑफिसर्स को इनकी एवज में नियुक्त करने का उक्त कारण से प्रश्न नहीं उठता। यदि किसी समय उचित समझा जाता है तो सर्किल ऑफिसर को किसी खास मामले में इन्क्वायरी या निरीक्षण के आदेश दे दिये जाते हैं। लोकअप्स का चार्ज एस०डी० ओ० के पास होता है जो स्वयं भी जेल निरीक्षण हर माह एस० डी० ओ० की हैसियत से करते हैं। कुछ समय पूर्व जेलों से फरारियों की संख्या बढ़ गई थी, जोकि लोकअप्स के कर्मचारियों के जेल रूल्स पूर्ण रुपेण कार्यान्वित नहीं करने के कारण होना पाया गया। अतः यह दो पोस्ट इन्सपेक्टरों की राज्य सरकार द्वारा सन् १९५४ में बनाई गई ताकि ये दो ऑफीसर्स सब जेलों का दौरा करके वहां की खामियां देखें और तत्काल दूर करें।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्टों के जेल संबन्धी कार्य ही पूर्णकालीन हैं और यदि उनको सब-जेल इन्सपेक्शन का अतिरिक्त कार्य दिया गया तो वे ठीक तरह से अपना कार्य भी न कर सकेंगे और इन्सपेक्टरों बनिस्वत टी० ए० डी० ए० पर भी अधिक व्यय होगा।

पुराने मोडल की यात्री-गाड़ियों से कठिनाइयां

६५७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने यह नियम बनाया हैं कि बस मार्ग पर पुराने मोडल की गाड़ियां नही चलाई जायं ?

(२) यदि हां, तो किस मोडल तक की गाड़ियां चलाना सरकार ने रिकमन्ड किया है ?

(३) क्या यह सही है कि जो मोडल सरकार ने पास किया उससे पुराने मोडल की गाड़ियां भी राजस्थान में चल रही है ?

(४) यदि हां, तो उदयपुर जिले में ऐसी कितनी पैसेन्जर गाड़ियां हैं जो पुराने मोडल की हैं तथा कहां कहां चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों के मालिकों को नया मोडल लगाने की सूचना दे दी गई है ? यदि हां, तो सूचना कब दी गई तथा उसके बाद आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि पुराने मोडल की गाड़ियों में सफर करने से यात्रियों को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(७) यदि हां, तो उदयपुर जिले में सरकार कब तक सभी जगह नियमानुसार गाड़ियों के नये मोडल लगवा देगी ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, एस० टी० ए० ने इस बारे में आदेश दिये हैं।

(२) एस० टी० ए० के आदेशानुसार प्रारम्भिक परमिट फ्रेश परमिट देते समय विभिन्न मार्गो पर निम्न मोडल की गाड़ियां लगाई जा सकती हैं :

१. 'ए' क्लास मार्ग पर ५ साल पुरानी गाड़ियां।

२. 'बी' व 'सी' क्लास मार्ग पर १० साल पुरानी गाड़ियां।

एस० टी० ए० के आदेशानुसार गाड़ियों के नवीनीकरण (Renewal) के समय निम्न प्रतिबन्ध हैं :

१. 'ए' क्लास मार्ग पर सन् १९५२ व उसके बाद की मोडल की गाड़ी।

२. 'बी' क्लास रूट पर सन् १९५८ व उसके बाद के मोडल की गाड़ी।

३. 'सी' क्लास मार्ग पर कोई प्रतिबन्ध नही है।

(३) एस० टी० ए० ने गाड़ियों के परमिटों के नवीनीकरण के समय 'सी' क्लास रूट पर कोई मोडल कन्डीशन नहीं लगा रखी है अतः 'सी' क्लास रूट पर पुराने मोडल की गाड़ियां चल रही हैं।

(४) उदयपुर जिले में जो इस प्रकार की गाड़ियां है उनकी सूची संलग्न हैं।

(५) कुछ गाड़ियों के मालिकों को सन् ६० में परमिट रिन्यूअल करते समय नये मोडल की गाड़ियां लगाने का प्रतिबन्ध लगाया था। यह प्रतिबन्ध परमिटों में भी अंकित कर दिया गया था। अतः अलग से सूचना देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। उनमें से कुछ एक ऑपरेटर्स ने आर. टी. ए. के उक्त प्रतिबन्ध के विरूद्ध अपीलें कीं जो टी. ए. टी. द्वारा स्वीकृत करली गईं। ऐसी दशा के प्रतिबन्ध लगाना या उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(६) प्रत्येक गाड़ी चाहे वह पुराने मोडल की ही हो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है और फिटनेस प्राप्त गाड़ी यात्रियों के लिये पूर्ण रूप से उपयुक्त होती है। एस० टी० ए० के आदेश, जो इस समय लागू हैं, उसके अनुसार पुरानी गाड़ियों का नवीनीकरण करते समय ही इस पर विचार किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : अभी ६० गाड़ियां उदयपुर जिले में नियम विरुद्ध चल रही हैं, जिनके पास पांच साल से लेकर २३ साल तक के पुराने मोडल हैं। इनके लिये क्या कठिनाई है इस ऑर्डर को कार्य रूप में परिणत करने में जिसके कारण आप वह ऑर्डर लागू नहीं कर रहे हैं ?

श्री भीमसिंह : इसका उत्तर मैं प्रश्न पांच में दे चुका हूँ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आपने कहा है कि टी. ए. टी. ने फैसला कर दिया है।

Page No 26

श्री भीमसिंह : मैंने यह नहीं कहा है। टी. ए. टी. ने स्टे कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : पुराने मोडल चला सकते हैं, जब तक हुक्म का फाइनल निर्णय न हो।

श्री तेजाराम गहलोत : २७–८–६३ के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि टी. ए. टी. की अपील खारिज कर दी थी, उस पर आपने, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि 'जी हां'। और आज आप कहते हैं कि फैसला कर दिया ?

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य को भ्रम है। एक पार्टी की अपील टी. ए. टी. ने खारिज कर दी थी, वह हाई कोर्ट में गया। बाकी केसेज का रिजोल्यूशन आर० टी० ए० में हुआ कि ये मोडल कन्डीशन्स होगी। उसकी अपील टी. ए. टी. द्वारा स्वीकृत कर ली गई उसके रिजल्ट्स को स्टे कर दिया गया इसलिये मोडल कन्डीशन लागू नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला : यह नियम सन् ६० में स्टे हुआ, तो आज दिन तक उस खामी की पूर्ति करने के लिये क्या कोशिश की ?

श्री भीमसिंह : यह मामला विचाराधीन है। जब फैसला होगा तब लागू करेंगे। सरकार तो मोडल कन्डीशन लगाना चाहती है, लेकिन ऑपरेटर्स लगाना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बिरदाराम फुलवारिया !

जालोर के कस्बों में विद्युत वितरण

६५८. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला जालोर के किन-किन कस्बों को आगामी दो वर्षों में बिजली मिलने की योजना है ?

(२) क्या सरकार ने जालोर से उम्मेदाबाद और सायला को इसी वर्ष बिजली पहुंचाने की कोई योजना स्वीकृत की है ?

(३) जालोर से बागरा व आकोली व सियाणा को बिजली कब तक पहुँच जायगी ? क्या सरकार इस पिछड़े हुए क्षेत्र को बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता देने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री परसराम मदेरणा) : (१) आगामी दो वर्षों में निम्न गांवों को बिजली देने की योजना है : सांचोर और सियाना।

(२) जी नहीं।

(३) समय निश्चित नहीं किया गया है, इस क्षेत्र को बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता देना संभव नहीं है।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : यह कब तक होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : सांचोर और सियाना में बिजली देने का काम अगले साल हाथ में ले लिया जायगा ?

हिन्डौन नगरपालिका

६५९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) हिन्डौन नगरपालिका का सालाना खर्चा क्या है और आमदनी क्या है तथा नगरपालिका को सालाना सिब्सिडी कितनी मिलती है ?

(श्री श्रवणलाल)

(२) नगरपालिका की ओर से सार्वजनिक कार्यों में इस साल कितना व्यय किया गया है ?

(३) नगरपालिका द्वारा इस साल कितने नये प्लॉट्स नीलाम किये गये हैं और अब कितने प्लॉट नीलाम किये जाने वाले हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) सन् १९६२–६३ में वास्तविक आय १,२७,५१९) रुपये व वास्तविक व्यय ९४,९७४) रुपया है।

वर्ष १९६२–६३ में पालिका को कोई सबसिडी नहीं दी गई केवल व्हील बेरोज खरीदने हेतु ७५०) रुपये की सहायता दी गई है।

(२) इस साल अब तक २५,६६०) रुपये सार्वजनिक कार्यों पर व्यय किये जा चुके है।

(३) इस वर्ष कोई प्लॉट्स नीलाम नहीं किये गये हैं व आगे प्लॉट्स नीलाम किये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

जिला बोर्ड सर्विसेज़

६६१. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५९ में जिला बोर्ड भंग कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला बोर्ड की सर्विसेज़ के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ? कृपया इन नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज की सीनियोरिटी २ अक्टूबर, १९५९ से शुमार की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज़ की जो ग्रेड इन्क्रीमेन्ट मिलता था वह अब नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि जिला बोर्ड की सर्विसेज के एरियर्स जो जिला बोर्ड के द्वारा भुगतान किये जाने थे अब नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और कुल मिला कर यह एमाउन्ट कितना है ?

(५) क्या यह सही है कि २ अक्टूबर सन् १९५९ के बाद जिला बोर्ड की सर्विसेज़ की माह सितम्बर की तनख्वाह नहीं दी गई ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की और क्यों ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, इसमें लम्बी सूचना है।

श्री भैरोंसिंह : इसका जवाब कब तक मिल जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल पिछले सत्र से बराबर चला आ रहा है।

श्री दौलतराम सारण : यह हमारे पास तो अभी आया है।

Page No 28

श्री अध्यक्ष : यह सवाल नीति सम्बन्धी ज्यादा है। अगले सप्ताह तक उत्तर दे दें।

नावां लोसल-रूट

६६२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या नावां-लोसल बस रूट का परमिट दिया गया था ? यदि हां, तो कब व अब बन्द क्यों कर दिया गया ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : नावां-लोसल बस रूट के परमिट अब तक दो बार दिये जा चुके हैं, परन्तु परमिट नहीं उठाये जाने के कारण बसें नहीं चलती हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या इस रूट के लिये किसी दूसरे ने आवेदन-पत्र दिया ?

श्री भीमसिंह : यह पृथक प्रश्न है। मैंने तो बस क्यों नहीं चल रही है उसके कारण बताये।

बीकानेर में साइन्स कॉलेज के नाम से जमीन का ऑलटमेन्ट

६६३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** : (कोलायत) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर शहर में साइन्स कॉलेज के नाम से क्या कोई जमीन अॅलाट की गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष में किसको कितनी और किस रेट में।

(२) जो जमीन अॅलाट की गई है उस पर साइन्स कॉलेज का निर्माण हो चुका है या नहीं ?

(३) यदि नहीं, तो क्या जिस व्यक्ति को साइन्स कॉलेज के लिये जमीन अलॉट की गई है उसके द्वारा साइन्स कॉलेज का निर्माण किये जाने की कोई संभावना है ?

(४) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जमीन का एलॉटमेन्ट उक्त व्यक्ति के नाम से रद्द करने की कोई आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(५) क्या जिस व्यक्ति के नाम से साइन्स कॉलेज के लिये जमीन अलॉट की गई उसने दो लाख रुपये साइन्स कॉलेज के निर्माण हेतु सन् १९५२ में प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू को दिये थे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन : (श्री दौलत राम सारण) : (१) जी हां। बीकानेर में सन् १९५४ में डागा चेरिटेबल ट्रस्ट को साइन्स कॉलेज बनाने के लिये ८३,०९५ वर्ग गज ३$\frac{1}{4}$ वर्ग फीट जमीन पाबूबारी के अन्दर एक आना प्रति वर्ग गज की दर से दी गई थी।

(२) जी नहीं। केवल चार दिवारी बनाई हुई है।

(३) जी नहीं।

(४) इस जमीन का अलॉटमेन्ट सन् १९६२ में रद्द किया जा चुका है।

(५) जी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो आपने रद्द कर दिया है क्या यह सही है कि चार दीवारी जमीन पर एग्जिस्ट करती है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

Page No 29

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस चहार दीवारी को तोड़ने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। चहार दीवारी होने से पजेशन आज भी उस आदमी का है; ट्रस्ट के नाम से जमीन अलॉटेड है ?

श्री दौलतराम सारण : कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब आपने कैन्सिल कर दिया है तो चहारदीवारी को तुड़वाने में देर क्या है, अनावश्यक रूप से देरी क्यों की जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : अब देर नहीं की जायगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ट्रस्ट के पास साइन्स कॉलेज बनाने के लिये पैसा है, इसके बावजूद भी जमीन वापिस क्यों ले रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : ट्रस्ट ने कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनायी इसलिये।

श्री मुरलीधर व्यास : दो लाख रूपये जब पं० जवाहर लाल नेहरू पधारे थे उस समय उसके लिये घोषणा की गई, वह दो लाख रुपया कहां गया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके मुताबिक मैंने निवेदन किया, यह जमीन कॉलेज के नाम से दी गई लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ट्रस्ट वहां हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने के लिये तैयार है और उसके लिये सरकार को लिखा भी है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जी हां।

डकैतों द्वारा हत्याएं और अपहरण

६६४. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृहमंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

राज्य में वर्ष ६२—६३ में डकैतों द्वारा कितने लोगों की हत्या की गई है और कितने लोगों का अपहरण हुआ है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : दिनांक १ अप्रेल, सन् १९६२ से आखीर मार्च, सन् १९६३ तक राज्य भर में डकैतों द्वारा कुल १७ व्यक्तियों की हत्याएं की गई हैं और ४६ का अपहरण किया गया ।

श्री रामकिशन : इनमें से कितने वापिस आये हैं और कितने डकैतों के पास हैं ?

श्री भीमसिंह : ४६ के ४६ ही वापस आ गये।

श्री रामकिशन : इनमें से पुलिस के प्रयत्नों से कितने वापिस आये और रुपये ले कर कितने आये ?

श्री भीमसिंह : २४ पुलिस के प्रयत्नों से, ४ पैसा देकर और १८ वैसे ही आ गये।

श्री रामकिशन : सुना नहीं, आप संख्या फिर गिनाइये।

श्री भीमसिंह : २४, ४, १८, ।

श्री रामकिशन : आपने कम—ज्यादा बता दिये ।

श्री भीमसिंह : २४, ४, १८, । आप जोड़ लगा लीजिये । ४६ होते हैं।

श्री रामकिशन : तो जो चार पैसा देकर वापिस आये हैं तो यह आपको किस प्रकार से मालूम हुआ कि पैसे ले-देकर आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसा लेने–देने का धन्धा करते हैं ?

श्री भीमसिंह : होंगे ऐसे आदमी भी, सभी तरह के होते हैं।

श्री रामकिशन : अगर वे आपकी जानकारी में हैं तो इनको रोकने के लिये और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृहमंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वे हमारी मार्फत नहीं आये थे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): जिनके मार्फत वे आये, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर हमारी जानकारी में आते हैं तो हम कानूनी कार्यवाही करते हैं।

श्री रामकिशन : तो आपने अब तक भरतपुर जिले में ऐसे कितने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी एक भी शिकायत हमारे पास नहीं आई, भरतपुर में।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : धौलपुर जिले में ऐसे कितने आदमी हैं जो यह बिज़नैस करते हैं और आपकी जानकारी में हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जानकारी नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जानकारी तो है उपमंत्री महोदय को । पत्र दिये हैं हमने उनको बहुत से ।

नावां पांचौता सड़क योजना

६६५. श्री हनुमानसिंह चौधरी(नावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के पास नावां से पांचौता होती हुई सीधी सड़क लोसल तक निकालने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इस रोड पर कोई गाड़ी पहले चलती थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सड़क भी वहां पर पक्की है या नहीं, यह फरमा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री गोकुलप्रसाद।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

अस्पताल के लिये जमीन

६६७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि चुरू में कोई

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सेठ एक नया अस्पताल ५० बेड्स की गुंजाइश का बनाना चाहते हैं और अस्पताल के लिये सरकार से निःशुल्क जमीन मांगी है

(१) यदि हां, तो सरकार ने जमीन देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकततुल्ला खां) :
(१) जी हां।

(२) सरकार ने मालेरी रोड पर सरकारी जमीन दे दी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या अस्पताल के बनने का काम शुरू हो गया या अब होगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : अब शुरू होगा।

बांदीकुई-मंडावर सड़क योजना

६६८. **श्री मुथरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या बांदीकुई क्षेत्र में बांदीकुई से मंडावर तक कोई सड़क पंचवर्षीय योजना में बनाने की स्कीम है ? यदि हां, तो उसका सर्वे, एस्टीमेट इत्यादि तैयार न कराने के क्या कारण हैं व अब कब तक हो जावेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपकी जो रोड्स एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसने इसे पंचवर्षीय योजना [illegible] करने की कार्यवाही की थी, इस बारे में लिखित जवाब भी आपका आया है कि उसे सम्मिलित किया गया है, फिर आप जो कह रहे हैं नहीं तो नहीं सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र : इसका मतलब यह है कि पेश हुआ है। अब आप से पूछा जावेगा कि इसको किस तरह से ऐकोमोडेट किया जावे। अगर आपको मालूम हो तो विगत बैठक कॉल की थी ३१ को, पर माननीय सदस्यों ने कहा कि छुट्टी है इसलिये उस दिन नहीं रखी जावे मीटिंग। तो नहीं रखी मीटिंग और इससे देर हो रही है। अगर आप ऐसी सड़क बनावेंगे कि जिसके जरिये से काम की हो सकती है तो उसे अकोमोडेट किया जा सकेगा। तो अगर ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि ओटोमैटिकली इन्क्लूड हो ही गई।

श्री मुथरेशबिहारी माथुर : मैं बताऊं कि मीटिंग में लालसोट से तुंगा का १६ मील का टुकड़ा काट कर उसके एवज में इसको शामिल कर लिया गया है।

अब उसमें इन्क्लूड करते हुए मीटिंग की प्रोसीडिंग्ज में भी इसका इन्द्राज है, एवज में दी है।

श्री हरिश्चन्द्र : एवज में रखा होगा, फिर भी उस पर ज्यादा पैसा लग रहा होगा आप से और पूर्ति उसकी करवाने की कोशिश करेंगे तो इन सारे मुद्दों पर निर्णय करना है।

श्री मुथरेशबिहारी माथुर : प्लान में सम्मिलित कर लेने के बाद ही आपने मुझे सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

स्थगित प्रश्न

(२८-६-६३)

नाहरगढ़ सड़क की मरम्मत

२५५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) जयपुर नगर में नाहरगढ़ की सड़क का निर्माण कब हुआ था और इसके बाद इसमें कभी मरम्मत कराई गई या नहीं ? यदि हां, तो मरम्मत में कुल क्या व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सड़क के जीर्णोद्धार का राज्य सरकार कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या गत पांच वर्षों में राज्य के किसी भी उच्चाधिकारी ने इस सड़क का कभी निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो किसने और कब किया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(२) जी हां। जब भी इस कार्य के लिए नगरपालिका से पैसा मिलेगा उस समय इसको ठीक करा दिया जावेगा।

(३) जी हां, समय समय पर निरीक्षण किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे प्रश्न ३ का उत्तर सम्भवतः अपूर्ण है।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि निरीक्षण किया जाता है। अगर आपको तारीखें चाहिये तो तारीखें भी भिजवा दूंगा। मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहले प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि पता नहीं सड़क कब बनी ? पर क्या उन्हें मालूम है कि यह एक एम्पोर्टेन्ट सड़क है जिस पर···

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये भाषण मत करिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय स्वयं निरीक्षण इसका कर लें। इतनी महानता और मान्यता होते हुए भी यह एक मोस्ट निग्लेक्टेड रोड हो गई है।

श्री अध्यक्ष : फिर माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। आप केवल जानकारी लीजिये आपको कोई शंका रह गई हो तो।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जवाब क्लियर दिया है कि नगरपालिका से पैसा मिलेगा तो हम ठीक करवा देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने आज तक इस पर क्या खर्च किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : नगरपालिका रुपया नहीं देती है तो हम अपने पास से नहीं करवा सकते इसे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : म्यूनिसिपैलिटी के मन्त्री को प्रश्न रेफेरेन्स के लिये दिया तो कह दिया गया कि उनका इससे सम्बन्ध नहीं ; इस सड़क को पी. डब्लू. डी. की बताया जाता है और ये कहते हैं नगरपालिका की है। मैं

Page No 33

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पूछता हूं आपने आज तक इस पर एक पैसा भी खर्च किया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह नगरपालिका की जिम्मेदारी है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैंने तो साहब मन्त्री महोदय से पूछना चाहा है, आया यह पी. डब्लू. डी. की है या म्युनिसिपैलिटी से सम्बन्ध रखने वाले लोकल सैल्फ विभाग की है, किसका इससे कन्सर्न है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो नगरपालिका से सम्बन्ध रखती है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : लोकल सैल्फ विभाग कहता है हमारा कन्सर्न नहीं, पी. डब्लू. डी. कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं।

श्री अध्यक्ष : Order ! please ! order ! आप समझने की कोशिश करें कि आपका प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दिया गया है। उत्तर स्पष्ट है। नगरपालिका का सम्बन्ध है इससे। आपकी शिकायत वाजिब हो सकती है। आप नगरपालिका को कहिये, वह भी लोकल सैल्फ बॉडी है, इसके लिये एजीटेट करिये।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं सब मन्त्रियों के नोटिस में यह ला चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नोटिस में लाने से कुछ नहीं होता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : तो फिर राज्य सरकार इस पर विचार करे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न को समझने की कोशिश करें जरा। यह राज्य सरकार के दायरे की चीज नहीं है। लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट की भी चीज नहीं है; न पी. डब्लू. डी. के दायरे की चीज है। आप नगरपालिका का ध्यान आकर्षित करें, उसके दायरे की चीज है। बहस फालतू लम्बी करने से कोई मतलब नहीं है।

नैक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(४-६-६३)

सी. ए. एस. क्लास प्रथम डाक्टरों का कन्फर्मेशन

४४६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १६५४ से १६५६ के बीच कुछ डाक्टर्स को सी, ए. एस. क्लास फर्स्ट के पदों पर डाइरेक्ट ऑफीशियेटिंग अपोइन्टेमेन्ट दे दिये गये थे और बाद में उनमें से कुछ एक बार और कुछ दो बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिजेक्ट किये जाने पर भी साकार ने उन्हे सी. ए. एस. क्लास फर्स्ट के पदों पर कन्टीन्यू किया और बाद में रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रोम दी डेट ऑफ अपोइन्टमेन्ट कन्फर्म कर दिया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के कन्फर्मेशन करने के कारण राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वार सिलेक्टेड सी. ए. एस. क्लास प्रथम के डाक्टरों के अधिकारों पर एडवर्स असर पड़ा है और उनके द्वारा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

रिप्रेजेन्टेशन्स किये जाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खाँ) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५६ से ५८ के बीच में डाइरेक्ट अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं क्या ?

श्री बरकतुल्ला खाँ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ५२ के अन्दर २२५ सी. ए. एस. क्लास वन डाक्टरों के इन्टीग्रेशन की जरूरत थी, जिसमें से १७१ सिलेक्ट हो गये। इनके बाद जो जगहें बाकी रहीं उन पर सी. ए. एस क्लास २ के २२ आदमियों को इजाजत दी गई । इसके बाद इनमें से पी. एस.सी ने १६ को एप्रूव किया और इसके बाद फिर ६ को एप्रूव किया पी. एस. सी. ने और जिस तारीख को एप्रूव किया और गवर्नमेन्ट ने आॅर्डर निकाला उस तारीख को वे सी. ए. एस. क्लास वन में आ गये ।

स्थगित प्रश्न

(४-६-६३)

ग्राम मायदपुर (वैर) का पुराना कुआ

४६७. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम मायदपुर (निठार)तहसील वैर, जिला भरतपुर में एक कुआ है जो पुराना व खण्डरावस्था में है तथा जिसका पानी इस समय पीने योग्य नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि बस्ती के निकट होने के कारण कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं और भविष्य में भी होने का अन्देशा है ?

(३) क्या सरकार यह उचित समझती है कि या तो इस कुए को सुधारा जाये या इसे बिलकुल बन्द कर दिया जाये ? यदि हाँ, तो इस सन्बन्ध में कब तक कार्यवाही हो सकेगी ?

उपमंत्री, राजस्व(श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हाँ ।

(२) वास्तव में कुछ दुर्घटनायें हुई हैं ।

(३) जी हाँ । पंचायत समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया गया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दिया । इधर पीछे से चिमगादड़ चूं चूं बहुत करने लग गयी हैं, ऊधम बहुत होता है ।

श्री भैरोंसिंह : चिमगादड़ आपके पीछे क्यों रहती हैं ?

श्री अध्यक्ष : Birds of the same feather.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) जी हाँ ।

(२) वास्तव में कुछ दुर्घटनायें हुई हैं ।

(३) जी हाँ । पंचायत समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया गया है ।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय मैंने कूए को खुद जाकर देखा है । यह कूआ बस्ती के निकट होने से रामलाल गडरिया जो

(श्री सांवलियाराम)

कि पास में ही रहता है उसके ८ बकरी के बच्चे कुए में गिरकर मर गये हैं और इसी तरह की एक घटना और हुई कि एक बूढ़ा था उसके गिरने से टांग टूट गयी। क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि कुए की चारदीवारी खिचवा दी जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जवाब दिया कि कुछ दुर्घटनायें हुई हैं और मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि वर्षा समाप्त होने के कुछ समय बाद ही यह काम शुरू हो सकेगा। ऐसा पंचायत समिति को कह दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(३.४ म० प०)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक १९६३

(पुरः स्थापना)

उप-मंत्री, राजस्व(श्रीरामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

मंत्रियों सम्बन्धी मुख्य मंत्री महोदय का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): On a point of order, Sir, यह किस संबंध में वक्तव्य है ?

श्री अध्यक्ष : किस पोइन्ट का पोइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री भैरोंसिंह : इसका कि कोई स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोईन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जो लिस्ट ऑफ बिजनेस सर्कुलेट की गई है उसमें मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोई वक्तव्य दिये जाने का उल्लेख नहीं है और मैं आपका ध्यान हमारे सदन के रूल्स ऑफ प्रासीजेर के नियम २८ की ओर दिलाना चाहूंगा। नियम २८, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का इस प्रकार है :

"List of Business. A list of business for the day shall be prepared by the Secretary and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker."

(हंसी)

अभी बोलता हूं। हंसे क्यों हैं ?

मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : स्पीकर की तो पर्मीशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उनको मिल गयी है और इसलिए इस रूल को छोड़कर आपका रूल २७६ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। यह मैं मानकर चलता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने मुख्य मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की इजाजत दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी मिली है मुख्य मंत्री महोदय २६ अगस्त, १९६३ को राज्य सरकार के मुख्य मंत्री महोदय के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह द्वारा पंचायत उप-मंत्री, श्री भवानीशंकर जी नन्दवाना के ऊपर कपासन म्युनिसिपैलिटी में धन के गबन के विषय में लगाये गये आरोप का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और उस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम २७६ और २७८ की ओर दिलाता हूं। नियम २७८ के अधीन यह व्यवस्था है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर या जो भी प्रस्ताव सदन में पेश किया जाये वह प्रस्ताव जैसा कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ उसमें जितने भी मुद्दे उठाये गये उनका राज्य सरकार ने जवाब दिया, इसलिए वह डिबेट कन्क्लूड हो गयी। जैसा कि नियम २७८ में लिखा हुआ है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिबेट कन्क्लूड होने के बाद अविश्वास के प्रस्ताव के समय कोई भी मुद्दे उठाये गये हों—जैसा कि इसमें है तो उस संबंध में बाद में कोई वक्तव्य नही दिया जा सकता।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप लगाये गये हैं जैसा कि इस समय श्री भवानीशंकर जी नन्दवाना के ऊपर आक्षेप लगाया गया था धन के गबन का उस संबंध में २७६ नियम यह कहता है :

'A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brougtht forward and no debate shall arise.'

नियम २७६ इसकी ओर संकेत करता है कि और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाया गया है और वह समझता है कि यह आरोप गलत है तो वह उसी समय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आज अविश्वास के प्रस्ताव को पेश हुए १५ दिन होने आये और जिस मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाये गये उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पष्टीकरण का जो अधिकार है वह उसी मेम्बर को दिया गया है जिसके ऊपर कि आरोप लगाये गये हैं, वही मेम्बर इस संबंध में स्पष्टीकरण कर सकता है और बाकी किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट उस संबंध में इस सदन में नही दिया जा सकता। इस संबंध में आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने हमारे सदन के नियम २७६ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि नियम २७६ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर से कुछ मुद्दे जो उठाये गये थे अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में वे इस समय नहीं उठा सकते। लेकिन मुख्य मंत्री जी २७६ के अन्तर्गत कोई भाषण नहीं दे रहे हैं और न कोई स्पष्टी-

(श्री अध्यक्ष)

करण कर रहे हैं । जब यहां अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस चल रही थी कुछ मुद्दे सदन के सामने आये । उनमें कुछ का निराकरण हुआ और कुछ ऐसे थे जिनका सम्भवत: तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकता था और उनका निराकरण करने की आवश्यकता हो सकती है । और मैं नहीं समझता कि अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा बाकी रह जाये जिसके ऊपर स्पष्टीकरण करना उचित हो और सदन जिसकी अपेक्षा भी करता है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं मानते हुए कोई आक्षेप मुख्य मंत्री जी पर भी नहीं है, लेकिन जो भी दूसरी परिस्थितियां थीं उनका निराकरण करने के लिए यह वक्तव्य दिया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) व **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : किस नियम में दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं ने कहा कि अध्यक्ष की आज्ञा से लाया जा सकता है । अगर हाउस के इन्टरेस्ट में है तो बहुत इम्पोर्टेन्स का मामला है और मैं तो कहता हूं कि सदन में निराकरण की आवश्यकता नहीं होते हुए भी मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार किया है जिसके प्रति माननीय सदस्यों के कई तरह के भ्रम रह सकते हैं । इसलिए यही नहीं, यह ऐसा प्रश्न है जिसका निराकरण आवश्यक है । तो यह स्वागत योग्य बात है, इसलिए नियम का प्रश्न यहां नहीं है । जो वक्तव्य दिया जा रहा है वह नियमानुसार है और एक महत्वपूर्ण बात पर है जिसका मैं समझता हूं कि सदन अवश्य ही स्वागत करेगा और जब भी कभी निराकरण का मामला हो तो सदन के लिए अधिक उचित होगा । इसलिए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को अस्वीकार किया जाता है और मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दें; ऐसा उनसे निवेदन है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव के समय

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of Order, Sir I will draw your attention to Rule 263 Sir. I will also welcome your statement but let the position be clear. I have also got some motions to move against your statement. So I draw your attention to rule 263.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं की माननीय मुख्य मंत्री जी अभी वक्तव्य दे रहे हैं क्या वह नियम २६३ के आधीन नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को आपति क्या है ? २६३ में होने की वजह से क्या आपति है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप व्यवस्था देदें कि २६३ में यह व्यवस्था है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पोईन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा इस तरह से सूचना नहीं चाही जाती है; इस लिए अस्वीकार किया जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव के समय कपासन से आने वाले माननीय सदस्य जो कि मंत्रि–मंडल के उपमंत्री भी हैं उनके सम्बन्ध

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में इस सदन में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आक्षेप लगाया था कि 'सुखाड़िया मार्केट' जो कपासन के अन्दर बन रहा है उसके प्लाट्स की कीमत उन्होंने ले ली, मतलब उन्होंने गबन किया और म्युनिसिपैलिटी के अन्दर वह रकम जमा होकर सोसाइटी के मेम्बर्स को उसका पट्टा वगैरह नहीं मिला। इसके बाद मुझ से उपमंत्रीजी ने इसका स्पष्टीकरण करने के बारे में कहा कि वे इसका स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यह पसन्द करूंगा कि इसके बारे में मैं कुछ और जानकारी कर लूं और उसके बाद इसका स्पष्टीकरण करने की जब स्थिति होगी मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, इस वक्त स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस वक्त स्पष्टीकरण को इस सदन में नहीं रखा गया।

उसके बाद, कुछ ही दिन बाद जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे एक पत्र दिया और उस पत्र में यह लिखा कि उनको इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी और निर्माण समिति का जो रेकॉर्ड है उस रेकॉर्ड के अन्दर टेम्परिंग होने का खतरा है, इसलिए एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के जरिये उस रेकार्ड को जल्दी से जल्दी कब्जे में लिया जाय, इसकी आवश्यकता है। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि उनके इस पत्र के मिलने के बाद मैंने एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को मामूली तौर पर रेफर नहीं करके एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के हैड, एडीशनल आई० जी० पी०, श्री हनुमान शर्मा, को खुद को यह काम एन्ट्रस्ट किया कि वे स्वयं जाकर रिलेवेन्ट रेकॉर्ड अपने कब्जे में लेलें ताकि इस तरह का भ्रम फैलने की किसी प्रकार की गुन्जायश न रहें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : कब किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :–आपका पत्र मिलने के दूसरे रोज ही।

श्री भैरोंसिंह : तारीख क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तारीख ठीक से नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : ७ तारीख ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ७ को या किसी आगे की।

उनके जाने के बाद उन्होंने सारा रिलेवेन्ट रेकॉर्ड अपने कब्जे में लिया, और रेकॉर्ड लेने के बाद मुझे यह सूचना दी कि जहां तक रेकार्ड का सवाल है उसके अन्दर किसी भी प्रकार का टेम्परिंग नहीं किया गया है। साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, जो रेकार्ड उपलब्ध किया गया है उसमें श्री भवानीशंकरजी के नाम का किसी प्रकार का ट्रान्जेक्शन उसके अन्दर किया गया हो यह रेकॉर्ड में नहीं आता है। प्रश्न इस पर से यह उठ सकता है कि भवानीशंकरजी के नाम का रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हो, इसलिए जो रकम आई वह बीच में ही उन्होंने अपने पास रखली होगी, और इसलिए रेकॉर्ड के अन्दर दर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा यह भी सदन की जानकारी के अन्दर लाना चाहता हूं कि वहां पर दूसरे व्यक्तियों ने लिखित रूप के अन्दर एडीशनल आई० जी० पी० को यह लिखकर दिया है कि जो कुछ व्यापारियों ने रकम दी है वह उन लोगो को दी है और श्री भवानीशंकर का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेने-देने का सम्बन्ध नहीं आता है। कहीं भी भवानीशंकरजी के द्वारा ट्रान्जेक्शन नहीं हुआ है। यह स्टेटमेंन्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट दोनों ने अपनी तरफ से दिया है। और स्टेटमेंट के देने के साथ साथ जो एडिशनल आई० जी० पी० वहाँ गये हुए थे और जो उनके पास इस प्रकार की लिखा-पढ़ी थी कि जिसके अन्दर रकम इसमें कितनी आई और कुछ आदमियों को उसमें से रकम वापिस भी दी गई, उसका जो एक नोट था वह नोट एडिशनल आई० जी० पी० के पास में है। वे उसको साथ लेकर आये हैं, जो कि जेनुआइन डाक्युमेंट है, यह एडीशनल आई० जी० पी० की राय है। इसलिए मैं एम्फेटिकली इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जहां तक भवानीशंकरजी का सवाल है, रुपया जो कुछ व्यापारियों ने दिया है वह चेयरमैन को दिया है और सेक्रेटरी को दिया है, लेकिन भवानीशंकरजी के पास कोई रकम नहीं आई है। जो आरोप लगाया गया है वह निराधार और असत्य है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं एक चीज़ और स्पष्ट करदूं कि उस रोज इस विधान सभा में बहस में जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कि राजस्व उपमंत्री हैं उनके बारे में बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा था। श्री उमरावसिंह ने श्री रामप्रसाद लड्ढा के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। उन्होंने सिविल कोर्ट, भीलवाड़े के एक फैसले का हवाला देते हुए श्री रामप्रसाद लड्ढा के सम्बन्ध में कहा था कि फर्जी दस्तावेज बनवाये और झूठी शहादतें दिलवाईं और फर्जी कार्यवाही की और जजमेंट में लिखा है जिसकी कापी पेश करता हूं; मैंने इस केस के तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है, वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। मुझे आश्चर्य हुआ कि विधान सभा के जिम्मेदार सदस्य इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। तथ्य इस प्रकार के हैं—

सन् १९५० में श्री मोतीलाल ने ३०००) रु० की वसूली के लिए श्री जवानसिंह के विरुद्ध सिविल जजी कोर्ट, भीलवाड़ा में सिविल सूट दायर किया था। प्रतिवादी ने जवाब में यह कहा कि चूंकि रिनोवेशन ऑफ कन्ट्रेक्ट हुआ है इसलिए असली दस्तावेज के आधार पर यह सूट नहीं चल सकता है। इसके पश्चात् प्रतिवादी ने ६ गवाह पेश किये जिसमें श्री रामप्रसाद लड्ढा भी थे। वे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाये गये। सब बयानों पर विचार करने के पश्चात् कोर्ट ने फैसला दिया—

(१) अव्वल में एक मुश्त रुपया वापिस देने का था। बाद के कान्ट्रेक्ट में जो कि प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है उसमें किश्त से चुकाने का प्रावधान किया गया है।

(२) अव्वल के कान्ट्रेक्ट के अनुसार सूद की दर १२ पर्सेन्ट है और बाद के कान्ट्रेक्ट के अनुसार सूद की दर ६ पर्सेन्ट है।

(३) सेकण्डरी डिफेन्स को प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट की इजाजत नहीं ली गई और दस्तावेजों को सही प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह नहीं है।

(४) यह वकील के मुन्शी द्वारा नहीं लिखी गई और किसी दूसरे ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है।

इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया कि इन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जुमला वजूहात से शहादतें मुद्दायला सच मालूम नहीं होती और नजर अन्दाज की जाती हैं ।

कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर श्री उमरावसिंह ने उपरोक्त निष्कर्ष निकाला और श्री रामप्रसाद के विरुद्ध आरोप लगा दिये । इस निर्णय तथा श्री उमरावसिंह द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से मुझे कोई भी सम्बन्ध नहीं दिखता है । यह निष्कर्ष न्याय संगत एवं वांछनीय नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है वह मैं समझता हूं बिल्कुल असत्य है, निराधार है और अपने एक उपमंत्री को बचाने का षडयन्त्र है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि केवल इतना सा ही प्रश्न होता कि श्री नन्दवाना का इसमें कोई ट्रान्जेक्शन नहीं है तो श्री नन्दवाना उसी दिन खड़े होकर कह सकते थे कि मैंने रुपया नहीं लिया और मेरा इस ट्रान्जेक्शन में कोई भी हाथ नहीं था । २६ तारीख से लेकर आज तक इस बात का इन्तजार करना और उसके बाद मन्जूर करना या नामन्जूर करना कि इस ट्रान्जेक्शन में कोई हाथ है या नहीं, यही बात लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आये हैं ? माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को लेकर सदन में नहीं आये कि श्री नन्दवाना उत्तर नहीं दे सके तो १२ दिन इन्तजार करना केवल इसी बात के लिए था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने स्पष्ट कहा उनसे कि आप उत्तर नहीं दें मैं जानकारी के बाद जवाब दूंगा । इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया । यह सवाल नहीं खड़ा होता है । १२ दिन इसलिए रखा है कि सारी स्थिति की जानकारी कर पायें ।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह से रेकॉर्ड को टेम्पर किया गया है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बारे में बहस खड़ी करने के लिए श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल ने नोटिस दिया है तो जैसा कि नियम है २६३ उसके अन्दर बहस रखी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर यदि उपयुक्त समझा जायगा तो समय दे दिया जायगा माननीय सदस्य को ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : जो कुछ भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फैसले के बारे में जिक्र किया है जो कि मैंने सदन की टेबिल पर रखा है, मैं चाहता हूं कि उस फैसले को ठीक ढंग से पढ़ा जाय और पूरा का पूरा पढ़ा जाय तो जो कुछ मैंने कहा है वह उसके अन्दर लिखा हुआ है । एक कापी और मेरे पास है ! जिस तरह से उस चीज को गलत तौर से यहां रख दिया है उससे कोई फायदा नहीं है । उसकी एक कापी मेरे पास हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप कह रहे हैं कि फैसले की पूरी कॉपी रखी है तो उस फैसले में श्री रामप्रसाद लड्ढा को झूठी दस्तावेज बनाने वाला बताया यह कौन सी कोर्ट के जजमेंट की लाइन है ? कृपया उसको पढ़ दें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं कहता हूँ कि लिखा है उसमें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कृपया उसको पढ़ दें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें लिखा है कि बयानों को झूठा माना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो लाइन लिखी है वह पढ़ दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सदस्य महोदय का कयास है।

श्री अध्यक्ष ; Order please!

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान रूल २८८ की ओर दिलाना चाहता हूं :

"288-If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House he shall lay the relevant paper on the Table :"

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने अभी जो वक्तव्य यहां पर किया है उस सम्बन्ध में जिन पेपर्स का हवाला दिया है, तो उन सब कागजों को जिनके बारे में आपने रेफ्रेन्स दिया है वे सारे डॉक्युमेंट्स सदन की मेज पर रख दें जिससे कि उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भविष्य में कोई कन्ट्रोवर्सी न हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एन्टी-करप्शन और पुलिस के जरिये कई इन्क्वायरीज़ चल सकती हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : आवश्यक क्यों नहीं है? रूल्स में प्रोवीज़न है। मेम्बर का प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष : जिन डॉक्यूमेंट्स को कोट किया है। यहां मतलब फैसले से है जो श्री लड्ढा के बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जजमेंट तो आ सकते हैं। इसके बारे में हमारी मांग नहीं है। विशेष रूप से एन्टीकरप्शन के बारे में आज जिक्र है। उस सम्बन्ध में जो डाक्यूमेंट्स हैं, वे सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने कुछ कागज जब्त किये हैं, बयानों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने बात कही है, वे सब सदन की मेज पर रखे जायं जिससे डिस्कशन के टाइम पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष : जिन डॉक्यूमेंट्स से कोटेशन लिया जाय, जैसे फैसला है, वे आ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डॉक्यूमेंट्स को रेफर किया है।

श्री अध्यक्ष : वे डॉक्यूमेंट्स नहीं कहे जा सकते।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : जिस स्पोर्टिंग स्पिरिट से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने चार्जेज़ लगाये हैं और जिस तरह से इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने सुना और जिसका जवाब यहां दिया गया है तो उसमें ऐसे ही टैक्नीकल ऑब्जेक्शन्स को महत्व नहीं देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आप करप्शन को शील्ड कर रहे हैं, हमको नाराज़गी सिर्फ इस बात की है।

Page No 42

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी को शील्ड नहीं किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल शील्ड किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर शील्ड करने की जरूरत होती तो एडीशनल आई. जी पी. को भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री भैरोंसिंह : मजबूरियां भी तो कुछ होती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने मांग की तभी उनको भेजा। आपने कहा कि एन्टीकरप्शन के जरिए जांच की जाय। आपकी मांग पर उनको भेजा। आपको एहसास करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि विलंब क्यों हुआ। आज सारे फैक्ट्स अगर सामने रखना चाहते हैं तो उसका एड्वान्टेज उठाने की कोशिश की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हम कोई ऐडवान्टेज नहीं उठाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जिसने गबन किया है, he should be punished.

श्री बरकतुल्ला खां : एक तो माननीय उपमंत्री के खिलाफ कितना सीरियस चार्ज लगाया। उसके बाद में मुख्य मंत्री जांच करवाते हैं, अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं और जांच के बाद सदन के अन्दर स्पष्टीकरण करते हैं। अब यह ऐतराज उठाया जाता है तो मैं समझता हूं कि सदन की परम्पराओं के खिलाफ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि अगर मुल्जिम के पास कोई जवाब नहीं है तो वकील की लाख बहस भी उसे नहीं बचा सकती। उप-मंत्री का कोई जवाब नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुल्जिम और दूसरे सवालों को यहां लाने से बैटर यही है कि ऐसे प्राइवेट ट्रांजैक्शन में लीगल एक्शन लें। यहां जिस प्रकार से इस इश्यू को रखा गया मैंने उसकी जानकारी सदन के सामने स्पष्ट करली। इसके बाद में नहीं समझता कि बाकी क्या रह गया। They can take legal action.

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल २६३ में....

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

श्री भैरोंसिंह : इस चार्ज के संबंध में नहीं पूछता। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि कपासन में जांच कर ली। मैंने जो खादी बोर्ड पर आरोप लगाए थे अपने लेटर में उसके बारे में लिखा था कि एन्टीकरप्शन आई. जी. पी. को रिकॉर्ड दिया जाय तो उसके बारे में क्या किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके बारे में जानकारी कर ली है और जो फैक्ट्स हैं उनसे सदन को अवगत कराऊंगा। श्री

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भवानीशंकर जी वाली गबन की बात नहीं है। आपका लैटर बहुत स्पेसिफिक है और आपके लैटर की कॉपी के साथ मैंने एडीशनल आई. जी. पी. को भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : लैटर पढ़कर सुनाइये।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आई. जी. पी. की रिपोर्ट सदन में रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। कई रिपोर्ट्स होती हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री अपनी धारणा बनाते हैं, उन सारी चीजों को सदन में रखने के लिए बाध्य किया जाय तो अन्त नहीं हो सकता। जिस चीज को किसी ने सदन में कोट किया हो उस कागज को सदन में रखा जा सकता है।

(४·०५ म. प.)

राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र-निर्धारण) (सरकारी) नियम १९६३ के प्रारूप पर अग्रेत्तर विचार-विमर्श

सीलिंग्ज रूल्स, उन पर बहस। श्री सुराणा।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मैं कल इस पर बोल रहा था......

श्री अध्यक्ष : आपने ३४ मिनट ले लिए थे।

श्री केसरीसिंह : कुछ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट।

श्री केसरीसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग्ज रूल्स के बारे में जितनी बातें मुझे कहनी थी करीब-करीब सब कल कह दीं। सिर्फ एक ही बात कहनी है जो रह गई थी वह बहुत संक्षेप में अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रेवेन्यू लाज़ कमीशन जो मुकर्रर किया है वह जमीनों सम्बन्धी जो भी कानून हैं उन कानूनों पर गंभीर विचार-विमर्श करेगी और थोड़े ही समय बाद अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करने वाली है। अब ये रूल्स जो बने हैं सीलिंग्ज के वे डिफेक्टिव हैं। यह बात कांग्रेस के सदस्यों ने भी कही है, जनसंघ के सदस्यों ने भी कही है, इन्डिपेंडेंट्स ने भी कही है और साम्यवादी जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी इन रूल्स को जिस रूप में वे सामने हैं, उनको लेकर खामियां बताई हैं। प्रिपेरेशन ऑफ लिस्टस के बारे में, कइयों ने कहा कि प्रोसीजर बड़ा कम्बर्सम है और यह सारा काम तहसीलदारों से करवाए जाने से बड़ा खतरा रहेगा या पंचायतों के मार्फत भी हो सकता है। इस तरह के सजेशन्स भी आए हैं। फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्स के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री मुरलीधरजी ने बताया था कि बीकानेर में काश्तकार की जमीन का जो प्रावधान रखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा १६१ एकड़ हैं और वहां की एवरेज ईल्ड है एक मन पर एकड़ बाजरा को तो १६१ एकड़ पर हैं, ज्यादा से ज्यादा १६१ मन बाजरा पैदा कर सकेंगे तो उसमें ३००मन गेहूं हो सकते हैं उसके इक्विवेन्ट पैदावार किस प्रकार से होगी यह बात समझ में नहीं आई। नागौर के अन्दर सोनथल और स्वालख इस प्रकार के इलाके हैं। उनमें वास्तव में सोनथल और थल करीब-करीब एक जैसी जमीन है और स्वालख की जमीन

(श्री केसरीसिंह)

उससे अच्छी है । लेकिन रखा है आपने स्वालख और सोनथल को एक साथ जबकि वास्तव में सोनथल अगर थल के साथ रखना सही होता लेकिन नहीं रखा गया । इस तरह की कई बातें हैं । जैसे कन्सोलीडेशन की फीज फिक्स करने के लिए भी राजस्थान को तीन जोन्स में बांट दिया प्रोजेक्ट फरटाइल और डेजर्ट । जैसे आहोर है वह कम्पेरिटिवली बहुत फर्टाइल है, उसको डेज़र्ट में रखा और पाली जोकि वास्तव में डेजर्ट सा है उसको फर्टाइल रखा । तो ऐसी गल्तियां हैं । श्री तेजारामजी ने नहीं बताया कि जो चाही जमीन है उसमें कई किस्में हैं, चाही अव्वल है और चौथे नम्बर की चाही भी है, जिसमें एक साल में जहां खेती करते हैं इसके बाद दो तीन साल तक फसल नहीं हो सकती । उस जमीन को भी आपने उस कैटेगरी में रखा है तो इस प्रकार की फिक्सेशन ऑफ सीलिंग्ज़ वर्क आउट करने में भी जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें बड़ी त्रुटियां हैं । इसी प्रकार से एग्जेम्पशन्स की बात है, जैसे कैटल फार्मस और शीप फार्मस की बात है कि फलानी तारीख से पहले अगर कोई फार्म रजिस्टर करा देता है तो उसको रेकॉग्नाइज किया जायगा वरना नहीं । इसमें कोई फर्क नहीं दीखता ।

इसी प्रकार कंपेन्सेशन के बाबत भी कोई माननीय सदस्यों ने बताया कि ये इस प्रकार से वर्क आउट किये गये हैं कि ये ईक्विटेबल नहीं है । मतलब यह है कि ये रूल्स हर तरह से डिफेक्टिव हैं, सभी माननीय सदस्यों ने इन्हें डिफेक्टिव बताया है । मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में रेवेन्यू लॉज कमीशन बना हुआ है जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस चेयरमेन हैं और दूसरे भी एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स हैं, नोन-ऑफिशियल्स भी हैं, ऑल शेड्स ऑफ ओपीनियन के माननीय सदस्य इस हाउस के भी हैं उनके सामने ये रूल्स रखे जायें वे गंभीरता से इन पर विचार करके अपनी राय दे दें तो ज्यादा वाजिब होगा जैसे आपकी सादिकअली कमेटी पंचायती राज के सम्बन्ध में बनी हुई है । पंचायतों के सम्बन्ध में जिस वक्त भी बात आई तो यह कहा गया कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आनेवाली है उसके बाद हेर फेर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इसी कारण से पंचायतों के इलेक्शन भी आगे सरकाये गये । इलेक्शन इतने इम्पोरटेन्ट नहीं है । हर तीसरे साल के बाद आते हैं । लेकिन यह तो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट इश्यु है । एक बार आता है सैकड़ों सालों में । यह नहीं कि आज कर दिया और ५ साल बाद फिर करदें । इसलिये इतनी जल्दी करने की आवश्कता क्या है यह समझ में नहीं आता । सरकार की तरफ से यह रवैया है कि कमिट कर लिया है अब तो वी हेव बर्न्ट ओवर बोट्स । यह बहुत गलत रवैया है । आपको यह भी महसूस करना चाहिये कि अगर गलत है तो उसको सही करने के लिये अपने आपको बदलने के लिये तैयार रहना चाहिये और ऐसा ओपन एटिट्यूड रखना चाहिये ।

अब बात यह आती है कि यह गलत हैं या नहीं । मैने अपनी सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से बात की और पूछा कि क्या आप ईमान्दारी से यह महसूस करते हैं कि सीलिंग लागू करने से, इन रूल्स को लागू करने से काश्तकारों को आप फायदा पहुंचा सकेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं । तो मैंने पूछा कि फिर क्यों इसे लागू करते हो तो कहा कि पोलिसी है गवर्नमेन्ट की और as a loyal Government servant we have to execute it.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अफसर ने कहा, नाम बताइये ।

Page No 45

श्री केसरीसिंह : चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर) : भगवतसिंहजी मेहता ने कहा, ग्रब करलो कुछ करना हो तो ?

श्री केसरीसिंह : एक बार ग्रवसर मिला तब मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कहा कि ग्राप काश्तकारों को इससे क्या फायदा होगा तो वे मौन रहे। फिर कहा कि ये सारी बातें जब सीलिंग्ज़ पर बहस हो तो हाउस के सामने ग्राप रखना। फिर यह भी कहा कि how can be go back upon the policy जो दिल्ली से तय होती है। मुझे ग्रफसोस तो इस बात का है कि जो बातें दिल्ली से तय हो वे ही यहां होती हैं। समाज कल्याण विभाग के बारे में भी यह कहा गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट ग्रौर ट्राइब के जो लोग म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं उनको इमदाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली से ऐसा तय हुग्रा है इसलिये जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में जिस समय ब्रिटिश राज्य था तो इंडियन रूलर्स थे उनके पास वहां से हुक्म ग्राता था उसको उदूली करने की मजाल क्या, चूं तक नहीं कर सकते थे। ग्राज ग्राप उनसे भी ज्यादा गुलाम हैं सेन्टर से जो बात ग्रावे वह हूबहू मंजूर हो जाती है। कोई बात ठीक नहीं है तो भी हर्ज नहीं है, ग्राप उनसे यह नहीं कह सकते कि यह ठीक नही है ऐसा नहीं हो सकता इंडियन प्लानिंग बोडी एक बहुत बड़े हिमायती हैं प्लैन्ड डेवलपमेन्ट के प्रोफेसर हिगिन्स वे हमारे यहां की प्लानिंग के बारे में यह बताते हैं कि इंडियन प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं वह इस इलाके की करते हैं जिसकी उनको पूरी वाक्फियत ही नहीं है। उसका कारण यही है कि प्लानिंग नीचे से न होकर ऊपर से होता है। ऊपर से जो तय करते हैं वहीं नीचे मानना होता है।

ग्रापने जो सीलिंग लागू करने का तय किया है उससे वास्तव में किसानों को फायदा है या नहीं है इसके बारे में राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन के जो सदस्य हैं वे गंभीरता से विचार कर सकते हैं ग्रौर उसके बाद राय दे सकते हैं। दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी ग्राप राय ले लें जो ग्राम काश्तकार हैं उनसे भी ग्राप राय ले लें वे इसको चाहते हैं या नहीं। ग्राप ग्रच्छी तरह से विचार करलें कि वास्तव में इससे किसानों का हित होगा या नहीं उसके बाद इस पर निर्णय लें। ग्रापके जो पहले सेन्टर के मंत्री थे एग्रीकल्चर के श्री पंजाबराव देशमुख उन्होंने कहा है कि हमारे लैन्ड रिफार्म्स से नुक्सान हुग्रा है, प्रोडक्शन घटा है, केप्टिल शाइ हुग्रा है नथिंग बट हार्मनेस हेज कम ग्राउट। ग्रॉफ देम ये उनके शब्द हैं। ये व्यूज हैं उन लोगों के who probaly know what they say; जिनको इग्नोर करना कहां तक वाजिब है ? वस्तु स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति देखते हुए यह हितकर है या नहीं इस पर विचार करना क्या उचित नहीं है ?

यह भी नहीं है कि इसमें कोई डिलेइंग टैक्टिम्स हों। चंद महीनों में ही उसकी राय ग्रायगी ग्रौर उनकी राय ग्राने के बाद जो उचित लगे तो करना चाहिये। मैं ग्रर्ज करूँ कि डिलेइंग टेकटिस मानते हों ग्रौर यह समझते हों कि सामन्तवाद के हामी जिनको ग्राप कहते हैं वे इसमें फायदा उठा लेंगे ग्रौर उनपर वेन्जियेन्स ही लेना करना हो तो यह कर दीजिये कि जागीरदारों की जमीन पर सीलिंग लागू करेंगे। मैं इसके पक्ष में होऊंगा लेकिन ग्राप ग्राम काश्तकार के लिये दी होल पीजेन्टरी के लिये यह रास्ता क्यों ग्रख्त्यार कर रहे हैं : पीजेन्टी कंट्री की प्राइड है इसलिये पीजेन्टरी

(श्री केसरीसिंह)

का डेस्ट्रोय करना ठीक नहीं है पीजेन्टरी वन्स डेस्ट्रोयड केन नेवर रिकवर। ये मेरे ही विचार नहीं है बड़े बड़े ग्रोथर्स के विचार हैं। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन हैं कि इस पर ग्राप गम्भीरता से बात करें।

पंचायतों के बारे में कोई बात ग्राती है तो बार बार सादिक ग्रली कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं। जरासी भी बात पंचायतों के बारे में ग्राती हैं तो कहते हैं कि सादिक ग्रली कमेटी की राय ग्रायेगी उसके बाद विचार करेंगे। तो मैं यह निवेदन करूँगा कि यह तो जरूरी मसला है। रेवेन्यू लॉज कमीशन योग्य व्यक्तियों का कमीशन है उसकी राय लेने में ग्राप क्यों हिचकते हैं। मेरा यह नम्र निवेदन हैं कि यदि ये सारी बातें ग्रापको मान्य नहीं हैं ग्रौर ग्राप इसी रास्ते पर चलेंगे तो ग्राप वही करेंगे जो हमारे साम्यवादी मित्र चाहते हैं वे कहते हैं कि ग्राप ग्रागे की बात देखते हैं जरूर देखता हूं इनएविटेवली सीलिंग लोवर होगा। जिनके पास ग्राज जमीन है, ग्राराम से खेती कर सकते हैं उनके पास कम जमीन रहेगी ग्रनइकोनोमिक होल्डिंग हो जायगी, लाभप्रद खेती नहीं हो सकेगी ग्रौर भूमि-हीनों को जो ग्राप जमीन देंगे, उस थोड़ी सी जमीन पर खेती करके वे ग्रपना पेट नहीं भर सकेंगे तो मजबूरन उन सबको कोग्रापरेटिव फार्मिंग का रास्ता लेना होगा जोकि कम्युनिस्टों का तरीका है वह पीजेन्टरी के लिये घातक है, बुरी बात होगी, प्रोडक्शन भी गिरेगा ग्रौर ग्रापके राज्य के लिये भी हितकर नहीं होगा। ग्राप इस रास्ते पर जायेंगे तो मैं ग्रापसे कहूंगा कि ऐसा करने से कांग्रेस सरकार ग्रपनी कब्र ग्राप खोद रही हैं, ग्रपना कफन तैयार कर रही हैं ग्रौर इसे कानून का इम्पलीमेंटेशन जो है। It will be one more nail in the conffin.

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : ग्रध्यक्ष महोदय, दो दिन से सीलिंग के नियमों पर हो रही बहस में माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण भाषण दे चुके हैं। बहुत ग्रच्छा तो यह होता कि हमारी सरकार इन नियमों को सीलिंग एक्ट पास होने के फौरन बाद में ही ग्रमल में ले ग्राती लेकिन इन परिस्थितियों के कारण सीलिंग के नियमों को यह सरकार ग्रमल में नहीं लाई उसका ब्यौरा तो मैं ग्रपने भाषण में दूंगा लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले कि इन सीलिंग के नियमों पर जो बहस हैं ग्रौर उस पर यह कहा जा रहा है कि पीजेन्टरी को डेस्ट्रोय करने का बहुत बड़ा हथियार है, मैं इस राय से कतई इत्तफाक नहीं करता। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीलिंग के नियमों से सिर्फ १० परसेन्ट निहित स्वास्थ के लोगों पर चोट ग्राती है। १० परसेन्ट लोग हमारी समाज में ऐसे हैं जिनके पास इतने साधन हैं, उनकी ग्रावाज में इतनी ताकत है इसलिए उन्होंने एक हवा इस प्रकार की फैला दी है कि सीलिंग नियमों से पीजेन्ट्री को डेस्ट्रॉय किया जा रहा है। बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सीलिंग नियमों से यह सरकार पीजेन्ट्री को डेस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, इन सीलिंग नियमों के द्वारा यह सरकार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाना चाहती. जैसा कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्राप दिन में ख्वाब ले रहे हैं। ग्राप सोच रहे हैं कि यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम तो तब होता, यदि यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

१६५६ में ही फोर्स में आ गया होता । और चार सालकी देरी से, अध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ है कि हजारों रजिस्ट्रीज़ हो गईं ।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि चालीस करोड़ के ट्रान्सफर्स हो गये, पैंतालीस करोड़ की रजिस्ट्रीज़ हो गईं। अगर सारे राजस्थान का हिसाब लगायें तो दो सौ करोड़ रुपये की जमीन का ट्रान्सफर इन चार साल के अर्से में हो गया है । मुझे हैरत होती है, अध्यक्ष महोदय, जब में सुनता हूं कि उस जमीन को लैंडलेस टीनेन्ट के पास पहुंचा दिया गया है । इस दलील के प्रचार में, इस प्ली में—मुझे अफसोस है, हमारे साम्यवादी मित्र भी आगये और इस प्ली के शिकार बने कि हजारों बीघा और हजारों मुरब्बा जमीन लैंड लेस टीनेन्ट्स ने खरीद ली है । यदि स्थिति यह होती, अध्यक्ष महोदय, लैंडलैस टीनेन्ट्स ने खरीद ली होती तो सीलिंग लॉ को लाने की आवश्यकता नहीं थी । इस कानून की, नियमों को बहुत बखूवी स्क्रेप कर सकते थे, इसके विना काम चल सकता था । लेकिन यह हकीकत नही हैं, जिन लाखों लोगों को, यह सदन उस वक्त १६५६ में कानून पास करते वक्त जमीन देना चाहता था, वे लाखों बेजमीन लोग आज भी बिना जमीन के हैं और जमीन का ट्रान्सफर सिर्फ उनके हित में किया गया है जिनके पास पहले ही बहुत जमीन थी और जो रिश्तेदार थे । जब बड़े लोगों ने यह देखा कि इतनी जमीन नहीं चल सकती, तो भाई-भतीजे, रिश्तेदार और मित्रों के नाम जमीन को ट्रान्सफर कर दिया । हमारी सरकार क्या करती रही ? हमारी सरकार चुपचाप सोती रही । सीलिंग का एक्ट हैं, सीलिंग के नियम भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाना चाहूंगा कि उस वक्त के राजस्व मंत्री ने इस एक्ट में चोर दरवाजा कायम गिया। कानून के अन्दर, इस बिल के प्रोविजो के अन्दर खुली क्लूट रखी गई है । इस तरह के ट्रान्सफर किये जायेंगे, सही यह है कि एक लाइन लिख दी गई कि सरकार ऐसे ट्रान्सफर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी । लेकिन नीचे के पैंरा में लिख दिया कि जो जमीन इस तरह बेची जायगी, खरीददार को अधिकार होगा कि बेचने वाले जो कम्पेन्सेशन, जो मुआवजा सरकार दे, उसके मुआवजे के भीतर से उसका चार्ज लैंड रेवेन्यू के चार्ज के बाद दूसरा चार्ज रखा जायगा। मतलब क्या हुआ ? एक तरफ कहा कि ऐसे ट्रान्सफर को मान्यता नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ खरीदने वाले को यह आश्वासन दिया कि जो रुपया लैंड होल्डर को देंगे, जमीन बेचने वाले को देंगे, जमीन की कीमत के रूप में यदि जमीन नहीं मिली हैं तो खरीददार को रुपया वापिस दिलवा देंगे। सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो मुआवजा सरकार देगी जमीन वाले को, उस मुआवजे में भी हक होगा । नतीजा यह हुआ कि इस प्रोवीज़न के लगाने पर भी ट्रान्सफर किये और धड़ल्ले के साथ दो सौ करोड़ रुपये की जमीन का ट्रान्सफर राजस्थान में हो गया और जो जमीन राजस्थान में सीलिंग एक्ट लगने के फलस्वरूप उन बिना जमीन वालों के लिए निकल सकती थी उस पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया ।

श्री केसरीसिंह (अश्रव्य) : अध्यक्ष महोदय, आज दलील क्या दी जाती है, मुख्य मंत्री जी पूछते हैं मेरे दल के नेता को-आप क्या पेनाल्टी इम्पोज़ करना

Page No 48

(श्री केसरीसिंह)

चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से जमीन बेच दी है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोशलिस्ट पार्टी के पास उनके लिए पैनाल्टी है और सोशलिस्ट पार्टी इस सरकार के लिए भी पैनल्टी प्रोपोज़ करना चाहती है, जो आंख मीच कर सोती रही और वैधानिक तरीके से, जो सैकिंड फाइव इयर के प्लान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स थे उनको ऑपरेशन में नहीं, लाई उनको कार्यान्वित नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खरीददार को जिसने जमीन बेची वह मुल्जिम है, लेकिन वह मुल्जिम नम्बर तीन का है। मुल्जिम नम्बर १ राजस्थान सरकार हैं, मुल्जिम नम्बर दो मुख्य मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में यह सरकार चलती रही और उधर ट्रान्सफर होते रहे और सीलिंग का कानून एक तरफ चलता रहा। आज यह कहा जाता है कि चूंकि ट्रान्सफर हो गये तो जिन लोगों ने जमीन ले ली उनको बेदखल करना मुश्किल है इसलिए सारे रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज़ कर लिये जायं। लीडर ऑफ अपोजीशन ने यह दलील दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे ट्रान्सफर को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाय, तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजीशन दावे से कह सकते हैं कि एक बीघा जमीन भी राजस्थान के लैंडलैस पर्सन्स को मिल सकेगी, जिसे प्रायोरिटी नम्बर १ दी गई है, इस सीलिंग नियमों में जिसे प्रायोरिटी नम्बर १ दिया है लेकिन जिसको सीलिंग के नियमों में प्रायोरिटी नम्बर १ दिया है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है क्योंकि दूसरे लोगों का जमीन पर कब्जा हो गया है इन चार सालों में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह बहुत ही अनप्लेजेंट जोब है कि जो जमीन पर बैठा है उसको जमीन से निकाला जाय। लेकिन इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं है क्योंकि सरकार बहुत कमजोरी महसूस करती है, सरकार पर इन्टर्नल प्रेशर्स हैं और इस सदन में बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है जो सरकार को इस बात में मदद करे कि उन सारे ट्रान्सफर्स को रेगुलराइज़ कर दे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप उन पवित्र निर्देश, उन पवित्र निर्णय, जो सीलिंग एक्ट पास करने के साथ किये थे, जिन लोगों को जमीन देना चाहते थे, आपके ध्यान में वे लोग होने चाहिए थे और ट्रांसफर रेगुलराइज़ करने से पहले आप निर्णय करें कि आप यदि ट्रान्सफर रेगुलाइज कर दें उन लोगों को जमीन कहां से मिलेगी जिनको चार साल पहले आपने आशा जगाई थी, जिन्होंने आशा की थी। ३,८०,००० एग्रीकल्चर लेबर राजस्थान में हैं और उन लोगों को जमीन पर बसाने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता है, यदि एक आदमी को तीन एकड़ जमीन दी जाय तो कम से कम ६० करोड़ एकड़ जमीन चाहिए, १ करोड़ २० लाख एकड़ जमीन चाहिए। अगर सीलिंग एक्ट पास होने के बाद १९५९ में ही लागू कर दिया जाता, तो मेरा निवेदन है कि बीस लाख एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन नहीं निकल सकती थी। इसलिए हमारी पार्टी यह नहीं मानती कि सीलिंग एक्ट, सीलिंग रूल्स लागू होने से किसानों की हालत अच्छी हो जायगी, उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि २० लाख एकड़ भूमि निकलती है और बीस लाख एकड़ भूमि ३ लाख ८० हजार एग्रीकल्चरल लेबर, लैंड लैस टीनेन्ट हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनके लिए काफी नहीं होती है, जबकि उतनी जमीन उनके लिए काफी नहीं थी तब जिनके पास में कुछ जमीन थी, उन्होंने ज़मीन बेच

(श्रीश्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

दी, उसको रेगुलराइज़ करने का प्रश्न क्यों उठता है ? सोश्यल जस्टिस की प्ली और....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : मैंने रेगुलराइज़ करने के सम्बन्ध में यह कहा, सर्व मान्य यह बात मानी गई है' "Delay defeats equity" उस सम्बन्ध में सरकार को कहा था कि सरकार का इसमें कुसूर है। सरकार की स्पष्ट नीति नहीं थी। यदि सरकार की नीति स्पष्ट न हो तो इसका कुसूर, खमियाजा हम क्यों भुगतें ? वह सरकार भुगते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि विरोधी दल के नेता का यह कहना है कि उन्होंने रेगुलराइज़ करने की बात नहीं कही, उन्होंने खमियाजे की बात कही और कहा कि सरकार को गलत नीतियों के फलस्वरूप जिन्होंने अपटू सिलिंग लिमिट जमीन खरीद ली, उनका क्या दोष है। मैं उनके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, उनका

(४.२६ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभा नेत्री, पदासीन)

दोष यह है कि उन्होंने कानून के विरुद्ध ट्रान्सफर किये। कोई आदमी कोई विरोधी दल के नेता यह प्लीड नहीं कर सकते कि कानून की इगनोरेन्स........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में तो सरकार को उचित कार्यवाही करनी थी ना ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो बहुत कमजोरी महसूस करती है आपके प्रेशर का मुकाबला करने के लिए, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो यह प्रश्न उठाते हैं कि इस खमियाजे का क्या किया जाय ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सारी जिम्मेदारी सरकार पर है, इसलिए सरकार जिन लोगों ने जमीन बेची है, कीमत प्राप्त की है, उन कीमतों को एज़ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उन लोगों से वसूल करे, जिन्होंने नाजायज रूप से जमीन ट्रान्सफर करके धन दौलत प्राप्त की है। सभानेत्रीजी, यह रकम कोई मामूली रकम नहीं है, दो सौ करोड़ रुपये की रकम है, दो सौ करोड़ रुपये की रकम का पार्ट ज्यादा से ज्यादा उनका कम्पेन्सेशन बन सकता था तो वह चालीस करोड़ बन सकता था और एक सौ साठ करोड़ रुपया जो जमीन वालों ने प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने का कानूनी अधिकार कोई नहीं था और इस सरकार ने जब कि यह कानून बनाया तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसकी स्प्रिट को आज भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप में यह हिम्मत होनी चाहिए कि जिन्होंने जमीन बेच कर रुपया गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया है, वह उनसे वसूल करें। एक दूसरा सुझाव मेरा यह है, सभापति महोदया, की एक तरफ तो आप अदर एरियर्स ओफ लैंड रेवेन्यू से रुपया वसूल करते हैं और दूसरी तरफ आप सीलिंग की लिमिट फिक्स करना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह रखा है कि लैंडलेस टीनेन्ट्स को सबसे पहले जमीन दी जाए। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले जमीन दी जाए वह शेड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ट्राइब्स के लोगों को दी जाय । यह मेरी पार्टी की नीति है कि सबसे पहले उन लोगों को जमीनें दी जानी चाहिये । लेकिन आपने जो इस संबंध में जो क्लॉज रख दिया है उसमें आपने यह किया है कि सबसे पहले दरख्वास्त जिसकी आवेगी उसकी पहले सुनाई होगी और उसको पहले जमीन दी जाएगी । मैं यह कहूंगा कि आपको इस रूल को रिलेक्स करना होगा । मान लें कि पहले ४९९ एप्लीकेशन्स आई हुई हैं और ५०० वीं अर्जी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के व्यक्ति की है तो उसे ५०० वीं अर्जी वाले व्यक्ति को पहले चान्स दिया जाना चाहिए और बाद में ४९९ अर्जियों वालों के केसेज् तय किये जायें । यह क्यों किया जाय ? इसके लिये जैसा पहले मैंने कहा था कि २० लाख एकड़ भूमि बचती है और आज जो ट्रान्सफर आॉफ लैंड हुई है उसके बाद मुझे भय है कि अब तक आपको सीलिंग लागू करने के बावजूद भी ५ लाख एकड़ भूमि आपको नहीं मिलेगी । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो लैन्ड लैस टीनेन्ट्स को भूमि देने के लिये जो व्यवस्था की है उसमें कोई लम्बी चौड़ी प्रायोरिटी फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यही घोषणा कर दें कि सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जिनके पास एक बीघा भूमि भी नहीं है और जो खेती करते हैं, दी जावेगी । तब तो आपके सीलिंग कायम करने का कुछ अर्थ होगा अन्यथा कुछ अर्थ नहीं होगा । उन लोगों को कोई भूमि नहीं मिलेगी ।

इसके बाद में सरकार से निवेदन करूंगा कि १९ दिसम्बर, १९५९ के बाद जितनी भूमि की ट्रान्सफर हुई हैं उसको नल एन्ड वोइड समझें, उसके बाद इन्टर्नल और एक्सटर्नल प्रेशर्स हुए हैं और प्रोपर्टी ट्रान्सफर हुई है, उसको अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ४ वर्ष पहले जिस समय इस एक्ट को पास किया था उस समय कितनी जमीन थी और अब कितनी है ।

सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी शायद इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इसके लिये मुआवजा दिया जावेगा । मैं वह निवेदन करूंगा कि सरकार जो मुआवजा बड़े बड़े जमीनवालों को देगी उसमें भी सबसे ज्यादा मुआवजा– कम्पेन्सेशन खादी धारियों को दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टीशन और बंटवारे की छूट रखी, मैं उसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग में इस पार्टीशन को रखने से सबसे ज्यादा नुकसान होगा । मैं यह नहीं कहता कि पार्टीशन रखा ही नही जाए या पार्टीशन होना ही नहीं चाहिये । पार्टीशन हो, लेकिन इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से इस पार्टीशन के नाम से बड़े बड़े लोग पार्टीशन करके इसका दुरुपयोग करते हैं । दो भाइयों में आपस में पार्टीशन हो सकता है लेकिन पति और पत्नि में बंटवारा नहीं हो सकता और जो लड़कियें जिनकी शादी हो चुकी है उनका नाम जोइन्ट फेमिली की डेफिनेशन में शुमार नहीं किया जा सकता । लेकिन पार्टिशन करते समय मुझे खेद है कि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और किया है । इसके लिये मैं किसी छोटे मोटे आदमी का उदाहरण नहीं देना चाहता । मैं इसके लिये राजस्थान के चीफ सेक्रेट्री का नाम लेना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने अपनी १९२।। बीघा जमीन का पार्टिशन किया और वह पार्टीशन उनके रहते हुए उनकी पत्नी और लड़की और बहिन और बहिन की लड़कियों के नाम से किया गया है जिनकी शादी हो चुकी हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप इसको कैसे कह सकते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पास सुबूत के लिये डोक्युमेन्ट्स हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order Sir, यह तो सारे राजस्थान में हुआ है। कोई भी इन रूल्स के जरिये नहीं हुआ है। सभापति महोदया, मैं कहूं कि वहां रूल्स के बारे में डिस्कशन है, एक्ट के बारे में नहीं है। इसी तरह जो एक अफसर है उसके बारे में कहना जो एक सिटिज़न की हैसियत से वह कोई भी कार्य करता है जो सारे राजस्थान में हुआ है तो उसका इन रूल्स से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो पर्टीकुलर आदमी जो यहां सदन में उपस्थित नहीं है और जो इस बात की सत्यता और असत्यता के बारे में कुछ नहीं कह सकता और अपना जवाब नहीं दे सकता है, उसके बारे में यहां पर कुछ कहना मेरे खयाल से उचित नहीं है इसलिये इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है उसके बारे में कोई बात डिस्कस की जा सकती अथवा नहीं ? अगर नहीं की जा सकती तो इनको रोका जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा): सभापति महोदया, हमारे यहां ऐसे ओब्जर्वेशन्स है और ऐसे मौके पर रोका जाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : आप जो कुछ कहें जनरल में कहें, पर्टीकुलर व्यक्ति का नाम न लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदया, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : आप उनका नाम न लें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : आप उनका ओहदा बता दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई आदमी जो यहां आकर अपना जवाब नहीं दे सके, उसकी बात यहां नहीं कही जाए।

श्री भैरोंसिह : यह कोई जरूरी नहीं है कि वह आदमी यहां सदन में हो ही, कोई भी सरकारी अधिकारी बाहर कोई कार्यवाही करता है तो उसके लिये कोई इस प्रकार का रूल नहीं है कि कुछ नहीं कहा जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑब्जर्वेशन्स हैं।

श्री भैरोंसिह : आपकी कोई बात मान ली हो, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं परम्पराओं की बात कहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: सभापति महोदय मैं आपको निवेदन करूं कि पहले गृह मंत्री जी ने कहा था कि यों तो सरकार का हर आदमी जिम्मेदार हैं लेकिन यहां हाउस में कनसर्न्ड मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं और हमें यहां पर मिनिस्टरों से कहने का हक है और उनके बारे में कहने का कोई हक नहीं है जो यहां आकर डिफेंड नहीं कर सकते। इस सदन ने उसको माना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, यदि मैं कोई बात सरकार का एक्ट

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

होता है उसके खिलाफ एक्शन्स कोई करता है उसके बारे में फैक्ट्स कहूंगा और यह जो पार्टीशन किया गया है हमारे चीफ सेक्रेटरी द्वारा बहुत व्यक्तिगत हैसियत से किये हैं उसका मैं रेफ्रेन्स देना चाहता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अपने यहां ओब्जर्वेशन में दिये हुए हैं।

श्रीमती सभानेत्री रावत : आप अपने विषय पर हीं बोलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : कोई भी आदमी का नाम जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट होल्ड करता है लेना सर्वथा अनुचित होगा क्योंकि वह लजिस्लेचर से कोई ताल्लुक नहीं रखता है एवं वह सदन में आकर जवाब नहीं दे सकता। इसलिए उसका नाम सदन में नहीं लाना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : आप आरम्भ रखिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हमारा कानून यह कहता है कि ६ दिसम्बर, १६५६ के बाद मैं कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकते तो उसके बाद में जो ट्रांसफर हुए हैं अपने बहिन के नाम से और लड़कियों के नाम से......

श्रीमती सभानेत्री रावत : मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूं कि किसी व्यक्तिगत नाम से आप न कहें।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): यह तो उन्हीं के विषय में है और इस पर आप बोल नहीं सकते।

श्रीमानिकचन्द सुराणा: मैं कोई टीनेन्सी एक्ट की क्लॉजेज़ को नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि वे टीनेन्सी एक्ट की धारा ३० को पढ़ लें। इस धारा को ए. बी. सी. डी. ई. एफ. जी. एच. आई. तक पढ़ने के बाद में बता दे कि चीफ सेक्रेटरी को पार्टीशन के जरिये ऐसा करने का हक था........

श्रीमती सभानेत्री : आपको बार-बार हिदायत की है कि जो व्यक्ति यहां पर नहीं है उसके बारे में आप कुछ न कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: इन शब्दों को हटा दिया जावे।

श्री भैरोंसिंह : यह आसान बात नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी पार्लियामेंट में 'सरदार प्रतापसिंह कैरों काण्ड' हुआ था उस समय सरदार प्रतापसिंह हाउस में मौजूद नहीं थे और उसके बारे में सारी बहस हुई है। इसलिये मैं माननीय उप-मन्त्रीजी को तारीख नोट कराना चाहता हूं कि किस प्रकार गांव हलेड में ११-१-६३ इस पंचायत ने ६-७ नामान्तकरण किये, चीफ सेक्रेट्री के रिलेटिव्ज़ के नाम से किये। उन्होंने न तो कोई सेल किया और न कोई गिफ्ट किया। मैं, सभापति महोदया, से पूछना चाहता हूं कि यह पार्टीशन कैसे हुआ जब कि उनकी बहिन शादी शुदा है और बहिन की लड़कियें भी शादी सुदा हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री राजस्व):केवल नामकरण होने से ही कोई पार्टीशन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मान लिया जावे या नहीं, यह अलग चीज है। यदि किसी पंचायत ने नामान्तरण कर दिया और वह हमारे कानून के अन्दर नहीं आता है तो वह निरर्थक है, यह कैसे प्रिज्यूम किया जावे कि नामान्तरण कर दिया है इसलिये यह पार्टीशन हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप लेजिस्लेटिव-प्रोसीजर जो मुझे बता रहे हैं उसको तो मैं एब्स्ट्रेक्ट रूप से जानता हूं लेकिन आपने ग्राम पंचायतों को इसके लिये अधिकार दिया है और आपने कोई सक्यूलर नहीं दिया कि ६ दिसम्बर, १६५६ के बाद में ट्रान्सफर करें तो किस प्रकार से करें।

इसके साथ ही सभापति महोदया, हजारों रजिस्ट्रेशन हुए हैं रजिस्ट्रार के दफ्तरों में, वहां एक भी सर्कूलर राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा कि रजिस्ट्रेशन नहीं करें। २०० करोड़ के ट्रान्स्फर्स हुए, इस पर ५ करोड़ रुपयों की कमाई राजस्थान सरकार ने इल्लीगल रूप से कर ली है। लोगों ने नान जुडिशियल स्टाम्प्स रजिस्ट्रेशन के लिये खरीदे हैं, अगर २ परसेन्ट के हिसाब से भी आपने फीस ली है तो आपने इस तरह के ट्रांसफर्स में ५ करोड़ रुपये का नाजायज मुनाफा, पिछले चार वर्ष की अवधि में सीलिंग एक्ट के नियमों को पास नहीं करके, और आवश्यक निर्देश रजिस्ट्रार को नहीं देकर किया है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? जो गरीब लोगों से आपने लिया है, जिसका दर्द विरोधी दल के नेता को है, आप उनके लिये दर्द पैदा करना चाहते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन को रोकने का निर्देश जारी किया नहीं, आपका सब रजिस्ट्रार्स को आदेश नहीं देना, पंचायतों को आदेश नहीं देना, नामान्तरण करण की छूट रखना, ट्रान्स्फर्स को देखते रहना और फिर कहना कि सीलिंग रूल्स को लागू करना चाहते हैं, मैं कहता हूं यह प्रवंचना है, इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार जुबानी रूप से सिद्धांतों का पालन करना चाहती है पर उसकी उन सिद्धांतों के प्रति निष्ठा नहीं है। ये सीलिंग रूल्स पहली प्लान में ही बन जाने चाहिये थे पर सन् १६५६ जो दूसरी पंच वर्षीय योजना का लास्ट ईयर था, दूसरी पंच वर्षीय योजना के लास्ट ईयर में सीलिंग का एक्ट बनाया गया और थर्ड प्लान के थर्ड ईयर में अब तक तो नियमों पर बहस हो रही है, अभी नियमों को लागू नहीं किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह गलत कार्यवाही हुई है, सरकार उसके लिये बड़े रूप में जिम्मेदार है और मुख्य मंत्री खरीददारो पर पेनाल्टी देना चाहते हैं। इसकी आवश्यक पेनाल्टी दीजिये पर नाजायज रजिस्ट्रेशन की फीस आपने, आपकी सरकार ने वसूल की है वह भी आप अपनी सरकार के जरिये उन लोगों को वापिस देने का इन्तजाम करिये। इससे ५ लाख एकड़ जमीन राजस्थान में निकलेगी, जिनके पास एक बीघा जमीन नहीं है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ट्रेजेरी बैंचेज में वे नहीं हैं, जिनसे आप बातें कह रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे खड़े हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : There should be somebody to represent the Government.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गर्वनमेंट हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हजार

(श्री गिरंजननाथ आचार्य)

बार माननीय सदस्य को समझा दिया, पर बार बार वही कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी आपको गवर्नमेंट मानते हैं क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या मानते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये, सभानेत्रीजी, मेरा दूसरा पोइन्ट यह है कि इन सीलिंग नियमों में जो अलॉटमेंट के रूल्स रखे हैं, उनमें बहुत बड़े संशोधन करने की आवश्यकता है। १९५७ के जनरल रूल्स ऑफ अलॉटमेंट हैं उनको इन नियमों से लागू किया है, पर मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि लैंड लैस टीनेन्ट्स को ५ एकड़ नहरी जमीन और १५ एकड़ बारानी जमीन देना चाहते हैं, इन नियमों के तहत तो आप बिलकुल अनइकोनोमिक होल्डिंग क्रियेट करना चाहते हैं। भाखरा में साढ़े बारह बीघा नहरी अलॉट करने के नियम हैं तो जनरल रूल्स ऑफ अलाटमेंट हैं उनके अन्तर्गत ५ बीघा नहरी और १५ बीघा बारानी देना चाहते हैं तो समानेत्री महोदया, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत ही फॉल्टी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : कितनी देनी चाहिये ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ एकड़ नहरी नहीं दें तो एक आदमी दो टाइम अपना पेट नहीं पाल सकता। सरकार के आंकड़ों के अनुसार किसानों को ७ आना रोज पैदा कराना चाहते हैं तो बात दूसरी है। मेरे खयाल से साढ़े बारह बीघा नहरी और ३० बीघा बारानी जमीन लैंड लैस टीनेन्ट्स को कम से कम देनी चाहिये।

जो नियम गंगकेनाल में अलॉटमेंट के हैं, ५३ में गंगकेनाल में अलॉटमेंट के नियम बने उनमें साढ़े बारह बीघा जमीन का प्रावधान है। आज से १० साल पहले साढ़े बारह बीघा नहरी जमीन मिलती थी और आज आप ५ बीघा दे रहे हैं। इस प्रकार के नियमों का मतलब है कि आप लैंड लैस टीनेन्ट्स को दक्षिणा, दान करना चाहते हैं, उसको आत्म-निर्भर करना नहीं चाहते, उसको रिहेबिलिटेट करना, एस्टेब्लिश करना नहीं चाहते। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सीमा में परिवर्तन करना चाहिये; साढ़े बारह बीघा नहरी और ३० बीघा बारानी कर देना चाहिये। क्योंकि इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ के लिये ३० एकड़ जरूरी है। ७५ हजार रुपया देकर पी. एस. लोकनाथन से राजस्थान सरकार ने टैक्नो इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान करावया। पी. एस. लोकनायन ने सारे आंकड़े निकाल कर कहा कि राजस्थान में एक एकड़ ६२ रु० रुपयो का नेट उत्पादन करता है, इस हिसाब से ३० एकड़ में १८०० रु० का उत्पादन हुआ। १८०० से कम में एक परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि १५ आना एवरेज इन्कम है तो उस हिसाब से वह पन्द्रह सौ सोलह सो के करीब आता है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए भी लैंड लैस टीनेन्ट का कम से कम साढ़े बारह बीघा नहरी और ३० बीघा बारानी जमीनं का अलॉटमेंट किया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि राजस्थान में इतनी जमीन नहीं है पर इन सीलिंग के नियमों से ही राजस्थान के भूमिहीनों की समस्या का हल नहीं होने वाला है। मान-

Page No 55

(श्री मानकचन्द सुराणा)

नीय सदस्य ने कहा कि ५ करोड़ एकड़ जमीन चाहिये। इतनी जमीन कहां से आये, जमीन कोई रबड़ नहीं कि उसे खींच कर बड़ी की जा सके। राजस्थान कोई ओवर पोपुलेटेड नहीं। मैं पी. एस. लोकनाथन की रिपोर्ट की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ; उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार हिन्दुस्थान के और हिस्सों में एक एकड़ का नेट उत्पादन ११५ रुपया है वहां राजस्थान में ६२ रुपया पर एकड़ नेट प्रोडक्शन होता है। तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि राजस्थान की खेती की जमीन की प्रोडक्शन को बढ़ायें। फिर मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि सीलिंग के रूल्स आप लागू करना चाहते हैं पर क्या हमें यह भी हक है आपसे पूछने का कि आपने ७५००० रुपया देने के बाद भी लोकनाथन का यह सर्टिफिकेट हासिल किया है कि यहां पर राजस्थान में पर एकड़ मिनिमम प्रोडक्शन है। राजस्थान के कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस सदन में इस बात की जांच कराने का आश्वासन दिया था कृषि मंत्री ने कि एक कमेटी पहले मुकर्रर की गई थी, उसको रीकॉन्स्टीट्यूट किया जायेगा और उसमें राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायगा। सभानेत्रीजी, उस कमेटी को रीकॉन्स्टीट्यूट करना तो दूर रहा, जैसी कोन्स्टिट्युटेड थी उसने फन्क्शन नहीं किया, तीन साल हो गये उस कमेटी को अपोइन्ट हुए जो यह जांच करे कि राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने तीन वर्ष के अन्दर उसकी मीटिंग तक नहीं की। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? राजस्थान के काश्तकारों को खुशहाल करने में कितने इन्ट्रेस्टेड हैं? सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग पास करके कांग्रेस बेन्चेज़ की थपथपाहट और टेबल कूटने से ही सरकार को संतोष नहीं कर लेना चाहिये। कुछ लोग कह दें कि यह क्रान्तिकारी कानून है। जिस शक्ल में है उससे पांच एकड़ जमीन निकलेगी। यह क्रान्तिकारी नहीं है। तब ही क्रान्ति निकलेगी इसमें से जब कि जितने भी ट्रान्स्फर्स हुए हैं उनको आप नल और वॉइड समझेंगे और प्रेशर में न आवेंगे।

सभानेत्रीजी, जिन लाखों लोगो ने जमीनें खरीद ली हैं उनका क्या होगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, लैंड लेस एक पर्सेन्ट होंगे. वास्तव में लैंड लैस हैं, बिना जमीन के हैं, टिनेन्सी एक्ट में जो जमीन की डेफिनेशन दी है मैं उससे सहमत नहीं हूं, जो फ्रेग्मेन्ट होल्डर्स हैं वे भी उसकी तारीफ में आते हैं, जो ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको नल एन्ड वॉइड कराया जाय और जो वास्तव में लैंडलैस हैं उनको प्रोयोरिटी दे दी जाय, यह मैं सुझाव रखना चाहता हूं, नियमों में भी इन्कोर्पोरेट किया है यह बात मैं जानता हूं।

एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। सरकार ने बड़े बड़े मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं उन पर सीलिंग फिक्स नहीं किया है। स्वतन्त्र पार्टी के, पाली से आये माननीय सदस्य ने सिफारिश की कि ३० एकड की छोटी होल्डिंग करते हैं, बड़े बड़े फार्म भी लोगों को नहीं रखने चाहिये। मैं ब्रिटेन के बहुत बड़े एक्सपर्ट डा० डडले स्टेम्प ने जो राय जाहिर की है वह बताता हूं कि एफिशियेन्ट फार्म और मेंकेनाइज्ड फार्म सौ एकड़ से ज्यादा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं होने चाहिये और मैं यह बात कह रहा हूं, माननीय सदस्य चरणसिंहजी, जो यू. पी. में हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी जो जोइन्ट फार्मिंग की पुस्तक है उसमें डा० डडले स्टेम्प की राय को सम्मिलित किया है। माननीय राजस्व मंत्री जी भी इसको देख सकते हैं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : इंगलैंड के कहने से क्या मान लिया जाय ? इंगलैंड का स्टेन्डर्ड दूसरा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रोडक्शन का तरीका सारे देशों में ऐसा हो गया है।

श्री केसरीसिंह : रेफरेन्डम कराने के लिए तैयार हो या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उस पर भी आ रहा हूं।

एफिशियेन्ट फार्म और मेकेनाइज्ड फार्म पर भी १०० एकड़ का साधारण तौर पर लागू करना चाहिये। सीलिंग में यदि कोई एग्जेम्प्शन देना हो तो सरकार दे सकती है, आप पॉवर रख सकते हैं। लेकिन साधारणतया यह कह कर कि एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म है मेकेनाइज्ड फार्म है, सीलिंग के कानून से एग्जेम्प्ट न किया जाय, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फार्म एफिशियेन्टली मेनैज्ड हो या न हो, सौ एकड़ की ओप्टिमम लिमिट लगानी चाहिये और उसमें संशोधन करना हो तो करना चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं मन्त्री महोदय, लाखों लोगों के साथ बिट्रेयल न हो जिनके लिए सीलिंग का कानून पास किया गया है, उसको मद्देनजर रखेंगे तो सरकार के हाथों में सीलिंग के नियमों को इम्प्लीमेन्ट कराने में काफी ताकत आवेगी और हमारी पार्टी चाहेगी कि सही स्प्रिट में उनको इम्प्लीमेन्ट किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : दो रोज हुए इन रूल्स पर बहस जारी है। सभापति महोदया, मैं सर्व प्रथम तो बधाई देता हूं इस सरकार को कि यह ही एक सरकार है जिसने रूल्स बना कर सदन को मौका दिया बहस करने का। सीलिंग के मसले को और रूल्स को इस सरकार ने इतना महत्व दिया है कि इस सारे सदन को उस पर अहसास है।

जहां तक इस सीलिंग के कानून का सवाल है इस सदन को बधाई देता हूं। जिसको कि हम बहुत पहले पास कर चुके हैं और जो सैद्धान्तिक प्रश्न थे वे पूरे हो चुके थे, लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि 'हर बोलो, पर नारायण न बोलो'। एक तरफ आवाज आती है सीलिंग न लगे। घबराहट लग गयी। तो मैं उनसे तो यह अर्ज करूं कि आज जो क्रान्ति हो रही है, जो आर्थिक स्थिति बदल रही है उसका स्वागत करना चाहिये। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। लेकिन जो देश में बदलाव आया है, जो क्रान्ति हुई है और आगे भी होगी खुशी के साथ देश की बढ़ोत्तरी के लिए इसका स्वागत करना चाहिये।

उसके बाद कुछ भाई ऐसे हैं, इस सरकार को उपदेश देते रहते हैं कि १३ वर्ष हो गये, बड़ी जोश से आवाज लगाते हैं, लेकिन जब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सीलिंग के रूल्स पर बहस हो रही है, इस मसले पर सदन में विचार हो रहा है तो वे नजर ही नहीं आ रहें हैं। एक भी नहीं हैं। क्या हालत है ? कम्युनिस्ट लोग किस तरह की बात करते हैं और आज एक भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद हैं ? वे अच्छी तरह से समझते हैं इस सीलिंग के बारे में अपनी राय देने का मतलब उनकी कोन्स्टिट्युएन्सी में क्या असर पड़ता है । या तो वे यह बहाना ले सकते हैं उनकी कोन्स्टिट्युएन्सी में श्योपतसिंह जी यहां नहीं हैं धोबी घाट यहां मचता है...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : तार से बुलाया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तार से बुलाये लोग सपोर्ट करें, स्थिति नहीं बनती है। मुझे अफसोस है रामानन्द जी सेठ साहब, भी यहां नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह 'धोबीघाट' शब्द है इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : धोबीघाट का मतलब उखाड़-पछाड़।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'धोबीघाट' तो श्रेष्ठ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अफसोस यह है कि कल जब वे बोल रहे थे तो कुछ नहीं इस तरह का तरीका अख्तियार करते हैं उससे सदन को आगाह रहने की जरूरत है। कांग्रेस जो कदम उठाती है उसको पिछड़ा हुआ कदम कहते हैं और खुद को आगे बढ़ाने वाला कदम कह कर जनता को गुमराह पर लगा सकते हैं। वे समझते हैं कांग्रेस सरकार जो कदम उठाती है वह पिछड़ा हुआ कदम है और वे समझते हैं कि हमारे डर की वजह से कांग्रेस सीलिंग लगा रही है, यह उस मिसाल की तरह है कि कोई बेलगाड़ी जाती हो और उसके नीचे उसकी छाया में चलने वाला कुत्ता समझता हो कि मेरी वजह से गाड़ी जा रही है।

जहां तक इन रूल्स का और उनको लागू करने का सवाल है उन पर मैं अपने सुझाव रखना चाहता हूं। रूल्स के बारे में सरकार को, क्योंकि उस एक्ट के मातहत बन रहे हैं, जो सदन की मंशा है उसको पूरी करने के लिए ये रूल्स बन रहे हैं, यह भी देखने की जरूरत है कि ये रूल्स उनकी मंशा की पूर्ति करने वाले हों। करप्शन को बढ़ावा देने वाले न हों। सदन में जो एक आवाज आ रही है, किसानों पर जो आयद किये हैं, १२-१४ फार्म आयद किये हैं, लेबोरेटरी में कोई एग्रीकल्चरिस्ट, पढ़ा लिखा एम. ए. और एग्रीकल्चर में सब कुछ पास और बैठ कर मिजान लगा कर जैसे अमेरिका में बैठा हो, इस तरह के रूल्स और फार्म बना देते हैं, मैं कहता हूं, वह नहीं करना चाहिये।

आपकी सारी जिम्मेदारी है कि यहां अफसरों की जहनियत बदलनी होगी। किसानों के लिये ए० बी० सी० और सी के अन्दर आठ आठ फार्म डाल दिये और कागजात ढूंढने का जरिया है ऐसा तरीका आपने रख दिया है जिससे उस किसान को कितने चक्कर काटने होंगे आपके कार्यालय के-बाबुओं के पास, तहसीलदारों के पास। यह मन्शा सीलिंग की नहीं थी कि किसानों को हैरेस किया जाय। आसान ढंग से

Page No 58

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

उसको मन्जूर करना है कि मेरे पास इतनी जमीन है उसके बाद आप अपमें ढंग से साइन्टिस्ट की तरह इन्वेस्टीगेट कराते रहिये, उसके पास कितनी जमीन है, कितनी रहनी चाहिये, ये सब बातें आपको भरनी चाहिये, आपके अधिकारियों को भरनी चाहिये, ये बातें किसान को भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। आप उन फार्म्स के खानों को मत देखिये आप तो एक सीधा सा फार्म बना दीजिये उसका नाम उसके बाप का नाम, आपके अफसर का नाम और आपकी सरकार का नाम--बस इतने में काम हो जाय। बाकी की तहकीकात का काम आपका है। इसमें आपको किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये। इसके साथ साथ इस कानून की जो मन्शा है उसको नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। मन्शा यह नहीं कि जैसी कि आपने बतलाई १०० एकड़ से ज्यादा का फार्म नहीं होने वाला है, इसी तरह की कुछ बातें बतलाईं। लेकिन हम तो उसूलन यह चाहते हैं कि सब का लेविलिंग हो। इसमें दो महत्व की बातें हैं। एक तो यह कि जहाँ जमीन ज्यादा पड़ती है, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है वे जमीन की उतनी परवाह नहीं करते हैं इसलिये नाज बाहर से मंगाना पड़ता है, वे इस तरह से हिन्दुस्तान का नुकसान करते हैं। और जिनके पास जमीन नहीं है और जो खेती करने वाले हैं उनको जमीन देना है ताकि वे देश के लिये नाज पैदा कर सकें। उसको किस कीमत पर देना है, लिटिगेशन्स में सरकार को नहीं डालना चाहिये ताकि बरसों वे आपकी सरकार के खूंटे के चारो ओर चक्कर लगाते रहें, यह इसकी मन्शा नहीं है। ३६००) रुपये पैदावार मिलनी चाहिये।

इस सिद्धान्त के साथ ३० एकड़ जमीन जहां पंजाब वालों, गुजरात में रखे हैं हमारे सीमावर्ती जो रियासतें हैं हमें देखना है कि वहाँ जिस प्रकार से सीलिंग लागू किया है कांग्रेसी सरकारें वहां पर भी हैं, कमीशन, ने जो सिद्धान्त माने हैं, उसके मुकाबले हमारे यहां का सीलिंग गलत ढंग से न पड़े ताकि कहने वालों को यह मौका न मिल सके कि कांग्रेसी सरकार होते हुए, कांग्रेस का कमीशन होते हुए पड़ौस में तो यह लागू है और हमारे यहां इतना लगा दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में जो सिद्धांत लागू हुआ है उससे हमारे यहां का किसान यह न समझे कि हम दुख में हो गये या पंजाब वाले सुख में हो गये।

श्री केसरीसिंह (पाली) : आप ३,६००) रुपये की मेक्ज़िमम पैदावार को सोश्यल जस्टिस मानते हैं क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मरी हुई बन्दरिया को गले मत लगाइये, आपकी भभक को मैं जानता हूँ। हम सिद्धान्त रूप में मान चुके हैं। आपने और हमने सबने माना है। हम इस कानून को पास कर चुके हैं। आप किसान नहीं हैं। आपको भभक नहीं आनी चाहिये। आपको और कुर्बानी करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था। बीच में दूसरी बात आ गई। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ सोश्यल जस्टिस की जो बात कही गई है सोशल जस्टिस आप इसको मानते हैं कमीशन मांग करता है कि शहर में रहने वाले सेठों की तरफ से आप भी आगे आइये हम किसान की कुर्बानी के लिये तैयार हो गये हैं लेकिन शहर का कन्सीडरेशन ओवर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

व्हेलमिंग ढंग से किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने बतलाया, कांग्रेस ने बतलाया, हम इस देश का लेवलिंग चाहते हैं। इसमें शहर वालों पर लागू नहीं की है अपने ऊपर लागू की है, अब किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज मांग करते हैं शहरों के अन्दर भी सीलिंग को लागू कर दिया जाय। आज एक मकान मालिक शहर में अपने मकान से दुगुना चौगुना कमा लेता है, किराये के रूप में ले लेता है। हमारा यह कहना है कि जिसने बीस साल तक मकान का किराया दे दिया है वह मकान जिसमें वह रहता है वह उसका हो चुका। जिस किरायेदार और मजदूर से बीस साल तक किराया ले लिया गया और भी लेता जा रहा है यह उसका एक्सप्लोइटेशन है, पैसा पैसे को कमा रहा है, यह आपके आंखों के सामने हो रहा है। आज इस प्रकार की हालत देखते हैं तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, कांग्रेसी सरकार से कहते हैं कि अपने ऊपर से लेवलिंग करने का काम छोड़कर किसान और मजदूरों के हित में जिनके घरों में वे बीस बीस साल के किरायेदार के रूप में रहते हैं उनका अधिकार उन पर कानूनी ढंग से डिक्लेअर कर दें।

श्री केसरीसिंह : गवर्नमेंट सर्वेन्ट की ३,६००) रुपये से ज्यादा इन्कम न हो, यह तो निर्णय आप ले लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी बीमारी को समझता हूँ। बीमारी का इलाज बीमारी के रास्ते से ही होगा। आपके द्वारा नही होगा। मेरी सहानुभूति आपके साथ है लेकिन अपन सब स्वीकार कर चुके हैं तो अब उसके लिए कहना क्या ?

मैं अर्ज कर रहा था सोश्यल जस्टिस के बारे में, आज किसान वर्ग इस सोश्यल जस्टिस के लिए कुर्बानी दे रहा है, किसानों की तरफ से दे रहा है। हम साफ कह देना चाहते है जहां से कौल साहब आये हैं, लड्ढा साहब आये हैं, भैरोंसिंह जी जहाँ से आते हैं, सतीशचंद्रजी जहां से आते हैं। अलवर वाले सेठ साहब तो यहां से नहीं, दूसरे लोग जो यहां का आनन्द ले रहे हैं। इन्कलाब किया है तो गांव वालों ने किया है, आज भी गांव वाले आगे आ रहे हैं आपको अब शहरों को भी लेना पड़ेगा।

श्री केसरीसिंह : आप मिनिस्टरों की तनख्वाह ही साल में ३६००) कर दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके साथ मुझे इतनी ही सहानुभूति है कि डा. व्यास को ला सकता हूँ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जब हम गांवों में इस प्रकार की बात लेकर जाते हैं वहां गांव वाले हमारे से जवाब मांगते हैं, आपने शहर वालों के लिए क्या किया ? जहां वे लोग शहर वालों को खुशहाल देखते हैं तो उनको भी इनके लिए आकर्षण होता है। वे भी चाहते है कि हमारा स्टेंडर्ड भी उसी के मुआफिक हो। अगर शहर वाले आदमियों का स्टेंडर्ड गिरता है तो निश्चय ही किसान का स्टेंडर्ड भी गिरेगा। एक गांव के किसान की इन्कम आप ३६००) रुपया रखना चाहते हैं उसका एक गिरोह है, वे कुर्बानी करना जानते हैं, उन्होने कुर्बानी की है और इसी के साथ साथ वे न्याय मांगते हैं। आज देश की स्थिति है उस स्थिति को मानते हैं, देश में जो शहर वालों और गांव वालों के लिए इन्कम की भिन्नता रखी है वह अब बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। पांच साल में वह वक्त आयेगा जब जनसंघ भी समझेगा कि शहर वालों के

Page No 60

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अन्दर जो वे वक्त पाते जा रहे है पांच साल में वह समय आने वाला है जिसमें इनके साथ भी उसी प्रकार का जस्टिस किया जायगा । आज किसान को इन्कलाब के लिए कहा जाता है उसने तो हमेशा इन्कलाब किया है और करेगा इसी से उसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और देगा । लेकिन जो शहर वाले आपका साथ देते हैं शहर वाले इनके हाथों से निकल रहे हैं, लेकिन जब शहर वालों पर इस प्रकार लेवलिंग लागू करेंगे उस वक्त में उनको पता चलेगा । आज शहर में रहने वाले अपने जायदाद से ६-६ हजार रुपया मासिक कमाते हैं, सरकारी मुलाजिम को लेते हैं तो वह भी उसी प्रकार से चलता है, लेकिन किसान तो अपनी स्थिति नहीं बना सका है । यहां शहर में जायदाद पैदा हो जाती है, महल खड़े हो जाते हैं, वहां भी कांग्रेस सरकार लेवलिंग कायम करके रहेगी उसके बिना सोश्यल जस्टिस नहीं आने वाला है ।

मैं यहां पर तो, शहरों में, फ्री इकोनोमी के नाम पर, आजादी के नाम पर, सबको छूट देने वाले हैं । ये लाख बनावें, दो लाख बनावें, दस लाख बनावें, पर सरकार उनको नहीं छूने वाली है । यह और वे दस लाख वाले इस इन्तजार में हैं कि ३०-२६ परसेन्ट का प्रोवीजन करते हैं तो ये हैं कौन ? ये यहां के लोग होंगे । और शहरों के होंगे, अजमेर बचा होगा क्योंकि मैं वहां रहता हूं । आप इस तरह से करके नीचे से बारूद बिछा रहे हैं, क्योंकि गरीब आज आपके महल देख रहा है, आपके ये बंगले, आपकी ये शक्लें आपकी ये मोटरें, आपके ये ऐशों-आराम देख रहे हैं । आपकी ये चीजें उस गरीब को बरगलाती हैं । ये आपकी चीजें और आपकी ये आदतें और आपका यह रवैया सोश्यल जस्टिस नहीं करने वाला है । जब आप सोश्यल जस्टिस की बात कहते हैं तो दिल में आता है साफ साफ कहा जाय । आप ये किस्से कहानियां कहते हैं दिल को दहला देते हैं । पर आप क्या समझते हैं कि ये बगैर किसी हिस्ट्री के रह जावेंगे ? ये इतिहास बनावेंगे । इससे सरकार को आगाह रहना चाहिये । ये गरीब और अमीर, ये झोपडियां और महल एक साथ नहीं रहने वाले हैं, न रहने देना चाहिये । गरीब ने जिसने किराया दे दिया, उस किराये के बाद साफ मांग करते हैं कि २० वर्ष जिसने जिस मकान के किरायेदार के रूप में बिता दिये वह मकान उसका हो गया । मकान मालिक का नहीं, उसके बाप का नहीं, आप अपने सत्ता के जरिये अपनी फौज और पुलिस और शासन के जरिये भी उसको नहीं रख सकेंगे । यह जनता इन्कलाब करेगी । आप उस इन्कलाब को अपनी इस पुलिस और कानून के जरिये नहीं रोक सकेंगे । आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी, आपका पैसा और आपकी पुलिस और यह शासन का ताना-बाना इस इन्कलाब को रोक नहीं सकेंगे और यह इन्कलाब अब आकर रहेगा ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जागनसिंहजी ।

श्री जगनसिंह (दांता-रामगढ़) : सभापति महोदया, आज दो दिन से इन नियमों पर विचार हो रहा है और करीब करीब सभी मुद्दों पर अन्य माननीय सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं । इसलिये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता ।

लेकिन दो मुद्दों पर कुछ कहना चाहता हूं और वे यह हैं कि न तो यह कोई प्रगतिशील कदम है और न हम कोई बड़ा

(श्री जगनसिंह)

भारी परिवर्तन ही करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल केवल यह है कि भूमिहीनों को जिनके पास खाने कमाने को कुछ नहीं है उनको जमीन दी जावे और इन लोगों को कहां से दी जावे केवल यह एक समस्या है और इसका सुझाव देना है।

यदि इन नियमों के अनुसार कोई ऐसा सुझाव निकलता है तो निकालना चाहिये। लेकिन मुझे सन्देह है कि जब तक मूल एक्ट में इस तरह का परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है तब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि कानून जिन लोगों ने बनाया, ऐसा लगता वे कभी जमीन पर आबाद नहीं हुए, जमीन पर रहने वालों की तकलीफ को देखा नहीं, दूर बैठे इन नियमों को बना दिया।

यू० पी० और पंजाब के कुछ ऐसे नियम यहां लागू किये हैं जब कि वहां से यहां की स्थिति बिलकुल भिन्न है। यह हुआ कैसे ? इसलिये कि कानून बनाने वाले उधर के ही थे। "सैमी डेजर्ट" एरिया की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, यह देखकर नियम किसी ने नहीं बनाये। दूसरे रजिस्ट्रियां ५८ में हुई, ५९ में हुई इससे कोई फरक नहीं पड़ता। हमको केवल सरप्लस अधिकतम सीमा रखी है उससे ज्यादा जमीन लेनी है। आज भी लेते हैं तो जमीन यही है तो स्थिति में इससे अन्तर नहीं आता। दो वर्ष बाद लेते हैं तब भी अन्तर नहीं आता।

पर हमारा ढंग क्या है लेने का यह देखना है, इससे कहीं गरीब काश्तकारों को हेरेस्मेन्ट तो नहीं होगा, यह देखना है।

हमारे सामने आंकड़े नहीं हैं कि कितनी सरप्लस जमीन कहां कहां से मिल रही है, कितने ऐसे लैंडलैस टीनेन्ट्स हैं जो वाकई में अपने परिश्रम से खेती करना चाहते हैं। यदि सही माने में सही स्पिरिट से इस समस्या को सुलझाते और इस पर सही माने में विचार करते तो हमें यह सीलिंग जैसा कानून लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।

आप केवल एक परिवर्तन कर देते और वह यह कि जो अपने शारीरिक श्रम से इस जमीन पर खेती करेगा वही खेत का मालिक होगा। आपने उसूल के रूप में तो इसे मान लिया, लेकिन हमने कायदे-कानूनों में यह नहीं माना, कायदे—कानून उल्टे बनाये। उनमें ईमानदारी से इस तरह से परिवर्तन नहीं किये। परिणाम इसका यह हुआ कि आज हमारे सामने यह एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है जिसको हम इन नियमों के अनुसार सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें इन नियमों से सुलझाया नहीं जा सकता।

इसलिये आपको इस कानून में यह देखना पड़ेगा कि लैंडलैस टीनेन्ट इसमें कहां है। लैंडलैस टीनेन्ट को इसके अन्तर्गत ढूंढना पड़ेगा और जमीन को भी उसके लिये ढूंढना पड़ेगा। इन नियमों में इन दोनों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा।

मैं आपका ध्यान लैंडलैस पर्सन की जो डेफीनिशन इसमें की है उस ओर खींचना चाहता हूं जिसे आप जमीन देने जा रहे हैं। उस लैंडलैस पर्सन को इन नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार के यहां दर्खास्त देनी पड़ेगी एक्ट के सेक्शन ५ के तहत। वह कहेगा एक्ट की धारा ५ के सब सेक्शन २६ ए में मैं आता हूं इसलिये मुझे जमीन दी जावे। पर इसके अनुसार तो टाटा और बिड़ला भी जमीन ले

(श्री जगनसिंह):

सकते हैं और वे ले जावेंगे, आपका लैंडलैस पर्सन बचा का बचा रह जावेगा । इस तरह की हैं आपकी परिभाषाएं देखिये:—

"'Landless person' shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold any land......"

खुद के या अपने परिवार के या किसी भी व्यक्ति के नाम जमीन नहीं है । कितनी खूबसूरती के साथ परिभाषा रखी है, वह एग्रीकल्चरिस्ट कहलावेगा by profession who can reasonably be expected to cultivate land,

कोई भी इन्सान हो, उससे काश्त करने की आशा की जा सकती है। पर इसे घुमा-कर इस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट को कहीं छिपा दिया है। जहाँ एग्रीकल्चरिस्ट डिफाइन्ड है उसे बताना चाहता हूं :

" 'Agriculturist' shall mean a person who by himself or by servants or tenants earns his livelihood......"

इसके माने यह है कि इस परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी आजीविका नौकरों के जरिये या काश्तकारी के जरिये कमाता है वह लैंड लैस पर्सन है

तो जब आपके एक्ट की धाराओं में लैंडलैस पर्सन की यह परिभाषा है तो फिर आप इतने झगड़ों में क्यों पड़ते हैं ? इस परिभाषा के अनुसार आप जब लैंडलैस पर्सन को रजिस्टर कर सकते हैं तहसीलदार के यहां और इन रूल्स को और परिभाषा को चेलेन्ज नहीं कर सकते तो टाटा और बिड़लाओं को आप जमीन लेने से नहीं रोक सकते, सही मानें में जो लैंडलैस हैं वे पीछे पड़े रह जावेंगे, तहसीलदार उनकी एक नहीं सुनेगा, जब तक कि आप अपने इन रूल्स में ठीक तरह से अमेन्डमेन्ट नहीं कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस लैंडलैस की परिभाषा ठीक ढंग से करें। इसके अभाव में चूंकि आज वर्तमान जो आपका कानून, है रूल्स हैं उसके तहत तहसीलदार और राजकर्मचारी इन्हें ही देखेंगे और इन्हीं के अनुसार जो भी आवेगा उसको वह रजिस्टर करेगा। वह यह नहीं देखेंगे कि कौन आता है, टाटा आता है या बिरला आता है या कोई भंगी या चमार आता है चौधरी आता है या ठाकुर आता है। किसी उसको की कोई परवाह नहीं होगी। केवल जो परिभाषा आपने कानून में और नियमों में की है उसकी परवाह होगी उसे।

दूसरी चीज यह है कि हम ३,६०० रुपये की ग्रोस इन्कम मान भी लें और इसका भी विचार कर लिया जाये; लेकिन आज के जमाने में जब कि हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं और ३६०० रु. ग्रोस इन्कम हम एक फैमिली को रख रहे हैं; उसमें उसकी शिक्षा होगी, उसमें उसकी बीमारी का खर्चा होगा, उसमें उसके मकान का खर्चा होगा, उसमें तमाम साधन खेती के जुटाने के हैं उसका खर्चा होगा, नेचुरल केलेमिटीज होंगी और उन सब चीजों को ३६०० रुपये में मीट कर सकेंगे ? इसका मतलब यह है कि ८० पर्सेन्ट जो जमीन पर आबाद रहने वाले हैं उनको बिलकुल लैंडलैस रखना चाहते हैं, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनकी

(श्री जगनसिंह)

दवाई-दारू का इन्तजाम नहीं करना चाहते हैं, उनको अच्छे मकान नहीं देना चाहते हैं और उनका जीवन जैसा आज के युग में होना चाहिए वैसा जीवन उनको आप नहीं देना चाहते हैं। मैं इसको कतई अनुचित मानता हूं। हो सकता है यह प्राग्रेसिव स्टेप हो, लेकिन आज के जमाने में एक परिवार की ग्रोस इन्कम ३६०० मान लिया जाये यह कतई अनुचित है। कोई भी परिवार इस इन्कम में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता। इसमें पर हैड ६०रुपये पड़ता है जब कि हमारी राज्य सरकार के कर्मचारी ही तीन तीन सो रुपये री-इम्बर्समेन्ट के ले लेते हैं। कईयों के रेकॉर्ड देखना चाहें तो देख लें।

तो मेरा निवेदन यह है कि इस लिमिट को भी मान लिया जाये कि ३६०० रु. है तो यह जमीन की सीलिंग नहीं है, यह हम सीलिंग रख रहे हैं इन्कम की और इन परिश्रम करने वाले, खेती पर आश्रित रहने वाले काश्तकारों की इन्कम पर लिमिट रख रहे हैं, ताकि वह उससे ज्यादा परिश्रम न करे। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमने कानून के जरिये यह बन्दिश तो लगाई कि इससे ज्यादा कोई भी होल्डिंग न रखे, इससे ज्यादा इन्कम नहीं होगी। लेकिन जिस दुतर्गति से आबादी बढ़ रही है उसका आने वाले १०--१५ वर्षो का अन्दाज लगा सकते हैं कि वह कहां जायेगी और आज हम बढती हुई आबादी को किधर ले जाना चाहते हैं। आने वाले १५ वर्षो में हम इसको दूसरी तरफ नहीं ले जा सकेंगे और १५ वर्ष बाद क्या हालत होगी, हम कह नहीं सकते। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस फैक्टर से सीलिंग लागू करते समय और नियमों को देखते समय जो आबादी बढ़ रही है और हम यह सीमा लागू कर रहे हैं उसमें आने वाले १५ वर्षो का ध्यान रखना चाहिए। हम आज का ही नहीं कल का भी ध्यान रखेंगे। यदि हमें आज ही जिन्दा रहना है तो बात दूसरी है, लेकिन हमें कल का भी ध्यान रखना है। तो आगे आने वाले १५ वर्षो में जो आबादी बढ़ेगी उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। आप रबड़ की तरह जमीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। खाद नहीं मिलता और इसके साथ ही साथ जो दूसरे एरियाज हैं उनमें पशुओं के चरने का और गल्ले का कोई प्रावधान नहीं रखा है। यदि ३६०० रु. की ग्रोस इन्कम को मान लेते हैं तो किस तरह से ३६०० रु. की आमदनी होगी उस पर भी आसानी से ध्यान दिया जा सकता हैं।

जो कि गंगानगर एरिया में रहने वाले हैं वे जानते हैं कि ३० एकड़ भूमि में से ज्यादा से ज्यादा जो जमीन सिंचाई में आ सकती हैं वह १८ एकड़ में आ सकती है और वह हैड और टेल में अन्तर है। हैड पर तो उनको पूरा पानी मिलेगा और टेल पर ६० परसेन्ट के बजाय ३० पर्सेन्ट पानी मिलेगा। इसलिए जो हैड पर है उस आदमी को ३० एकड़ देंगे और जो टेल वाला है उसको ६० एकड़ देंगे तो उनकी इन्कम बराबर हो सकती है। इन चीजों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी चीज है जो कि चांदी और सोने की तरह सुधार करने से इन्कम नहीं देती बल्कि खून पसीना बहा कर खेती के अन्दर इन्कम होती है।

इसलिए हमारे कानून में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आना चाहिए वह यह आना चाहिए कि कोई भी इन्सान जमीन ओन नहीं

(श्री जगनसिंह)

करेगा जब तक कि वह पर्सनल कल्टीवेशन न करे और पर्सनल कल्टीवेशन कर सकेगा तभी इस बीमारी से हम बच सकेंगे। कोई इन्सान जरूरत से ज्यादा जमीन नहीं रखे और आज जो सेक्रेटेरियट में बैठने वाले इन्सानों ने क्योंकि उनके लम्बे हाथ हैं नक्शा उनके सामने हैं, कहां नहर आने वाली है यह उनके सामने है वहां पर इन्होंने जमीनें हथिया रखी हैं या लेकर बेच दी हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ तो उनको ढ़ाई-ढ़ाई और तीन-तीन हज़ार तनख्वाह मिलती है और दूसरी तरफ उन्होंने ज़मीन ले रखी हैं। यह अन्याय है और अनुचित है और नियमों के खिलाफ उन्होंने जमीनें ले ली हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कानून में सबसे बड़ा परिवर्तन जो होना चाहिए भूमिहीनों का, जमीन देने का वह यह होना चाहिए कि पर्सनल कल्टीवेशन जो करे उसी को भूमि मिले और इन नियमों में सुधार होना चाहिए।

जब एक तरफ तो आप सेल टैक्स लेते हैं तो डिमाण्ड स्लिप भेजते हैं, प्रूव करते है और असेसमेन्ट करते हैं, यह इतना होता है और दूसरी तरफ काश्तकारों को कहते हैं कि तहसील में चले आइये, खसरा नम्बर तो काश्तकार को नहीं मिलने वाला है। एक काश्तकार की कठिनाइयां देखिये। १५ कोस से चलकर वह तहसील तक आता है और खसरा नम्बर देखता है और पटवारी उसको खसरा नम्बर नहीं देता है और पटवारी यह सोचता है कि यह आदमी परेशान होगा और तुमको पैसे देगा तो वह कह देता है कि आज फुर्सत नहीं है। इतना कहने से ही काश्तकार को बड़ा दुख होता है और वह पैसे फेंकेगा और फिर उसको खसरा नम्बर मिलेगा और यह हरेसमेंट प्रत्येक को होगा। उसे अपनी फैमिली की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जमीन सीलिंग से नीचे है तो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जमीन सीलिंग से अधिक है तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, हर हालत में हर काश्तकार को तहसील में जाना पड़ेगा और काश्तकार लोग भूमि को तो भूल जायेंगे और लिटीगेशन में फंस जायेंगे। आपके पास रेकॉर्ड है इसलिए प्रूव करने का मामला सरकार के ऊपर होना चाहिए। इसलिए जब जमीन जरूरत से ज्यादा जिसके पास हो उससे गवर्नमेन्ट लेती है तो प्रूव करने का "ओनस" सरकार पर होना चाहिए। जिसके पास जमीन कम है तो उसको प्रूव करने का 'ओनस' काश्तकार पर (समय समाप्ति सूचक घंटी) होना चाहिए।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस समस्या को ठीक करने के बजाय जो ऑलरेडी व्यवस्था है उसको तो कहीं हम अव्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ज्यादा लिटीगेशन्स फैल जाये। इसलिए पर्सनल कल्टीवेशन का इसमें चेन्ज होना चाहिए और जब तक भूमिहीन और लैण्डलेस की डेफीनेशन नहीं बदलेंगे तब तक कितने ही संशोधन कर लें यह राज्य सरकार के कर्मचारी जमीन देंगे नहीं। आपको जमीन नहीं मिल सकेगी और आप समस्या का हल निकाल नहीं सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदया, सीलिंग के संबंध में सरकार ने जो नियम बनाये हैं जिन पर सदन में पिछले दो दिनों से विचार चल रहा है इन सारे नियमों को यदि गहराई से देखा जाये तो यह निष्कर्ष निकालने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती कि यह नियम लैंडलैसटीनेन्ट्स को ज़मीन दिलाने के लिए नहीं है। जिन लोगों के पास अधिक ज़मीन है उस

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रधिक जमीन को लेने के लिए नहीं है, बल्कि इन नियमों का कानून के ग्राधार पर राजस्थान की जनता का जिसमें लैंडलैस टीनेन्ट्स ग्रौर लेण्ड ग्रोनर्स इन दोनों का पोलीटीकल एक्सप्लोइटेशन ग्रौर एक्सप्लोइटेशन नहीं बल्कि पोलीटीकल विक्टीमाइज़ेशन किस प्रकार से किया जा सकेगा, यह इस सारे कानून का ग्रौर इन सारे नियमों का ग्राधार मुझे लगता है ।

हमारी सरकार ने सबसे पहले १६५३ में सीलिंग के संबंध में सरकार को राय देने के लिए कमेटी ग्रपोइन्ट की । ५ वर्ष बाद सन् १६५८ में उस कमेटी ने ग्रपनी रिपोर्ट सबमिट की, १६६० में कानून बना ग्रौर १६६३ में उस कानून के ग्रन्तर्गत नियम बनाये गये। ग्रब इस सबका एक ग्रसर तो यह होता है कि हमारी सरकार की वास्तव में सीलिंग के संबंध में नीति क्या है ? या तो यह है कि सरकार कमिटेड है सीलिंग के नाम पर ग्रौर ग्रपने उस कमिटमेंन्ट को पूरा करने के लिए जैसे तैसे भी यह सीलिंग का कानून बना उसको बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे यह भाव मैं नहीं समझता । मैं इसके पीछे यह भाव समझता हूँ कि जनता का पोलीटीकल विक्टीमाइज़ेशन किस प्रकार से किया जाये उन सबकी व्यवस्था १६५३ से लेकर १६६३ तक की गई है । सरकार ने सबसे पहले यह कह दिया कि सीलिंग ग्रा रहा है तो किसानों के दिमाग में ग्रनसर्टेन्टी पैदा हुई, ग्रौर उस ग्रनसर्टेन्टी का एक रिज़ल्ट यह हुग्रा कि किसान उस भूमि के हिस्से में जिसके बारे में उसके दिमाग में यह भय पैदा होगा कि सरकार उस कानून के द्वारा यह भूमि उससे किसी भी समय छीन सकती है, तो उसमें उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ग्रौर इन्वेस्टमेंट भी किया तो दिल से जो इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए उस पर वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका, ग्रौर उस ग्रनसर्टेन्टी का रिज़ल्ट, सभापति महोदया, किसान पर चाहे न पड़ा हो, पर उसका ग्रसर समूचे राष्ट्र के ऊपर पड़ा है, हमारा फूड प्रोडक्शन गिरा है ग्रौर इस समूचे राष्ट्र का सवाल भी छोड़ दें तो राजस्थान, जिस राजस्थान के लिए हमारी सरकार कहती है कि हमने पर एकड़ ईल्ड बढ़ायी है; वह ग्रभी जो लोकनाथन की रिपोर्ट पेश हुई है उसके ग्राधार पर राजस्थान सबसे नीचे रहता है, केरल सबसे ऊपर रहता है। ग्रोस ग्राउटपुट पर एकड़ केरल में ४२२ है जबकि राजस्थान में ८४ है। ग्रब उसमें ८४ क्यों है ? उसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी सरकार ने किसानों के दिमाग में एक ग्रनसर्टेन्टी पैदा की है । उसने एक तरफ राष्ट्र का ग्रहित किया है, एक तरफ किसान का ग्रहित किया है, ग्रौर हमारे प्रदेश का ग्रहित किया है, ग्रौर इन सबके ग्रहित में उनको राजनीतिक लाभ किस प्रकार से मिल सके, उसको प्राप्त करने की चेष्टा की है। वह प्राप्त किस प्रकार से की जा सकती है ? इस कानून को शुरू से लेकर ग्रन्त तक कहीं पर देखें तो 'लैण्डलेस टीनेन्ट' की डेफिनिशन ग्रभी सीकर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने ग्रापके सामने रखी है कि जो रीज़नेबली एक्सेप्ट की जा सके, तो मैं माननीय उपराजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की दो करोड़ की जनता में कौन सी केटेगरी है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस करप्ट शासन में, जहां कि करप्शन को ग्राप रोक नहीं पाते है, उस करप्ट शासन से वह इस बात का सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं कर सके कि he may be reasonably expected to be a landless tenant, हर ग्रादमी इस तरह से ले सकते हैं ।

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रब प्रश्न यह है कि दो करोड़ व्यक्तियों में से 'लैण्डलेस' की परिभाषा के नीचे ग्राने की चेष्टा करेगा, उसे सरकार की खुशामद करनी होगी। सरकार की खुशामद के ग्राधार पर सरकार का कृपामात्र बनने की चेष्टा करनी पड़ेगी। सरकार किसी प्रकार से महरबानी उनके ऊपर कर दे। महरबानी करेंगे तो एक तरफ करपशन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ उन लोगों का विक्टीमाइजेशन होगा। ग्रमुक व्यक्ति जो कि 'लैण्डलेस' की परिभाषा में ग्रा सकता है, लेकिन उसको लैण्डलेस नहीं मानते हैं जिनको भूमि बेने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ग्राज ग्रधिकार ऐसे तत्वों को हाथ में दे दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास में दे दिए हैं, ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स के हाथ में दे दिये हैं, सरकारी इन्स्टीट्यूशन्स के हाथ में दे दिये हैं कि उनके माध्यम से सरकार ग्रधिक एक्स्प्लोइटेशन किसानों का कर सकती है।

इसमें एग्जेम्पशन की परिभाषा रखी है कि क्या क्या एग्जेम्पट होंगे। वह एक्ट में है। उसके बारे में जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जेम्पशन में एक जो परिभाषा रखी है "एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म", तो शीप ब्रीडिंग फार्म समझ में ग्रा सकता है, होर्स ब्रीडिंग फार्म समझ में ग्रा सकता है, कोग्रॉपरेटिव फार्मिंग समझ में ग्रा सकता है, लेकिन एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म, यह समझ में नहीं ग्राता है। यह एफिशियेन्टली मेनेज्ड फार्म का सर्टीफिकेट कौन देगा ?

सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एस. डी.ग्रो., कृषि निपुण व एक मेम्बर कोग्रॉप्ट किया जायगा। कृषि-निपुण ग्रौर कोई नहीं हो सकता है सिवाय कांग्रेस पार्टी के ग्रादमी को एस. डी. ग्रो. पंजाब का नहीं ग्रा सकता है। वह राजस्थान सरकार का मातहत है, ग्रौर जो कोग्रॉप्ट मेम्बर होगा वह कोई नहीं सकता है। वह कोई पोलिटिकल थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा, वह कोई पोलिटिकल पार्टी वाला व्यक्ति लिया जायगा। इन तीन व्यक्तियों की एक कमेटी बनाकर इन रूल्स के ग्राधार पर यह देंगे कि एफिशियन्टली मेनेज्ड फार्म कौन सा है। उस एफिशियन्टली मेनेज्ड फार्म की एफिशियन्सी नहीं देखी जायगी, उस व्यक्ति का पोलिटिकल कैरेक्टर क्या है वह देखा जायगा, ग्रौर उस पोलोटिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ग्राज यदि मेरा कोई फार्म होगा तो मुझे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरा फार्म एफिशियन्टली मेनेज्ड फार्म की संज्ञा में ग्रा जायेगा ग्रौर मैं एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा, लेकिन उन तीन ग्रादमियों की मर्जी पर जिनका केन्सीडिरेशन पोलिटिकल होगा उस ग्राधार पर उनका विक्टीमइजेशन किया जायगा।

ये दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों के साथ में एक तीसरी प्रश्न भी ग्राता है। तीसरा प्रश्न कौन सा ग्राता है ? जो कि उसको नियमों के ग्रन्दर दिया हुग्रा हैं कि १६५६ के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स हुए हैं उन ट्रान्सफार्स में यदि कानून की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिसमें वे ट्रान्सफर्स नहीं हो सकते थे तो उन सबको इल्लीगल करार दे दिया जायगा। ग्रब उनको इल्लीगल करार देने में कौन सी चाल चलेंगे ? हमारी सरकार ने तय कर लिया कि लैण्डलैस टीमेन्ट को जमीन देना है। लैण्डलैस टीनेन्ट ने जमीन ले ली ग्रौर उस जमीन की कीमत चुका दी ग्रौर कीमत चुकाने के बाद हकदार हो सकता है। जमीन उसने प्राप्त की कानून के ग्रन्दर, लेकिन उसके ऊपर १६५६ से ग्राज तक रजिस्ट्रेशन के द्वारा

Page No 67

(श्री भैरोंसिंह)

कीमत देकर अपना अधिकार कर लेता है, उस जमीन के ऊपर कब्जा सरकार रखती है। कब्जे के लिए कानून में कोई रुकावट नहीं है। वह जमीन ले सकता है, लेकिन हमारी सरकार उसका एक्स्प्लोइटेशन करेगी। लैण्ड-लेस की डेफिनिशन में आता है, लेकिन जिस जमीन पर कब्जा किया गया है उस पर उसका कब्जा नहीं रहेगा। सूरतगढ़ में कब्जा किया हुआ है तो उसको हनुमानगढ़ में भेजा जायगा और हनुमानगढ़ वाले को गंगानगर में भेजा जायगा, अलवर वाले को जैसलमेर में भेजेंगे। सरकार इस सम्बन्ध में सारी अपनी मर्जी, डिस्क्रीशन को इस तरह से हाथ में लेकर चलती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि न तो किसान का हित चाहते हैं और न लैण्ड ओनर का हित चाहते हैं, लेकिन हित चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के हित के लिए उनका किस प्रकार से एक्स्पलोइटेशन किया जाय।

एक माननीय सदस्य जो कि नसीराबाद से आये हैं वे अभी जैसा कि बोल रहे थे कि अर्बन इनकम के ऊपर सीलिंग कर दिया जाय। मैं आज उनको यह बताना चाहता हूं कि सीलिंग सरकार की कमजोरी का बड़ा जबरदस्त प्रमाण है। सीलिंग का मामला पैदा क्यों हुआ? लैण्ड के ऊपर आज प्रेशर ज्यादा है और लैण्ड पर ज्यादा प्रेशर क्यों है? इसका कारण यह है कि सरकार जो लैण्ड के ऊपर प्रेशर है उनको किसी प्रकार का दूसरा धन्धा नहीं दे पायी है। हमारी कोटेज इन्डस्ट्रीज समाप्त हो गईं, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बिल्कुल नाम मात्र की चल रही हैं। बड़ी इन्डस्ट्रीज में कोई लेबर पोटेलियन नजर नहीं आता है। जमीन पर ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। सरकार की इन्डस्ट्रीज की पॉलिसी फैल हो गई। हम एग्रीकलचर के अलावा दूसरे लोगों को कोई प्रोफेशन नहीं दे सके हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके हैं। उसके कारण हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह जमीन पर जाये। सरकार अपनी उस असफलता को यों नहीं दिखाना चाहती है कि वह एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकी, वह लोगों को धन्धा नहीं दे सकी। यदि इन नियमों को वह चलाना चाहती है तो राजस्थान सरकार ऐसी जायगी जैसे घोड़े के सिर से सींघ गये। उस बीमारी को छिपाने के लिए उस रोग को छिपाने के लिए सीलिंग को लेकर बेकारी की समस्या को जो दूसरे ढंग से सुलझाना चाहती है, किसानों को लड़ाने की बात कर रही है, किसानों को लड़ाना किस तरह से चाहती है कि किसानों की आमदनी ३६००) की ग्रोस इनकम बन जाय। उसमें से कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाला जाय तो होता है १८००) रु०। जो माननीय सदस्य नसीराबाद से आये हैं वे अरबन इनकम के बारे में कह रहे थे, लेकिन अरबन इनकम की बात तो छोड़िये, यह सीलिंग जा-आ रही है वह बुद्धिवादी लोगों की देन है। किसानों में जो बुद्धिवादी लोग हैं जो कि २० पर्सेन्ट हैं वे ८० पर्सेन्ट पर राज्य करना चाहते हैं। उस राज्य के लिए यह पोलिटिकल एक्स्प्लॉइट्रेशन है। किसानों की १८००)रु. साल की आमदनी होगी उसमें से वह कुछ भी बचत नहीं कर सकेगा। बाकी की मेडिकल फेसिलिटीज़, एज्युकेशन फेसिलिटीज़, उन बातों को छोड़िये जो कि शहर वालों को मिलती है, लेकिन राजस्थान विधान सभा में उसको आना पड़ेगा तो कम से कम रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार उसको ६०००) खर्च करना पड़ेगा। मैं राजस्थान सरकार के उपराजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या किसान १८००) की आमदनी से ६०००) रु० इकट्ठा कर सकता है। एक

(श्री भैरोंसिंह)

पैसा इकट्ठा नहीं कर सकेगा और जब पैसा इकट्ठा नहीं कर सकेगा तो लोक सभा में और विधान सभाओं में किसान नहीं, राष्ट्र का किसान नहीं बैठेगा, बल्कि जो पूंजीवादी हैं जिनका पोषण इस सरकार के द्वारा होता है, वे बैठेंगे। वे पूंजीवादी किसान का गला घोट कर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, राजस्थान के किसानों के ऊपर बैठ कर राज्य करेंगे। मैं कहता हूं इस सरकार को कि इस कानून से किसानों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस बात से किसानों का गला काट रहे हैं। किसानों का गला इस प्रकार से काटा जा रहा है कि वह न पंचायत में जीत सकेगा, न जिला परिषद् से जीत सकेगा, न म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर हो सकता है, न विधान सभा या लोक सभा में बैठ सकेगा और बाकी के लोग बैठ सकेंगे और ऐसे कानून बना सकेंगे कि ३० स्टेण्डर्ड एकड़ होना चाहिए।

क्या आमदनी है ? ३० स्टैंडर्ड एकड़ पर आपने ३६००) रुपये की आमदनी रखी। इसके पीछे क्या लोजिक है ? आपने कभी तय किया कि राजस्थान के किसान या प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी इतनी होनी चाहिए ? आपने बाकी के लोगों में नहीं तय किया। आपने जयपुर स्पनिंग और वीविंग मिल के लिए कुछ तय नहीं किया, सवाई माधोपुर के उद्योग के लिए कुछ नहीं विचार किया कि उसने कितना लाभ उठाया। उनके ऊपर सीलिंग नहीं लग सकती, उनके ऊपर लाखों रुपये का टैक्सेशन बकाया है। आज इन ८० प्रतिशत लोगों के भरोसे जो कांग्रेस की हुकूमत चलती है तो हमारी सरकार यह समझने लगी कि इन लोगों में बुद्धि पैदा हो उससे पहले किसान को इतना कमजोर बना दें। आखिर इस ३६००) रुपये की आमदनी में से किसान ६,०००) रुपये खर्च कर कैसे विधान सभा का सदस्य बन सकेगा ? इतनी तो सरकार व्यवस्था करती। लेकिन मुझे ज्यादा दुख इस सरकार से नहीं। मैं मानकर चलता हूं कि सरकार में किसानों के प्रतिनिधि बैठे होंगे, वे केवल कुर्सी का पीछा करते हैं, किसान का पीछा नहीं करते। वे किसान के हितचिंतक नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस में जो किसान सदस्य हैं उनको बोलना चाहिए कि जो गैर किसान सदस्य हैं वे उनका पोलिटिकल एक्स्प्लोइटेशन न करें। जो आज मंत्री हैं वे कल मंत्री नहीं रहेंगे। उनके बच्चे खेती करेंगे। जब खेती से उनकी आमदनी नहीं होगी तो वे बच्चे गालियां देंगे कि हमारे पिताजी कुर्सी के चिपके रहे और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की कि उनकी कुर्सी चली जाने के बाद कभी हमको भी कुर्सी मिल सके। इसलिए यह कांग्रेस का वर्डिक्ट, ८० प्रतिशत किसानों का गला घोंटने वाला वर्डिक्ट, छोटा, मोटा वर्डिक्ट नहीं है, इसकी अहिमियत को पहचानें। पांच आदमियों वाले किसान के लिए १८००) रु० साल, इसका मतलब हुआ ३०) रुपया महीना एक आदमी के लिए। शहर में जो पापड़ पकोड़ी बेचता है वह भी एक दिन में ४, ५, ६ और ७ रुपये कमा लेता है। तो आप इन ८० प्रतिशत किसानों को जयपुर की सड़कों पर पापड़-पकोड़ी बेचने वालों से कम करना चाहते हो ? फिर आप कहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हैं। यह किसानों के विरूद्ध षड़यंत्र है। आप लैंडलेस टीनेन्ट्स को धंधा देना चाहते हो। क्या धंधा दे रहे हैं, इस रिश्वतखोरी में जिस वक्त किसान फंसेगा, लिटीगेशन में फंसेगा तभी सोचेगा कि यह सरकार हमारी नहीं है। यह सरकार हमारे विरोध में षड़यंत्र करने वाली सरकार है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपको तो खुश होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : आपको जब तक कांग्रेस का टिकट है, वहां हैं। जिस दिन टिकट नहीं मिलेगा आप भी यहां आ जाओगे।

तो मैं कह रहा था कि जमीन किसे दी जायगी ? जमीन में प्राथमिकता दी जायगी ? कोआॅपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ को और वह होगी लैंडलेस टीनेन्ट्स की। हमारी सरकार लगातार कहती आ रही है कि यह कोआॅपरेटिव के पक्ष में है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में लाखों रुपये खर्च किए, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज बनाईं। आप कह सकते हैं कि एक भी ऐसी सोसाइटी है जो आदर्श है, जिसकी नकल की जा सके। एक भी सोसाइटी राजस्थान में सफल नहीं हुई और हमारी सरकार कहती है कि प्राथमिकता कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दी जायगी। इसका मतलब यह है कि जो किसान जमीन का मालिक है उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। वह गर्व से नहीं कह सकता कि मैं जमीन का मालिक हूं।

तो मेरा निवेदन है कि आप इस स्लोगान को बंद कर दो। आज इन कॉम्यूनिस्ट कन्ट्रीज में भी यह कॉआपरेटिव फार्मिंग सफल साबित नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले श्री ख़ुश्चेव ने पोलैंड के राष्ट्रपति गोमल्क से भी कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया और रूस में इन्डीवीजुअल फार्मिंग के ऊपर आ रहे हैं। युगोसिलेविया के मार्शल टीटो ने तीन वर्ष पहले घोषणा कर दी कोआॅपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग नहीं चाहते हैं और इन्डीवीजुअल फार्मिंग करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार भी उन देशों की नकल करे जो अनुभव के आधार पर जिस चीज को बुरा मानते हैं।

तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने सीलिंग की जो ३,६०० रुपये की व्यवस्था की है उस व्यवस्था में कम से कम एक लॉजिक को स्वीकार करें कि किसान की आमदनी ६०००) से कम नहीं होनी चाहिए और जिस काश्तकार या लैंडलैस टैनन्टस द्वारा इन दिनों जो ट्रांस्फर हो गया वह लीगल है। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। सबसे पहले तो दिक्कत उस समय आएगी जब कीमत का भुगतान उसके मालिक से कराएंगे। आपने इसमें मुआवजे की व्यवस्था की है। वह होगा २० गुना। आप बीस गुने मुआवजे के अंदर जमीन देते हैं या लेते हैं। आपने लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत राजस्थान में जो लैंड एक्वायर की है, वह २० गुने के हिसाब से की है ? उसमें मार्केट रेट को प्रिफरेंस दी है। मार्केट रेट के बेसिस पर कॅम्पेन्सेशन तय किया गया है। इसमें लिटीगेशन्स होंगे। आपको तो किसान के हक में ज्यादा खड़ा होना चाहिए। किसान हलफनामे देंगे कि मेरे पास ३० स्टैंडर्ड एकड़ से जमीन नहीं होती है। उसके बाद में आप डिस्पजैस करने की जांच क्यों करते हो ? आप यदि एक आॅर्डर इश्यू कर दें तो रूल्स के इतने कॉम्प्लीकेटेड होने की आवश्यकता नहीं बैठेगी। आॅर्डर कर दीजिए कि १६५६ के बाद या १६६३ के बाद, जो भी हो तय करें, उसके बाद किसी के पास १० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी। जिनके पास ज्यादा है वे ६ महीने में डिस्पजैस करें। आप समझते हैं कि यह जमीन गरीबों को मिलेगी या हरिजनों को मिलेगी ? यह उनको मिलेगी जो सरकारी

Page No 70

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकारियों को पैसों में खरीद लेंगे, उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी जो वास्तव में जमीनों के हकदार हैं। आप रूल्स बनाइये कि जिसके पास सर्पलस लैंड है वह इन कैटेगरी के लोगों में बांट सकते हैं।

लैंड एलोटमेन्ट का प्रश्न खड़ा होते ही जो रजिस्ट्रियां हो गईं उनको इन्क्लूड करने का प्रश्न खड़ा होता और जो करोड़ों रुपये जमीन के लिये खर्च कर दिये उनको तबाह करने में सरकार को जरा भी महसूस नहीं हुआ। आपके जितने वायदे हैं, गंगानगर में जिन लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि २ करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हुईं……

एक माननीय सदस्य : ४० करोड़।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : सारे राजस्थान में २०० करोड़ की और गंगानगर में ४० करोड़ की।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : २०० करोड़ की रजिस्ट्रियों से कितनी जमीन बिकी होगी ?

श्री भैरोंसिंह : २०० करोड़ रुपयों में जो जमीन बिकी है उसका में कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हो सकता है तो २० लाख रुपये से ज्यदा नहीं हो सकता। २० लाख के मुआवजा का भुगतान आप कर दें। लेकिन २०० करोड़ में २० लाख के नुकसान के बाद जो रुपये किसानों ने खर्च कर दिये हैं उन पर आप, किसानों के २०० करोड़ रुपयों पर आप डाका डालना चाहते हैं जिनका मौलिक अधिकार है प्रोपर्टी के लिये, जिनका मौलिक अधिकार है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये, जिनका मौलिक अधिकार है कम्पेन्सेशन के लिये, उनको आप एक्सप्लोइट करना चाहते हैं। उनको आप लगान का २० गुणा मुआवजा देकर उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मंत्रीजी नाराज होंगे, किसानों पर पोलिटिकल डाकेजनी है, खुले आम किसानों की लूटने की, गरीब किसानों को लूटने की चेष्टा करने के लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार चाहती है कि हमारे हाथ में सत्ता है, पुलिस है, कलेक्टर है। यदि यह सब कुछ है तो इस बात की जिम्मेदारी सरकार ले कि हम उन रजिस्ट्रियों को, उन ट्रान्जेक्शन्स को लीगल नहीं मानते। जमीन से डिस्पजेस करेंगे तो इस बात की लाएबेल्टी लेकर चलें कि जो पैसा खर्च हुआ है वह वापिस दिलायेंगे। यह नहीं कर सकेंगे। आज यह स्थिति हो गई है कि यह व्यवस्था लेकर चलना होगा। आज जो लैंडलेस या भूमिहीन की परिभाषा दी है उसके अनुसार किसी को ट्रान्सफर कर दिया तो वह ट्रान्सफर वेलिड है। उसमें आपका कोई लेना-देना नहीं।

आप इस कानून को कॉम्प्लीकेटेड बनाना चाहते हैं इसलिये कि किसान इसमें फंसा रहे, हमारी खुशामद करता रहे। हम जिस प्रकार का डिक्टेशन दें वह उसको मानता रहे। वैसी हालत से आप इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर सीलिंग का कानून लाते हैं तो उसका हमें विरोध नहीं है, लेकिन सीलिंग से मजदूरों का और जो हाथ से खेती करते हैं उनका एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि एक्सप्लोइटेशन रोकना है, किसानों की आर्थिक स्थिति को कम नहीं करना है, किसानों की बहबूदी को

Page No 71

श्री भैरोंसिंह]

बढ़ाना है, लेकिन ग्राप उनकी बेहबूदी को बढ़ाना नहीं चाहते, उनको मारना चाहते हैं। ग्राप उनको मारकर सीलिंग करना चाहते हैं तो क्या ग्रर्थ होगा सीलिंग से ? क्या ग्राप यह समझते हैं कि सीलिंग से प्रोडक्शन बढ़ेगा ? ३६००) रुपये की इन्कम रखने के बाद क्या ग्राप समझते हैं कि इन्वेस्टमेन्ट करने के चान्सेज़ बढ़ेंगे, रिसोर्सेज़ बढ़ेंगे ? रिसोर्सेज ग्रावेंगे कहां से ? रिसोर्सेज़ उनको सरकार देगी। चाहे तकावी के रूप में दो, चाहे बीज के रूप में दो, चाहे खाद के रूप में दो, सरकार देगी। ग्रौर वह भी कब देगी ? जबकि सरकार को किसान जाकर साष्टांग प्रणाम करेंगे, तब देगी। इसका मतलब यह है कि किसान को ग़ुलाम बना दें। ग्राज ८० परसेन्ट किसानों पर २० परसेन्ट गैर किसान राज्य करते हैं। उस किसान को नेश्त नाबूद करके जमींदोज़ करना सरकार चाहती है।

मैं ग्रापसे कहूंगा कि ग्राप इन्कम का हिसाब लगावें। जो मंत्रीजी कानून बनाते हैं उनकी इन्कम का हिसाब लगावें, जो माननीय सदस्य हैं उनका हिसाब लगावें। २५०) रु. माहवार ग्रौर १५) रुपया रोज भत्ता हमको मिलता है। जो उपमंत्री हैं वे ८००) रु० माहवार लेते हैं ग्रौर ७।। हजार रुपये खर्च करते हैं। इस कानून को लाकर ग्राप उन किसानों की इन्कम ३६००) रु० नहीं, बल्कि १८००) कर देंगे तो ग्राप राजस्थान के २ करोड़ लोगों के साथ विश्वसघात करते हैं। क्या ग्रापने चुनाव के समय उनसे यह कहा था कि हम तुम्हारी इन्कम १८००) फिक्स कर देंगे। ग्रापने कहा होगा कि सीलिंग कर देंगे। मैंने भी तीन-तीन चुनाव लड़े हैं। सन् ५२ में चुनाव लड़ा, ५७ में चुनाव लड़ा, ६२ में लड़ा; मगर किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम तुम्हारी इन्कम घटा कर इतनी कर देंगे। हां, ग्राचार्यजी ने जरूर कहा होगा कि हम तुम्हारे यहां स्कूल खोल देंगे।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : रिपिटीशन शब्दों का हो रहा है। सीलिंग बिल के समय भाषण ग्रापका हुग्रा था वही भाषण फिर हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे ग्रफसोस है कि ग्राप जैसी बुद्धि वाले यहां बैठे हैं तो ठोक ठोक कर कहना पड़ता है, ताकि ग्रापके दिमाग में बात घुस जावे।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : भाषण वही है।

श्री भैरोंसिंह : जिसका मंद दिमाग होता है, मोटी बुद्धि होती है तो सहज ही उनकी समझ में ग्रौर ग्रक्ल में बात नहीं ग्राती इसलिये बार बार कहें तो समझ में ग्रा जाती है।

ऐसी हालत में यह निवेदन करूंगा कि ग्राज ग्राप चाहते हैं कि किसान की ग्रामदनी ३६००) रु. रहे तो मैं सरकार को चैलेंज देकर कहता हूं कि सन् ५३से६३ तक १० वर्ष निकल गये, सीलिंग करते करते क्या ग्राज ३६००) रु. किसान की ग्रामदनी है ? वर्डिक्ट ले लीजिये किसान किधर जा रहे हैं। ग्राज ग्राप लैंड होल्डर किसानों में ग्रौर लैंड लैस किसानों में डिवीज़न क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ग्रापने डिवीज़न क्रिएट किया जागीरदारी के नाम से छोटे जागीरदारों में ग्रौर बड़े जागीरदारों में। ग्रब जागीरदार तो खत्म हुए; तो किस में डिवीज़न क्रिएट करें? तो ग्रापने

(श्री भैरोंसिंह)

छोटे किसानों में और बड़े किसानों में डिवीजन क्रिएट किया और अब आप लैंडलेस किसानों में डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि डिवाइड करो और रूल करो, तो आपने भी सोचा कि गरीब किसानों का विभाजन करो। उनको एक ग्रूप में मत बैठने दो, उनकी जमीन का बटवारा कर दो। अगर वे एक साथ बैठें तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिये उनको डिवाइड करो; टिनेंट्न्स में और लैंडलेस टिनेन्ट्स में। लैंडलेस टिनेन्ट्स क्या होते हैं? जिसके पास लैंड है वह टिनेन्ट् है। आपने कानून में जो व्यवस्था कर दी उसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लैंड लेस टिनेन्ट्स के पीछे राज क्या है ? आप यह कह सकते थे कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है उनको जमीन दी जाय। लेकिन जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा उनको कैसे जमीन दी जाय ? आप यह कह सकते थे कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जमीन दी जाय। आप यह कह सकते थे कि जो लैंड पर काम करने वाले लेबरर हैं या भूमि पर काम करने वाले मजदूर हैं उनको लैंडलेस टिनेन्ट्स मानकर चलेंगे। लेकिन आपने तो यह व्यवस्था कर दी कि राजस्थान के २ करोड़ व्यक्ति 'लैंडलैस' टिनेन्ट्स हैं।

अब मैं यह कहूंगा कि जो कानून बना है वह किसानों के हित में नहीं है। वह कानून लैंडलैस टिनेन्ट्स के हित में नहीं है। वह कानून बना है यह किसी के हित में है तो राजस्थान की कांग्रेस के हित में है। उसमें भी किसी के हित में है तो किसानों की अक्ल पर पर्दा डालकर एक्सप्लोइट करने की क्षमता रखने वाले मंत्रिमंडल में जिन लोगों का बहुमत है उनके हित में है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आप कम्पेन्सेशन के प्रश्न पर, लैंड लेसे टिनेन्ट्स के प्रश्न पर २० गुणा मुआवजा देने को तैयार हैं। मैं मन्त्रीजी से कहूंगा कि आपकी जो १ महीने की तनख्वाह है उसके २० गुणा रुपये हमसे ले जाओ, हम आपको आपकी तनख्वाह का २० गुणा रुपया देते है, छोड़ो कुर्सी को। कोई छोड़ने को तैयार नहीं होवेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके अक्ल की तारीफ करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो भी अक्ल आपकी है वही रहेगी।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि २० गुणा मुआवजा लेने से किसी को संतोष होता हो तो तनख्वाह लेने वाले माननीय मंत्री बैठे हैं उनको २० गुणा मुआवजा हम देने को तैयार हैं। कई उप मन्त्री बैठे हैं जिसकी गिनती मिनिस्ट्री में एल डी. सी. कम लैटर बोक्स के बराबर हैं, वैसे चाहे मोटर में बैठ कर घूमें, चाहे मोटर पर झंडी लगावें, चाहे पुलिस के सिपाही उनको सलाम ठोके, दफ्तर मे फायल पर चाहे वे कुछ भी लिखें और सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी वगेरह चाहे उनकी राय के खिलाफ लिख दें और आगे उनको राय न मानें, लेकिन उनका रुतबा कुछ भी हो काम उनका एक एल.डी.सी. कन लेटर बोक्स के बराबर है। यदि वे एल.डी.सी. को तनख्वाह का २० गुना मुआवजा ले लें और अपनी कॉस्टीट्युएन्सीं में जाकर बैठ जावें तो नुक्सान क्या है ? आप इतने उप-मन्त्री यहां बैठे हो, आपमें से क्या कोई तैयार है इसके लिये ? अब, सभापति महोदया, कोई तैयार नहीं है। इसलिये तैयार नहीं हैं कि मन्त्रिमन्डल में इसलिये नहीं बैठे हैं कि केवल तनख्वाह ही प्राप्त की जाय...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इतना मुग्रावजा लाग्रोगे कहां से देने के लिए ?

श्री भैरोंसिंह : ग्राप तैयार करें। मैं राजस्थान में एक एक पैसे की भीख मांग कर एक एक उप-मंत्री को देऊंगा, इसमें मेरी कोई निन्दा नहीं होगी लेकिन ग्राप तैयार करें।

ग्रब मैं कहना चाहता हूं कि ग्राखिर बीस गुना मुग्रावजा पर ये तैयार नहीं हो सकते ग्रौर गंगानगर के लोगों को कहें कि बीस गुना मुग्रावजा मिलेगा जमीन के बदले। गंगानगर की जमीन देखी है कभी जाकर ? वहां के लोगों ने कितनी मेहनत की है, इस चीज का ग्रहसास किया है ? कितना उन्होंने जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है–इस चीज को कभी देखा है ? जिस समय गंग कैनाल ग्राई, महाराजा गंगासिंह कैनाल लेकर ग्राये, तब लोग वहां जाते नहीं थे, वहां भंयकर जंगल था ग्रौर डाकुग्रों के डर के कारण कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता था। वहां उन किसानों ने जाकर गंगानगर को हरा-भरा किया। उन किसानों ने गंगानगर में जाकर पैसा लगा कर काश्त की ग्रौर उसे राजस्थान ग्रौर हिन्दुस्तान की ग्रेनरी का रूप दिया। ग्राज ग्राप उन किसानों को बेदखल करना चाहते हैं। ग्राज ग्राप उन किसानों को मारना चाहते हैं, जिस गंगानगर के किसानों ने ग्रपनी मेहनत से ग्रनाज पैदा करके हिन्दुस्तान की ४४ करोड़ जनता के लिए खाद्य व्यवस्था की, ग्राप उन किसानों के साथ गद्दारी करना चाहते हैं।

ग्ररे, नमक का कुछ ग्रसर होता है। उनका नमक खाया, उनका गेंहूं खाया, चना खाया, जौ खाया–सब कुछ खाया, लेकिन जब कानून बनाने लगे तो सब कुछ भूल गये। वह दिन दूर नहीं है कि ग्राप जिस प्रकार नमक खाकर भूल जाते हैं, तो एक दिन जनता भी ग्रापको भूल जायेगी। वह दिन दूर नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि कम्पेन्सेशन का जो प्रोवीजन है, गंगानगर की सारी भूमि को ईरिगेटेड मान कर कम्पेन्सेशन देने की बात है, सभापति महोदय, इसमें एक बहुत बड़ा तमाशा हे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मुरब्बे नीलाम होते हैं, उसमें सरकारी व्यवस्था के ग्रनुसार एक एकड़ की तीन सौ से कम बोली नहीं लगाई जा सकती। ग्रब उस मुरब्बे की पूरी कीमत तीन सौ रुपये होगी। लेकिन ग्राज जो लैंड लेस को ग्रौर बाकी के लोगों को जमीन दे रहे हैं वह तीन सौ रुपये एकड़ के हिसाब से, तीन सौ रुपये बीघा के हिसाब से, तीन सौ से बढ़ते बढ़ते २३०० तक पहुंचती है जहां कि बिना ईरिगेटेड, नोन ईरिगेटेड जमीन सौ से दो सौ के बीच में बिकती है। तो किसान उस जमीन की कीमत देते वक्त, जो बाजार से जिस कीमत पर जमीन लेता है उसको भूल जाय, लेकिन जो सरकार जमीन बेचती है, उसके ग्रन्दर उसको सामने रख कर चलते हैं। यह ग्रापकी नैतिकता का दृष्टान्त है। ग्रपका दृष्टिकोण सरकार ने एक ब्लैक मार्केटियर का बना लिया है। ग्राप ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। किसान से जमीन सस्ते भाव में ले रहे हैं ग्रौर सरकार ग्रपनी जमीन तीन सौ बीघा के हिसाब से बेचना चाहती है ग्रौर वह भी उनसे जिन्होने पीढ़ी की पीढ़ी से खपकर ग्रौर बच्चों को भूखों मार कर हरा भरा किया है, उनको ग्राप बीस गुना मुग्रावजा देकर खत्म कर दें। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हिन्दुस्तान में बड़ा से बड़ा ब्लैक मार्केटिग्रर सरकार की तरह का पैदा नहीं हो सका है। इतना बड़ा कोई ब्लैक मार्केटियर महीं है जिस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

कि राजस्थान सरकार बनती जा रही है। कहीं एक बीघा की तेईस सौ रुपये सरकार कीमत लेती है और सरकार देना चाहती है ढ़ाई सौ रुपये। इतना फर्क ? ब्लैक मार्केटिंग की भी एक हद होती है। उसकी हद में आप ब्लैक मार्केटिंग करिये। आपको उसकी आदत पड़ी हुई है। मैं उसका विरोध नहीं करता। आप ब्लैक मार्केटिंग के बिना चैन नहीं ले सकते। मैं आपकी आदत के अनुसार डिस्काउन्ट दे सकता हूं। लेकिन इतना बड़ा फर्क। इस फर्क के कारण, मैं कहना चाहता हूं, और इन सब चीजों के कारण यह होगा कि किसानों का इनीशियेटिव समाप्त हो जायगा। तो किसानों का इनीशियेटिव समाप्त हो जायगा तो किसान सरकार के गुलाम बन जायेंगे। किसानों का इनीशियेटिव समाप्त हो जायगा तो देश के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। प्रोडक्शन पर असर पड़ता है तो हिन्दुस्तान की खाद्य स्थिति खराब हो जायगी। खाद्य स्थिति देश की जब खराब हो जायगी तो हमारे देश के खाद्य मन्त्री अमेरीका जाकर वहां की भीख मांग लेंगे।

सरकार कहती है कि भीख मांगने की आदत है तो भीख हमको ही मिलती है। हमको मिलती ! और भूखे मरने को जनता है। यह सही है कि भीख मांगने में बड़ी होशियारी होती है। होशियार को ही भीख ज्यादा मिलती है। मैं नीरोज के सामने देखता हूं। एक होशियार भिखारिन होती है, तो ज्वालाप्रसादजी भी उसे पांच रुपये दे देते हैं और कोई साधारण भिखारिन कहती है कि मुझे देओ तो वे डांट देते हैं। सोचते हैं कि भीख मांगने में भी होशियारी चाहिए, भीख मांगना एक कला है। लेकिन मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मैं सोचता हूं कि भीख मांगने की आदत क्यों पड़ी ? यह आदत इसलिए पड़ी है कि किसानों का धीरे धीरे इनीशियेटिव समाप्त हो जाय, प्रोडक्शन बढ़ाने की उनकी इच्छा नहीं रहे। पिछले दिनों ३६०० के चक्कर में किसानों ने जान-बूझ कर पैदावार नहीं बढ़ाई। वह इसलिए नहीं बढ़ाई कि अगर बढ़ाते तो उनका सत्यानाश हो जाता और सीलिंग के चक्कर में आ जाते। मैं आपसे और इस सदन के अन्दर जो किसान हैं उनसे कहना चाहूंगा, आप किसानों के बल पर, बहुमत में जीत कर आये हैं और आप दूकानदार हैं नहीं। आप दुकानदार हैं नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दूकानदार की एक प्रवृति आपमें चलती आ रही है, वह कांग्रेस सरकार को शोभा नहीं देती है। कहीं किसानों को टार्जेट बनाया जाय और कहीं इण्डस्ट्रीज़ में मजदूरों का मैनेजमेंट में हाजिर होना चाहिए यह स्लोगन लगाया जाय तो कहा जाता है इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और किसानों की तरफ डाइवर्ट अपने को करते हैं कोआॅपरेटिव फार्मिंग करके, साके की व्यवस्था करते हैं। आज की सरकार पूंजीपतियों के हाथ में चलती है किसानों के हाथ में नहीं। आज आपने देश के करोड़ों नागरिकों की आत्मा को बेचा है, आप पूंजीपतियों के पैसे से खरीदे गये हैं। ऐसे नहीं कि जानवर बिकते हैं। खरीदे ऐसे गये हैं कि अगर पूंजीपति पैसा नहीं दे तो आप इलेक्शन नही लड़ सकते। पूंजीपतियों से पैसा नहीं आवे तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। जीत नहीं सकते तो २५०) रुपये की मौज उठा नहीं सकते थे। आप आत्मा को बेचकर यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I highly object to this sort of expression because this is not the way to address.

Page No 75

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस सदन के विरोधी सदस्य सदन के दूसरे सदस्यों को इस तरह की बात कह कर भड़काने का प्रयत्न करें, यह भड़काने का तरीका सदन का नहीं हो सकता है। मैं सदन के सम्माननीय सदस्य से पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि इसी तरह से आपको भी किन्हीं का खरीदा हुआ गुलाम कह सकते हैं, यह बात भूले नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी एनोलोजी की तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं इस सदन के इधर के सदस्यों को और उधर के सदस्यों को कहता हूं और उन्हें आगाह रहना चाहिए, मैं इस पर बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। ऐसी चीज को प्रोसिडिंग्ज़ से निकाल देना चाहिये। किसी पार्टी के, किसी सदस्य के विरुद्ध यह कहना गलत होगा। जिस तरह वे किसान और जमीन को चाहते हैं, मेरे साथी भी किसान को चाहते हैं, मेरे साथी भी जमीन को चाहते है। इसलिए यह तरीका गलत है और यह गन्दगी की तरफ जाना है। सदन के अन्दर सब समझदार लोग हैं, उनको बेईमान बताना गलत है। मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, एक व्यक्ति थे जो सेठों में बिके नहीं। वे खड़े हो गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी बिके हुए हैं। जो सदन में बैठे हुए हैं, मैं सबको स्वतन्त्र रूप से चुना हुआ मानता हूं। कोई भी सेठ का बिका हुआ नहीं है। आप इस तरह सदस्यों के लिए कह कर किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं, आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। मैं सदन को यह कहना चाहता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन की कमेटी बनाई जाय जो इसकी जांच करे कि कौन किसके पैसे से आया है, कौन किसके पैसे से आया है।

श्री भैरोंसिंह : नसीराबाद से आने वाले सदस्य को मेरी बात से दुख पहुँचा। मेरा यह कहने का आशय नहीं था। मैं निवेदन कर रहा था, उसमें मेरा पर्सनल आक्षेप लगाने का सेन्स नहीं था। माननीय ज्वालाप्रसाद जी स्वीकार करते हैं कि आखिर कांग्रेस के पास इलेक्शन के लिए पूंजीपतियों से पैसा आता है और इलेक्शन में जितना पूंजीपतियों से पैसा आता है...

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : order please !

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, मेरा आशय यह न था, इसे न व्यक्ति के विरुद्ध समझें और न पार्टी के विरुद्ध। मेरा आशय केवल इतना है कि जो पूंजीपतियों से, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से और मिल मालिकों से पैसा आता है, वह इलेक्शन पर खर्च होता है और इलेक्शन में खर्च होता है तो यह लोभ रहता है कि पूंजीपतियों का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पैसा देते हैं इसलिए उनका अधिकार रहे...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप प्रिज़म्प्शन के तरीके से बात मत करिये कि इस तरीके से था या उस तरीके से था। जिसके पैसे से लोकसभा या विधानसभा में पहुँचते हैं वह भी पूंजीपतियों से आता है, आपके लिए पैसा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

खेत में लगता है, आसमान से गिरता है, पूंजीपतियों से नहीं आता और इधर का पैसा उनसे आता है। सब पार्टियों को देते हैं, सब पार्टियां ऐसे ही चलती हैं। उसी पार्टी को लोग पैसा देते हैं जिसके सिद्धांतों में जनता का विश्वास हो। गरीब है तो एक रुपया देता है और सेठ है तो पांच रुपया देता है और राजा है तो दो रुपया देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सेठ पैसा देते हैं तो जनसंघ को ज्यादा देते हैं, जनसंघ के साथ ज्यादा है। हमारे साथ कम है। हमें तो लोग एक एक रुपया देते हैं जिनका हमारे सिद्धान्तों में विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह : लाखों रुपयों का चन्दा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको पैसा देते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं सोचता हूं, माननीय सदस्यों को आपस में इस तरह वाद-विवाद करना शोभा नहीं देता। हमारे सामने जो चीज है हमें उस पर विचार करना है।

श्री भैरोंसिंह : उसी पर मैं बोल रहा हूं। अब मेरा अंतिम प्रश्न इतना सा है और मैं ट्रेजरी बैंचेज़ में बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इलेक्शन के मोह को छोड़ दीजिये, आप दुबारा जीत कर आ सकते हैं या नहीं इसके मोह को छोड़ दीजिये, आप यहां पर अपने दिमाग में एक सिद्धान्त को लेकर चलें कि अगर हमने किसानों के हकूकों को समाप्त कर दिया, किसानों की इनडिपेन्डेंस को खत्म कर दिया और ८० प्रतिशत लोगों को गुलाम बना दिया तो किसानों के राजनैतिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा ? मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से किसान के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन खतम हो जावेगा और किसान २० परसेन्ट लोगों के गुलाम हो जायेंगे और जिस चीज की वे स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद आशा करते जे कि गुलामी से छुटकारा पाने के बाद उनको आजादी का जीवन बिताने का अवसर मिलेगा, उनकी उस आजादी को आप समाप्त कर देंगे। इसमें आपको किसी तरह से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब यह कहा जाए तो चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी माननीय सदस्य जो विधान सभा में बैठी है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह दो परसेन्ट लोगों का मामला है, जिस मामले को लेकर आप यहां पर इतनी बड़ी समस्या बना रहे हैं और सब की बात बना कर कहते हैं।

(शोर-गुल)

श्री भैरोंसिंह : यह ज्वालाप्रसादजी बोल रहे हैं।

मगर मैं यह कहूंगा कि अभी १० मिनट पहले आप खुद यह कह चुके हैं कि ८० परसेन्ट लोगों को खत्म किया जा रहा है, उस समय, समझ में नहीं आता कि कौनसे ज्वालाप्रसादजी बोल रहे थे और अब कौनसे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री ज्वालाप्रसाद और अन्य कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोर गुल)

श्रीमती सभा नेत्री : Order please. माननीय सदस्य को काफी समय हो गया है।

(शोर-गुल)

श्री भैरोंसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय कानून के संबन्ध में नियम बने हैं वे किसानों के खिलाफ हैं। इससे किसानों को परेशानी होगी। इससे आप जिन लैन्डलेस टीनेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और उनकी प्रोबलम को हल करना चाहते हैं वह प्रोब्लम सोल्व नहीं होगी। इसलिये जो रूल्स बनाये गये हैं इसमें किसानों का भला नहीं हो सकेगा और जो लैन्ड पर प्रेशर है उसको देखते हुए लैन्डलेस की समस्या भी हल नहीं होगी। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभापति महोदया, दो दिन से इस सीलिंग रूल्स पर बहस हो रही है.......

श्री रामकिशन (बैर) : सभापति महोदया, यह व्यवस्था का प्रश्न है। १५-१५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाए.....

श्रीमती सभानेत्री : मेरे सामने समय का चार्ट रखा है कि किस पार्टी को कितना समय दिया गया है। समय उसके अनुसार बराबर दिया गया है।

श्री रामकिशन : समय बराबर दिया जा रहा है, वह तो समय चार्ट के अनुसार होगा, मगर....

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी को ९९ मिनट का समय दिया गया है। जनसंघ के तीन आदमी बोले हैं। सबसे ज्यादा समय (१ घन्टा ५१ मिनट) स्वतन्त्र पार्टी को दिया गया है।

(श्री मोतीलाल से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोतीलाल चौधरी : दो दिन से सीलिंग रूल्स के संबन्ध में वाद-विवाद हो रहा है। मैं दो दिन से सोच रहा था कि हमारे विरोधी दल के सदस्य हैं वे अपने विचार किस तरह से तोड़-मरोड़ कर रख रहे हैं। अभी मैंने भाषण सुना, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने किसी भी सेक्शन को डिफाई नहीं किया लेकिन राजनैतिक तरीके से आपका भाषण दिया और बहुत जोर जोर से किसानों के हमदर्द बन कर अपनी बातों को यहां रखा।

सभापति महोदया, वे भी यहां पर सन् ५२ से हैं और मैं भी सन् ५२ से यहां हूं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। सभापति महोदया, राजस्थान में एक जानवर होता है जिसका नाम है किरकाट, वह तरह तरह के रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। बादल जब आते हैं तो वह अपना कोई रंग करता है, जिस समय लू आती है तो वह दूसरा

(श्री मोतीलाल चौधरी)

रंग करता है और जिस समय वर्षा (मेह) आती है अपना अलग रंग बदलता है। इसी तरह यदि मैं जनसंघ को किरकांट का रंग कहूं तो अन्याय नहीं होगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जनसंघ का तो नहीं, आपका तो किरकांट का है।

श्री मोतीलाल (चौधरी) : आप तो एक ही अभी तक हिन्दू हुए हैं। एक ही मुसलमान से हिन्दू हुए हैं। आप अभी चिन्ता मत करो। आप बैठ जावें।

मैं यह कह रहा था कि आपकी पार्टी के नेता पहले ठाकुर मदनसिंहजी थे। उन्होंने भूस्वामियों का आन्दोलन किया, उन्होंने तो क्या किया जागीरदारों ने आन्दोलन किया उसके वे नेता थे और वे इसी पार्टी के नेता थे जिस पार्टी के आप नेता हैं। उन्होंने कहा था कि किसानों को जमीन नहीं मिलनी चाहिये, जागीरदारियें नहीं जानी चाहिये और लोगों पर उसी तरह से जागीरी जुल्म होने चाहिये, वही जनसंघ आज किसानों के लिये यहां पर हिमायती करता है और कहता है कि हम किसानों के हित के लिये कहते हैं। चैअरमैन, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कि इस तरह से विषयों को तोड़ना और जोड़ना और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर हमारे यहां रखना जानते हैं। बहुत से माननीय सदस्य हमारे यहां नये हैं इसलिये उनको आप बताएं।

जनसंघ के नेता बातों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, लेकिन अब भी आप किससे मिलते हैं, किस तरह से काम करते हैं यह सब मालूम है। आज भी हमें मालूम है कि किसानों के लिये आप कितनी हम दर्दी रखते हैं। आज जिस समय आप ८० परसेन्ट किसानों के हितों के लिये यहां बातें कहते हैं तो जब मैं आपका भाषण सुन रहा था उस समय शिक्षा मन्त्री, आचार्य के पास बैठा था। उनके पास कोड बना हुआ है। आप वही पुरानी बातें अपने भाषण में कहते हैं जो आपने दस साल पहले अपने भाषणों में कहीं।

श्री केसरीसिंह (पाली) : सभापति महोदया, यह बात रूल्स से क्या सम्बन्ध रखती है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राज्य रहेगा नहीं। अन्याय करेंगे तो नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बतावें कि क्या अन्याय हो रहा है ? क्या आपको राज्य मिल जावेगा? उन्होंने मेरे पर यह भी आक्षेप किया कि मुझे टिकट मिला इसलिये उधर बैठा हूं, अगर टिकट नहीं मिलता तो उस तरफ आ जाते। मैं उनसे यह बता देना चाहता हूं कि मैं एक ही कॉन्सृटीट्युएन्सी से आया हूं और एक ही कॉन्सृटीट्एन्सी रखता हूं। आपने तीन कॉन्स-टीट्युएन्सीज बदल ली हैं। पहले दांता रामगढ़ से आये, फिर श्री माधोपुर से और अब देखा कि वहां से नहीं आ सकते तो यहां पर दूकानदारों और बनियों से कहा कि मुझे बचाइये।

मैं एक ही कॉन्सटीट्यूएन्सी से आता हूं किसानों की हमदर्दी से आता हूं। मैं सीलिंग के बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम इस प्रोब्लम को एन्ड करेंगे; खतम करके जावेंगे। पहले भी हमने कई बातें यहां किसानों के हित की पास कराई है जिसके लिये हमने उनको आश्वासन दिया

Page No 79

(श्री मोतीलाल चौधरी)

था जब भी ज्यादा जमीन जिसके पास हैं उनसे लेकर किसानों को जो लैन्डलेस हैं दिलवाएंगे । पहले भी जागीरदारों ने कहा था कि हमारी खेजड़ी के लूंग, पापड़ी रहने चाहिये और उस समय भी हमने किसानों को माफी दिलाई थी और जनसंघ के नेता बहुत रोये थे, मगर खेजड़ी और पापड़ी और लूंग के राइट्स जागीरदारों के चले गये और जनसंघ के नेता रोते ही रह गये । जागीरें चली गईं । जो जनसंघ के नेता कल तक जागीरदारों के हिमायती थे आज किसानों के हमदर्द कैसे बनते गये, यह आश्चर्य है । वे ही आज हमको कहते हैं कि कैपिटलिस्टों से चन्दा लेकर जीत कर आये हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से कहता हूं कि हम किसी भी कैपिटलिस्ट से चन्दा नहीं लेते हैं ! कैपिटलिस्टों से विरोधी दल के लोगों ने लिया है, आप लेते हैं, हम नहीं लेते । हो सकता हैं कि हमारे यहां किसी ने एक या दो कैपिटलिस्ट से चन्दा लिया हो, मगर उसी कैपिटलिस्ट से लिया है जिसकी भावना नेशनलिस्ट की हो, लेकिन कॉम्युनलिस्ट भावना वाले से हमने कभी नहीं लिया । आज आप बातें करते हैं किसानों के उत्थान की और उनकी हिमायती करते है । यह भावना आप में कब से उत्पन्न हुई ? जनसंघ तो एक साम्प्रदायिक संस्था है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : Point of Order, Sir......

(श्री चौधरी खड़े रहे)

श्रीमती सभानेत्री : (श्री मोतीलालजी चौधरी से) पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है । कोई भी नया मुल्ला होता है वह जोर जोर से 'अल्लाह अल्लाह' पुकारता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : You are never supposed to decide a point of order.

श्रीमती सभानेत्री : कहिये, आपका क्या पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदया, जैसी कि पहले सूचना मिल चुकी है कि सीलिंग के सम्बन्ध में विचार होगा ···

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order.

(श्री अब्दुलजब्बार से) आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(शोर-गुल)

Order please ! मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें । यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : I am in possession of the floor.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : माननीय सदस्य ने पार्टी पर साम्प्रदायिकता का चार्ज लगाया है, इसे एक्सपंज किया जाए ।

श्री सभापति : Please don't disturb.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : पार्टी पर इस तरह का आक्षेप लगाया है, हमें इसके जवाब का चान्स दिया जाना चाहिये ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं यह कह रहा था कि मेरे लिये यह कहा गया कि टिकट मिला है इसलिये उधर बैठे हो। मैं यह कहूंगा कि यह बात नही है। मोतीलाल कभी भी कांग्रेस छोड़ कर जाने वाला नहीं है। कांग्रेस में आये हैं तो आपके लोग ही आये हैं।

एक माननीय सदस्य : On a point of order, Sir,............

श्रीमती सभानेत्री : No point of order, please ; मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(शोर-गुल)

Order please !

श्री मोतीलाल चौधरी : जनसंघ के सेक्रेट्री कांग्रेस में आये हैं। कांग्रेस का कोई सेक्रेट्री जनसंघ में नहीं आया होगा।

एक माननीय सदस्य : गये होंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : गये होंगे तो कोई 'ऐरे गैरे नत्थू खेरे गये होंगे' उनकी मैं बात नहीं करता।

आपके ऑल इन्डिया जनसंघ पार्टी के सेक्रेटरी ने कांग्रेस की शरण ली और हमारा डा० रघुवीर जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था वह आपका प्रेसिडेन्ट बना। तो कांग्रेस जारी है और जारी रहेगी। सभापति महोदया, अब मैं इस विषय को छोड़ते हुए असल विषय पर आता हूं। मैं अब सीलिंग के ऊपर आ रहा हूं। सीलिंग लॉ ६० में पास किया शान्ति के साथ, जनसंघ के नेता हाउस में थे उस वक्त। उस वक्त उनकी इस तरह की किसानों की हमदर्दी की बातें नहीं थी, उस वक्त उन्होंने और बातें कही थीं। जो आज गंगानगर के किसानों के साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे थे, उस वक्त गंगानगर के किसानों का नाम तक भी उनके मुंह पर नहीं था। तो प्रोडक्शन, किसानों की हालत, इन्वेस्टमेंट कितना कर पायेगा, कितनी पैदाइश कर पायेगा इन सारी बातों को देखते हुए ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर किया था। सरकार उस समय २४०० रुपया ही रख रही थी पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने ही इसका विरोध किया कि २४००) रुपया नहीं ३६०० रुपया किया जाना चाहिये और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने २४००) रुपया के बजाय ३६००) रुपया करवाया।

श्री केसरीसिंह पाली : वही जमीन जिस पर २४००) रु० की ग्रोस प्रोडक्शन मानते थे उसी पर ३६००) रु० की ग्रोस प्रोडक्शन मान ली ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं आता हूं, मैं इसी पर आता हूं; आप सुनिये। २४००) रुपया शुरू में रखा था, पर कांग्रेस पार्टी ने माना नहीं, ३६०० करवाया और इसमें भी लैंड को आधार नहीं माना, इन्कम के आधार रखा है, इन्कम का सोर्स रखा है। वह जितनी जमीन में १० मन गेहूं या इसकी इक्वल कीमत का अनाज पैदा करता है उसको इटेन्डर्ड एकड़ मानेंगे और इसमें नेचरल प्रोड्यूस को फ्री किया है, पेड़, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल आदि से जो उनकी इन्कम है उसे फ्री किया हैं, इसमें शामिल नहीं किया हैं। किसान का सोर्स ऑफ इन्कम क्या है, यह आप और हम सभी जानते हैं। एक किसान के पास गाय, भैंस, बैल,

(श्री मोतीलाल चौधरी)

बकरी; भेड़ सभी रहते हैं। सभी से हमें हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, मिक्स्ड फार्मिंग से प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। जब तक हिंदुस्तान में मिक्स्ड फार्मिंग नहीं किया जाता तब तक कोई एग्रिकल्चरिस्ट पनप नहीं सकता, मिक्स्ड फार्मिंग के जरिये प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे तो हमारे देश का काम चल नहीं सकता। केवल खेती ही नहीं प्रोडक्शन में एग, मिल्क, मीट, फ्रूट्स और दूसरे सभी प्रोडक्शन आते हैं जिसके आधार पर समाज को चलाना पड़ेगा। खाली बाजरा, गेहूं और दूसरा अनाज पैदा करके काम नहीं चला सकते। मीट, घी, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल आदि का भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। मैं जैनी हूं, पर एग्रीकल्चर इकोनोमिस्ट हूं, इसमें कोई धर्म नहीं चल सकता। अमेरिका के पी. एल. ४८० के बिना हम जी नहीं सकते, यहां यह है तो सीलिंग के पीछे बुनियाद है प्रोडक्शन और इसलिये एक बात सामने आती है कि खाली खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है, हमें मिक्स्ड फार्मिंग करना पड़ेगा। नागौर के किसानों को बैलों से इनकम होती है, सांचौर बाढ़मेर के किसानों को बैलों और गायों से इन्कम होती है, तो इनकी इस इन्कम को छोड़ दिया है, बीकानेर की अच्छी भेड़े होती हैं तो उनकी इन्कम को छोड़ दिया है, बकरी की इन्कम को छोड़ दिया है, राजस्थान की बकरी हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट बकरी होती है, उसकी इन्कम को छोड़ दिया है। खाली लैंड के बेस पर किया है कि जितनी लैंड में कम से कम १० मन गेहूं या इससे इक्विवेलेंट कीमत का अनाज पैदा हो उसे एक स्टेन्डर्ड एकड़ मानेंगे, ऐसी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि देंगे एक ५ आदमियों के परिवार के लिये, अगर परिवार बढ़ जायगा तो डबल करेंगे, ६० स्टेन्डर्ड एकड़ दे देंगे, यह हाउस ने पास किया है। मैं आपको आश्वासन दूं सारे राजस्थान की जनता, ८० परसेंट की बात रख रहे थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के कहने से राजस्थान सरकार ने एक्सेप्ट किया है।

सीलिंग के बिल को १९६० में पास किया है, पर आज तक जनता ने कहीं नहीं कहा कि ३० एकड़ को हम नहीं मानते हैं। १९६० में यह कानून पास किया, इसको लागू नहीं किया; क्यों नहीं किया, इसके कारणों में मैं नहीं जाऊंगा। जिस तरह के रूल्स आये हैं उनको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स को गठित किया है, जिस स्थिति में पास किया है तो सरकार ने यह देखा नहीं है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को मानते हुए ये रूल्स एक्ट से मेल खाते हैं या नहीं। इस चीज को सरकार ने नहीं देखा है। जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा रूल्स में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के उसूल से नीचे चली गई है सरकार।

तो सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगी....

अनेक माननीय सदस्य : चाहूंगी ?

श्री मोतीलाल चौधरी : मुझे आपको देख कर हो गया।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : लिंग भी बदलने लग गये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उपमंत्री शिक्षा) : माननीय सभापति महोदया, वह एक्सपंज किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य जारी रखें !

Page No 82

श्री मोतीलाल चौधरी : तो माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का जो प्रिंसिपल है, जिसका प्रावधान एक्ट में किया गया है, उससे इन रूल्स में सरकार नीचे चली गई है। इस प्रकार यह देखे बिना ही कि ये रूल्स मूल एक्ट से मेल खाते हैं या नहीं, ये रूल्स बनाये गये हैं, सरकार को चाहिये था कि इन रूल्स को टेस्ट करती, ये रूल्स एक्ट से मेल खाते हैं या नहीं; यह देखती। यदि टेस्ट करके सरकार इन रूल्स को बनाती तो इस तरह की बात नहीं होती। जो रूल्स पेश किये हैं इनको टेस्ट करें और फिर रूल्स बनाए तो गंगानगर के किसान आपत्ति नहीं करेंगे। इस तरह रूल्स में जो कानून पास किया है उसके खिलाफ बात रखी गई है।

सभापति महोदया, मैं किसे सुनाऊं; जो इसे पाइलोट कर रहे हैं वे मन्त्री यहां नहीं है। कोई मंत्री नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आप कैसे कह रहे हैं ? हम जिम्मेदार हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपने केबिनेट लेबल पर इन रूल्स को पढ़ा नहीं है, इसलिये आपको पूरा पता नहीं है, क्योंकि आप केबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। केबिनेट मिनिस्टर ही केबिनेट लेवल पर पढ़ सकता है।

(व्यवधान)

विषय यह है माननीय सभापति महोदया, रूल्स में व्यवस्था की है, सीरीयस अगर हो गवर्नमेन्ट तो क्लॉज ५ में इस सारे कानून को लागू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन बढ़े, इन्वेस्टमेन्ट आये, काश्तकार जो काम करने वाला है वह उतना ही काम करे और लैंड जितनी है उसको दें। उससे अधिक नहीं चाहिये।

श्री केसरीसिंह (पाली): राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन, जिसके आप मेम्बर हैं, वह उनको देखे।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप जिस देश का रेफरेन्स देते हैं उसका नाम है अमेरिका; वहां पर भी दो तरह के काश्तकार हैं। एक काश्तकार तो वह है जो बिलीव करता है सीलिंग में। उनकी संस्था का नाम है 'फॉर्म्स यूनियन'। 'फेमिली होल्डिंग' होनी चाहिये और यदि नहीं होगी तो केपिटलिस्ट्स उस पर कब्जा कर लेंगे और लेबर को हटा देंगे और आज भी नतीजा यह है कि १७ करोड़ की जनसंख्या है, हमसे तीन गुनी जमीन रखते हुए भी ८० लाख आदमी अनएम्प्लोयड बैठे हुए हैं और हमारे यहां ४० करोड़ में हैं अनएम्प्लोयड, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस गरीबी में इस देश को सम्हाला है, उनको कम से कम एग्जिस्टेन्स में लाना पड़ेगा। यह निश्चित बात है और कुछ लोग कहते हैं, मैं उनको मानूंगा, कि प्रोडक्शन की दृष्टि से, जिनके पास पैसा है, धरती है उनको क्यों नहीं मौका दें। उनको मौका किस हालत में दें ? उनको मौका उस हालत में देने के लिए तैयार हैं कि जब वे प्रोडक्शन करने के लिए आते हैं, अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, धरती को काम में लेते हैं तो हम उनको मौका दें। शीप ब्रीडिंग में, केटल ब्रीडिंग में, होर्टिकल्चर में उनको रखा है। गंगानगर के किसानों को ढंग से समझाया जाय कि इसका मूल उद्देश्य क्या है। वे मान जावेंगे। पैसा उनके पास है, अच्छी तरह से वे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वे मेकेनाइज्ड और एफिशियेन्ट फार्म्स लगावें।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

उनको जमीन मिल सकती है। अगर वे न करें और जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं है, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि धरती जिसके पास नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक आर्थिक रिवोल्यूशन हो सकता है और निश्चित रूप से सरकार को सीलिंग लागू करना चाहिये। लेकिन सभापति महोदया, आपकी मार्फत में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा रूल्स में डिफेक्ट है, इम्प्लीमेन्ट नहीं होने वाले है, ६० के बाद ६३ में बात कर रहे है और ऐसा लगता है कि ६४ लागू होगा तब काम शुरू होगा और शायद वह भी निकल जायगा। जो कमी है उसको दूर कीजिये। गंगानगर में लैंड सेल हो गयी, कहा गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से किया है राजस्थान के अन्दर जागीरदारी और बिस्वेदारी को यहां से हटाया था, हमने कोई झगड़ा नहीं किया, तरीके से, कानून से उठ कर, बैठ कर फैसला किया। उससे गरीबों का फायदा हुआ और जागीरदारों को भी फायदा हुआ और जागीरदार भाई आज हमारे साथ बैठे हैं। जिस तरह से हो गया, यह तो उस पर रुकावट डालना चाहते थे, इल्लीगल ट्रान्सफर मानते हैं, राज्य की जमीन थी, जुलाई तक कब्जा कर लिया तो माफीदार खातेदार मान लिया। यह भी सही बात है। मान लीजिये किसी ने कब्जा कर लिया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनिट।

मान लीजिये किसी कारण से ले लिया, तो मूल बात मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने जिस ढंग से किया है, इल्लीगली ट्रान्जेक्शन कर लिया है, रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्रार ने कर दिये, लेकिन इस प्रकार के इल्लीगल ट्रान्स्फर्स को नल एन्ड वॉयड कर सकते हैं, इसमें बहुत ट्रान्जेक्शन्स हो गये हैं, किसान पर असर पड़ेगा। जिनके ट्रान्स्फर हुए हैं, जिन्होंने मोल ले लिया है और बेचा है उनको सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो सकती।

पार्टिशन के बारे में सीलिंग को सिम्पली रोकने के लिए उसको इल्लीगल करार देते है, उसकी जमीन लेते हैं, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन तो बड़ा है। आपके इस सीलिंग के बाद भी, रूल्स को ठीक ठाक कर भी लेंगे, वह प्रोब्लेम हल नहीं होने वाली है। आप चाहते हैं कि सही रूप से काश्तकार के पास जमीन रहे, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो और तौर से कहा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, कानून का झगड़ा रहेगा, गिरदावरी का झगड़ा रहेगा; काश्तकार को, किसान को पटवारी और तहसीलदार के पास भागना पड़ेगा। फैसला स्पष्ट है। सीलिंग लागू हो जावेगा ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय राजस्व उप-मंत्री जी! आप डेफिनिशन को बदल दीजिये। काहे को झगड़े में पड़ते हैं? एक तो यह है कि पर्सनल कल्टीवेटर कौन है? खेती करने वाला ही खेती करेगा, धरती उसी के पास रहेगी जो काश्त करता होगा। इस प्रकार की डेफिनिशन रखने से सब झगड़ा समाप्त हो जाता है। सबलेटिंग को आप खत्म कर दीजिये। जयपुर को ही ले लीजिये। तहसील जयपुर का आप सर्वे कराइये। आपको मिलेगा। सौ में से ८० प्रतिशत काश्तकार अपने खेत को ही नहीं जानते हैं कि कौन सा उनका खेत है। मेरे पड़ौस में है तो पूछते हैं कि मेरा खेत कौन सा

(श्री मोतीलाल चौधरी)

है। मैं कैसे बताऊं ? वह काश्तकार है, लेकिन खेत में कभी आता नहीं। सबलट करते हैं। प्रोडक्शन बढ़ता नहीं, कूए खोदते नहीं, नहर लाते नहीं, बिजली लाते नहीं। ऐसे काश्तकारों को हटाना चाहिये। गंगानगर ही नहीं बल्कि जो माननीय सदस्य सामने बैठे हैं सीलिंग विरोधी हैं, वे इससे सहमत होंगे कि काश्तकार को, खेती करने वाले को खेती मिलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में निवेदन करते हुए सरकार से कहूंगा कि जमीन के लिए सीलिंग को लागू करना चाहिये और मैं समझता हूं कि जो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर किया है उससे पीछे नहीं हटना चाहिये, रूल्स में बाहर नहीं जाना चाहिये। प्रोटेक्शन अवश्य रहना चाहिये। सरकार की मंशा सीलिंग लागू करके प्रोडक्शन बढ़ाने की भी है। यदि आप यह तय नहीं करेंगे कि पर्सनल कल्टीवेटर कौन है, कौन खेती कर रहा है और किसकी जमीन मिली है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया……

श्रीमती सभानेत्री : माननीय उमराव सिंहजी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, एक ऐतिहासिक बात पर यहां चर्चा हो रही है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदया, दो दिन से इस पर बहस हो रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : किसका नाम पुकारा गया है ?

श्रीमती सभानेत्री : मैं पहले सम्बोधित कर चुकी हूं।

श्री दलपतसिंह : दलपतसिंह ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय उमराव सिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदया, दो दिन से ऐतिहासिक बात पर चर्चा चल रही है। ऐतिहासिक इस लिए कहता हूं कि जो सरकार सत्तारूढ़ है, इस नियम और कानून को सदन में पेश कर अपने आपको बहुत ही प्रगतिशील मान रही है, मुझे अफसोस इस बात का है कि क्या वह आज इस बात का हक रखती है कि इस तरह का कानून लाकर या नियम बनाकर अपने आपको प्रगतिशील कहे ? मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४७ के पहले जो राज्यों के अन्दर प्रजामंडल थे या देश में जो कांग्रेस थी उन्होंने इस जमीन के बारे में अपनी क्या नीति बनायी थी, कौनसा प्रोग्राम उन्होंने आजादी के लड़ाई में जनता के सामने रखा था; उस वक्त की बात को वे लोग ध्यान में रखें जो इस कानून में और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के द्वारा यह साबित करना चाहते हैं कि सरकार बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम प्रान्त के अन्दर उठाने जा रही है, वह एक थोथी बात है और एक गलत बात है। जो कुछ १९४८ में सरकार को कर देना चाहिये था वही आज सरकार १९६३ में भी नहीं कर पायी है। उन्होंने उस वक्त यह साफ-साफ कहा था कि जितने भी जमींदार और जागीरदार लोग हैं उनके पास जितनी जमीन है वे सब काश्तकारों के हाथ में आनी चाहिये। यह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उस वक्त कांग्रेस का नारा था। अफसोस है कि हिन्दुस्तान का यह इतिहास है कि जो भी सरकार बनती है उसको अपने आपको टिकाये रखने के लिए कुछ खम्भे खड़े करने होते हैं। जिस तरह मुगल राज्य ने अपने आपको टिकाये रखने के लिये राजा-महाराजाओं को खम्भे बनाया उसी प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने अपने आपको टिकाने के लिये इन बड़े बड़े पैसे वालों को अपने खम्भे बना रखा है, अपने आपको टिकाये रखने के लिये ये बड़े बड़े खम्भे बना लिये हैं; कुछ जागीरदारों को, कुछ जमींदारों को खम्भा बना लिया है, उनके ऊपर बैठ कर शासन चलाना चाहते हैं। वास्तव में सरकार की नीयत होती जमीन लेने की तो जिस वक्त में प्लान बनाया था उसी वक्त में लागू किया जाता तो २० लाख एकड़ जमीन मिल सकती थी। आज आप इसे लागू करने जा रहे हैं इसमें आपको सिर्फ पांच लाख एकड़ जमीन मिलने वाली है वह भी ऐसी जमीन है जहां पहाड़ है, पत्थर हैं या रेगिस्तानी भूमि है, वह सरकार को मिलेगी। मैं सरकार से यह जानकारी चाहूंगा कि इसमें कितनी काबिल काश्त भूमि उनको मिल पायगी वह बताया जावे। कोई प्लानिंग नहीं। सरकार कहती है एक किसान जिसके परिवार में ५ आदमी है उसकी आमदनी ३६००) रु० होगी उस पर यह लागू होगा। हिन्दुस्तान की पालियामेंट में अभी कुछ दिनों पहले नेशनल इनकम का सवाल आया था। उसकी डिबेट से साबित हुआ कि हमारे हिन्दुस्तान में २७ करोड़ से ज्यादा आमदी ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी ३१ न० पै० और इससे भी कम है। जिस देश के अन्दर इस तरह से लोगों की आमदनी हो उसका हिसाब लगाने वाले ३६००) रुपये सालाना के आंकड़े किस तरह से फिट बैठाते हैं। जब सीलिंग में ३० स्टेंडर्ड एकड़ की बात कही गई है और वह भी दस मन प्रति एकड़ की उपज के आधार पर फिक्स किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, तीस स्टेंडर्ड एकड़ और उसमें दस मन प्रति एकड़ पैदावार होने पर तीस स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग मानी गई है। अगर किसी एकड़ में दस मन से ज्यादा पैदावार होने लग जाय तो क्या आप सीलिंग की मिकदार कम करेंगे? उस हिसाब से उसके पास ज्यादा जमीन हुई तो क्या आप उसको छीनने की कोशिश करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वे नियम में आनी चाहिये। ३० एकड़ की जो सीमा है वह सारे राजस्थान में कम से कम निर्धारित की जानी चाहिये। उसमें पैदावार का सवाल नहीं होना चाहिये। जैसी इस प्रान्त की हालत है दस मन प्रति एकड़ पैदा करने वाली कितनी जमीन हमारे राजस्थान में है वह तो उप-राजस्व मन्त्री महोदय बतायेंगे और कितनी भूमि ऐसी है जिसमें दस मन प्रति एकड़ से कम पैदावार होती है। मैं समझता हूं, राजस्थान में जितनी जमीन काबिल काश्त है वह ३२५ करोड़ एकड़ जमीन है। इसमें से ज्यादातर जमीन ऐसी है जिसमें से १० मन प्रति एकड़ पैदा नहीं होता। इस तरह की जहां हालत है वहां ३६००) रुपया प्रति वर्ष आमदनी प्रति फेमीली फिक्स की है इससे माननीय राजस्व उप-मन्त्री सदन में बताने की कोशिश करेंगे कि यह किस आधार पर निश्चय किया है?

आज सवाल इस बात का नहीं कि लोगों से जमीन ली जाय या नहीं ली जाय। सवाल यह है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनके लिये सरकार ने क्या किया? जो यह नारे लगाते थे कि हर एक आदमी को खाने को मिलना चाहिए, रहने को मकान मिलना

(श्री उमरावसिंह डावरिया)

चाहिये और पहिनने को कपड़ा मिलना चाहिये तो इसके लिये सरकार की ओर से जवाब आता है कि इन तीनों चीजों को मुहैया करने के लिये हमारे प्रान्त को और देश को बहुत वर्ष लगेंगे। माननीय सभापति महोदया, जिन लोगों ने अंग्रेज सरकार को खत्म करने के लिये यह नारा दिया था काफी सोच-विचार कह महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिया था। वह सरकार निकम्मी है जो इन चीजों को मुहैया नहीं करती है। कांग्रेसी सरकार १७ साल राज्य करने के बाद भी यह कहती है कि इन तीनों चीजों के मुहैया करने के लिये और ज्यादा समय चाहिये। ऐसी सरकार निकम्मी है, आपको अपने आप हट जाना चाहिये। १७ साल कम नहीं होते एक आदमी को मकान देने के लिये। आज सीलिंग का यह कानून ग्रामीण लोगों के लिये लगाया जा रहा है और यह कहा जाता है कि शहर की जमीन पर भी यह लागू किया जाय। मैं तो पहले कह चुका हूं, यह ऐतिहासिक बात है कि आज की सरकार उन्हीं लोगों के खम्भों पर चल रही है जो शहरों में रहते हैं। उन लोगों के लिये यह कानून बनाने वाली नहीं है। जिस वक्त में किराये का बिल आया था उस वक्त मैंने यह बात उठायी थी कि इस एक्ट के अन्दर यह भी प्रावधान कर दिया जाय कि जिन लोगों के पास शहर के अन्दर एक से ज्यादा मकान हैं उन मकानों को ले लिया जाय और जो किराये पर रहते हैं उनको दे दिया जाय, उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हुई। क्या यही सोश्यलिस्टिक सरकार है? यह सरकार तो ऐसी है जो समय आने पर जागीरदारों के पैर पकड़ ले, जमींदारों के पैर पकड़ ले। जो कानून १६५६ में बनाया गया था उसको आज ६३ तक लागू नहीं कर पायी है। आज नियम बनाकर जरूर आये हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि १६६३ के बाद भी यह सीलिंग लागू होगा या नहीं होगा; यह नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसके लिए नियम बनाये गये हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि लैन्ड-लैस कौन है, इसकी फहरिश्त कौन तय करेगा? वह तहसीलदार के केडर का अधिकारी होगा? उपमंत्री महोदय यह जानते हैं कि अलोटमेन्ट रूल्स बने हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी हमारी पार्टी के सदस्य ही बोले हैं। समय बहुत बाकी है। मेरे अलावा और कोई बोलने वाला नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपको पांच मिनट और दूंगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अलोटमेंट के रूल्स बनाये हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जमीन उसी आदमी को दी जाय जो खुदकाश्त करता हो। सभापति महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन सत्रह सालों के अन्दर जो जमीन अलॉट की गई है उनमें कितने आदमी ऐसे हैं जो खुदकाश्त नहीं करते हैं और उन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और जिनके पास ऑलरेडी १५ एकड़ जमीन होते हुए भी फिर अलॉटमेन्ट किया गया है, ऐसे आदमी कितने हैं? ऐसे अफसर लोग कितने हैं और कितने किसान लोग हैं और अन्य कितने लोग हैं? इसके आंकड़े मंत्री महोदय जवाब देते समय जरूर देंगे। सरकार खुद सीलिंग के लिये

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

नियम बना रही है मैं उपमंत्री राजस्व से पूछना चाहूंगा, ५६ से ६३ तक के समय में कितने लोगों ने सरकार से सीलिंग कानून के नियमों के खिलाफ कितनी जमीन अलॉट करवाई है और उसके क्या आधार हैं ?

मैं इस बारे में एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । कोटड़ी तहसील में एक आदमी को जमीन दी गई ३५० बीघा ताकि वह पैदावार बढ़ा सके । उसको इसके लिए जमीन दी गई, किन्तु एक बीघा के अन्दर भी हल नहीं चलाया, सेर भर भी अनाज नहीं डाला । केवल चारे से जो आमदनी होती है उसी से वह कमा खाते हैं । मैंने इस संबन्ध में प्रश्न उठाया था । गुलाबपुरा के पास में १४०० बीघा जमीन एक बड़े सेठ को दे रक्खी है । इसी तरह से नहरी इलाके में भी हजारों सैकड़ों बीघा जमीन पर वहां काम करने वाले बड़े बड़े अफसरों ने कब्जा कर रक्खा है १६५६ से लेकर आज दिन तक । आप यह बता दें कि क्या उन पर इन सब रूल्स को लागू करेंगे ? आप एक कमीशन बैठा कर जिन लोगों ने इस प्रकार की होल्डिंग्ज पर कब्जा किया उन सबको नाजायज़ करार देने के लिए तैयार हैं ? अगर आप इस तरह से कमीशन बैठाकर जांच नहीं करेंगे और इस प्रकार अनधिकृत कब्जा करने वालों से जमीन नहीं लेंगे तो आप के हाथ में बहुत कम जमीन लगने वाली है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने नाजायज तौर पर जमीनों पर कब्जा कर रक्खा है उनसे जमीनें ली जांय तभी आपको थोड़ी बहुत जमीन मिल सकेगी ।

लेकिन वह भी चूंकि आपने तहसीलदार के हाथ में लैंडलैस लोगों की लिस्ट बनाने के पावर रक्खे हैं. इसलिए मैं कह सकता हूँ कि, जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें राजनैतिक इन्टरफीयरेन्स बहुत होगा, वह होगा । मैं भी मानता हूँ । मैं अलॉटमेन्ट कमेटी का मेम्बर हूँ और अच्छी तरह से यह जानता हूँ कि जमीनों के बटवारे में किस तरह से राजनैतिक पोइन्ट को ध्यान में रखा जाता है और इसलिए कहता हूँ कि एक कमेटी के द्वारा इस तरह से दी हुई जमीनों की जांच कराई जावे कि वह किन किन और किस किस तरह के लोगों को मिली है ।

तो यह जो लिस्ट बनने वाली है, वह भी ऐसे ही लोगों की बनेगी जो नौकरी करते होंगे, नेतागिरी करते होंगे, अफसर होंगे, वकालत या और तरह के ऐसे ही धन्धे करते होंगे, उन सबको लैंडलैस लिखा जावेगा । यह नहीं लिखा जावेगा कि वे काश्त भी कर सकते हैं या नहीं । इसका ध्यान नहीं रखा जावेगा, पर जो खादी के कपड़े पहनते हैं, या जो अमुक पार्टी के लोग हैं इसका ख्याल रखकर लिस्टें बनाई जावेंगी ।

इसलिये मेरा निवेदन करना हैं कि बजाय तहसीलदार के या ऑफिशियल लोगों के हाथ में ये अधिकार देने के आप पंचायतों को या पंचायत समितियों के हाथों में ये अधिकार दें या जिला परिषदों को दें या ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन्स हैं उनके हाथ में दें कि वे इस तरह की लिस्टें बनावें । और जो वास्तव में लैंडलैस हैं और जो खेती करेंगे यह खात्री है ऐसे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के और शिड्यूल्ड कास्ट के और पिछड़े और बेरोजगार खेतिहरों को जमीन दी जानी चाहिए । पर अगर इस तरह के लोगों की लिस्टें आफिशियल लोगों द्वारा बनाई जावेंगी तो निश्चित है कि उसमें राजनैतिक पुट होगा, ये लोग कभी भी इम्पार्शियल लिस्टें नहीं बना सकेंगे । इसमें जरूर राजनैतिक अड़ंगेबाजी आवेगी । अगर सरकार वास्तव में समाज-

(श्री उमरावसिंह डावरिया)

वाद की तरफ बढ़ना चाहती है और सही माने में सही लैंडलैस लोगों को जमीनें देने के लिए उनको लिस्टें बनाना चाहती है तो ईमानदारी रखे, सतर्कता रखे। शुद्ध और पवित्र दिमाग और दिल रखकर काम करने की तैयारी बतावें। वरना हमारे इस सदन के सैशन में तीन-चार इस प्रकार के प्रोग्रेसिव बिल्स आये वे सभी यों ही पड़े हैं। न जमीन दूसरों की ली, न बड़े बड़े लैंड होल्डरों से ली, न पैसे वालों से ली और न राजा-महाराजाओं से लेने वाले हैं। ये तो सिर्फ अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह की प्रोग्रेस की बातें करने वाले हैं, वरना अगर वास्तव में करने वाले होते कुछ प्रोग्रेस का काम तो सन् ६० में ही यह बात हो सकती थी।

श्रीमती सभानेत्री : श्री भगराज चौधरी।

श्री हरिराम घारू (सिवाना-सु०) : मुझको तो सिर्फ सभापतिजी, हरिजनों की बात कहनी है इसलिये थोड़ा समय मुझे भी दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आपको बाद में पांच मिनट दे दूंगी, अभी तो चूंकि उनका नाम ले लिया है इसलिये उनको बोलने दें।

श्री भगराज चौधरी (रानीबाड़ा) : सभापति महोदया, आज से चार साल पहले सीलिंग का कानून इस सदन द्वारा पास किया गया था।

इस कानून के अन्तर्गत जो आवश्यक नियम बनने चाहिए थे, वे कुछ कारणवश अब तक नहीं बन पाये। वे अब बनकर हमारे सामने विचारार्थ पेश हुए हैं।

सीलिंग का कानून जो हमारी सरकार ने बनाया उसका मैं स्वागत करता हूं। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। इससे अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को दूर करने का एक अवसर मिला है। लेकिन प्रश्न इस बात का है आज कि यह अन्तर केवल कानून और नियम बनाने मात्र से ही क्या दूर हो जायगा? मेरी धारणा है कि इससे नहीं होगा। सही तरह से और पूरा ध्यान रख कर हम इसे अमल में लावेंगे तो कुछ उद्देश्य पूरा हो सकता है। सीलिंग के इस कानून के जरिये गांवों की जनता को जमीन का सही ढंग से और समान रूप से बंटवारा करने का प्रश्न हमारे सामने है।

हो सकता है कि गांवों की जमीन का बंटवारा करने का आज सरकार ने विचार किया है तो इसके बाद कल शहरों की बारी भी आ जावे। शहरों में लोग आज लाखों की सम्पत्ति बनाये बैठे हैं, और सोशल जस्टिस का नारा भी वे लगाते हैं। जहां तक सोशल जस्टिस का सवाल है, कानून के सामने सब बराबर हैं, संविधान में सबको बराबर अधिकार दिये हैं। सबके पास समान रूप से जायदाद व प्रोपर्टी रहे। तो जहां तक शहरों का प्रश्न है, कुछ सालों के बाद में विचार करें और सरकार गरीब और अमीर के बीच का भेद मिटाने की की कोशिश करे।

अब निवेदन करना चाहूँगा कि जिन रूल्स पर हम विचार कर रहे हैं, उन में क्या खामियां है। इनमें कुछ खामियां हैं। अगर उनको सही माने में दूर दिया जावे तो जो मकसद रूल्स बनाने का है वह पूरा हो जावेगा और ये रूल्स पूरा फायदा उनसे सम्बन्धित लोगों को देंगे, ऐसी मुझे आशा है।

(श्री भगराज चौधरी)

इस बारे में सबसे पहले अर्ज करना चाहूँगा कि वे लैंडलैस टीनेन्ट्स जो अपना नाम दर्ज कराना चाहें इस उद्देश्य से कि नाम दर्ज कराने के बाद में जमीन सरकार से प्राप्त कर सकें, उनको अपने नाम तहसीलदार को भेजने पड़ेंगे। तहसीलों में जिस प्रकार का करप्शन है, कहना तो नहीं चाहिए, पर कह देता हूँ कि वहां करप्शन है और हम और हमारी सरकार दोनों इसे जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं तो यह जानते हुए भी और इसे मिटाने की कोशिश करते हुए भी इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। यह भी एक तथ्य है। इसे मिटाने में कई खामियां और रोड़े सामने आते हैं। मिटाने की कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह मिट सकता है। पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तहसीलों के पास काम की मात्रा भी बढ़ गई है। तो इन बातों को देखते हुए यह भूमि-हीन काश्तकारों की सूची तैयार करने और उनके नाम दर्ज कराने का काम उनके हाथ में नहीं सौंपा जावे। बल्कि यह किया जावे कि जो जो तहसीलदार हैं वे अपनी अपनी सम्बन्धित पंचायतों में किसी नियत दिन पर पहुंच जावें, पटवारी को भी साथ में ले लें और वहां जाकर किसी दिन पंचायतों की बैठक बुला लें और जो जो लैंडलैस काश्तकार हैं उनको पहले इन मीटिंगों की इतला दे दें कि अमुक तारीख को हम पंचायत में इस काम के लिये आने वाले हैं इसलिये जो जो भूमिहीन हों और जो अपने नान दर्ज कराना चाहें वे उस दिन मौके पर पहुंच जावें और अपने नाम दर्ज करा लें। और उस दिन तहसीलदार पटवारी के साथ पहुंच कर वहां उनके नाम दर्ज कर लें। वहां सरपंच भी हाजिर हो जावेगा और, मातबर आदमी भी हो जावेंगे उनके सामने ये नाम दर्ज करा लिये जावें। यह सबसे अच्छा तरीका होगा। इससे बड़ी आसानी रहेगी, करप्शन भी नहीं होगा, इसमें और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं होगा, लैंडलैस टीनेन्ट्स को परेशानी भी नहीं होगी, उसे तहसील तक जाने की और वहां नाम दर्ज कराने की तवालत नहीं होगी, रजिस्ट्री से भेजने की झंझट से भी हैरानी नहीं होवेगी। क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्री से भेजी हुई दरख्वास्त या जाकर दी हुई दरख्वास्त क्लर्क उसको पेश ही न करे और तारीख गुजर जावे और फिर बाद मयाद में कह दिया जावे कि अमुक काश्तकार ने तो टाइम पर नाम ही नहीं भेजा इसलिये उसे भूमिहीन नहीं मानते। तो इन झंझटों से भी वह बच जावेगा। अगर वहां नाम दर्ज नहीं होगा तो उसका नाम अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने नहीं जा पायेगा, और वह भूमि लेने से वंचित रह जावेगा। तो इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस तरह से आदेश जारी कर दिये जावें और इस तरह का प्रोवीजन इन नियमों में कर दिया जावे कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उसकी कैडर का आदमी स्वयं पटवारी को लेकर पंचायतों में नियत समय पर चला जावे और वहां नियत समय पर सबको बुलाकर उनकी नामावली तैयार कर ले। इस तरीके में कपट. छल बल खेले जाने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि काश्तकार जो अपना डिक्लेरेशन फार्म अपनी जमीन बाबत पेश करता है वह एक एक को करना होगा, उसे भर कर एस.डी.ओ. को देना पड़ता है। अब एक एस. डी. ओ. के नीचे लगभग ३०० गांव होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक हैड क्वार्टर के नीचे जहां ३०० गांव काम करते हैं उनमें कुछ तीस-तीस, चालीस-चालीस मील दूर भी पड़ते हैं

(श्री भगराज चौधरी)

तो उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि सभी काश्तकारों को रूल्स के अनुसार निश्चित तिथि का समय पर पता पड़ जावे। इसलिये एस. डी. ओ. ऐसा बन्दोबस्त करे कि वह स्वयं पंचायत हैडक्वार्टर पर पहुंच जाय या अपने नोमिनी को भेज दे और जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म भी साथ ही साथ ले लें और उनकी छंटनी भी पटवारी के द्वारा या रेवेन्यू इन्सपेक्टर के द्वारा, जिसके भी द्वारा करानी हो, वह भी करले। अमुक व्यक्ति के पास जमीन ज्यादा है या कम इसका निपटारा वह फिर करता रहे। इस प्रकार लैंडलैस टीनेन्ट की लिस्टें तैयार कर ली जावे और दूसरी तरफ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा लिये जायं और इस तरह काश्तकार जो डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर देता है उसकी लिस्टें भी साथ ही तैयार कर ली जाय। फिर उसको एस.डी.ओ. के सुपुर्द कर दिया जाय। इस माफिक कर दिया जावे तो बहुत आसानी रहेगी। मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रकार के रूल्स को सरल रूप नहीं दिया गया तो इसमें बहुत भ्रष्टाचार की गुंजाइश है जिसको सरकार को रोकना बहुत मुश्किल होगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिराम घारू।

श्री हरिराम घारु (सिवाना-सु०) : सभापति महोदया और सरकार के मंत्रीगण, मैं आपको एक ऐसी अर्ज करना चाहता हूं कि आपको शायद मालूम होगा मेरा तो हृदय रो रहा है कि सीलिंग अमल में लाकर भूमि के लिए कहते हैं परण सरकार ने अभी तक किसानों को नहीं दी। बाहर जाकर मैंने आंखों से देखा है कि भील, भाभी और सांसियों के पास जमीन नहीं और रोजगार नहीं होने से उनके बच्चे तड़प कर मर रहे हैं और इधर सामने क्या है कि ६-६ कोस का बड़ा बड़ा फोड़ जैसे जसोल के रावल जी बिराजते हैं किसी शहर को आय बढ़ जाये तो उससे हरजाना वसूल कर लेते हैं। तो ६-६ कोस में किसी को बढ़ने नहीं देते हैं और भील, भांबी, सांसी उनके पैरों पड़ते हैं तो वह उनको ज़मीन नहीं देते हैं। सीलिंग का तो यह अंग्रेजी लफ्ज़ है लेकिन मैं जानूं कि एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन रहना अच्छा नहीं है और आप जानते हैं देवी जी, कि भंगी जनता जिसके पास जमीन नहीं है वह क्या करेगी ? किसान भूखे बाहर जंगलों में क्या करेंगे ? या तो खुद मरेंगे या किसी के ऊपर जाकर मरेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हां, यह बात है कि जो सरकार की जमीन है जो इस तरफ के कई भाई लोग बोले कि अलॉटमेन्ट तहसीलदार नहीं करता है यह बिलकुल गलत है मैंने राजस्थान में देखा है और मेरी कान्सटीटुएन्सी सिवाना में जहां सेन्ट परसेन्ट जागीरदार पंच हैं वहां तहसीलदार ने एक एम० एल० ए० मुझको बुलाया, सरपंच को बुलाया, प्रधान, बी० डी० ओ० को बुलाया और मैंने क्षेत्र में देखा है कि हजारों बीघा जमीन सरकार ने बांटी है और यह गलत बात है कि तहसीलदार नहीं देता है। यह लोग तो न मालूम किन विचारों से बोलते हैं। शायद इनका स्वार्थ हल नहीं होता होगा। लेकिन सरकार तो जागरुक है। लेकिन अब सीलिंग भी सरकार जल्दी से जल्दी लागू कर देगी।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : शुरु में तो आपने कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट को जमीन नहीं दी, तो अब कैसे कह रहे हैं कि दी है ?

श्री हरिराम घारू : किसानों को जमीन देते हैं तो इतनी जमीन बांटें कि उसका गुजारा हो जाये। एक तरफ रावलजी हैं, उनके पास हजार और दस-दस हजार बीघा जमीन है और एक किसान भील, भांबी, चमार, भंगी है उसके पास दो बीघा भी नहीं है और उनके यहाँ जाकर हाली रहते हैं। यह हाली वाली प्रथा को छुड़ा दो तो अच्छा है। तो जल्दी से जल्दी मेरा सरकार से निवेदन है कि सीलिंग को जल्दी से जल्दी अमल में लाकर जमीन बांट दे। कम से कम एक किसान की २००) रुपये की आमदनी हो इतनी जमीन देनी चाहिए। अब न मालूम किधर कैसी जमीन हो, कहीं मिटयाली, कहीं दोबवाली है। राजस्थान में दो तीन तरह की जमीन है। मैं निवेदन यह करता हूं कि किसानों को २००) रुपये की आमदनी हो जिससे कम से कम उनके ७ कुटुम्ब में १००) रुपये का तो अन्न, ५०) रुपये की लूण मिर्च कपड़े शाक सब्जी आदि लाये और ५०) रुपये में बच्चे पढें ....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : ५०) रुपये की लूण मिर्च में तो डिसेन्ट्री हो जायेगी।

श्री हरिराम घारू : आप लोग तो बड़े तपस्वी हैं। आप त्याग करते आये हैं और मैं आशा करता हूं कि जमीन भूखी जनता की शान है, आप उसका त्याग करके दे देंगे, मुझे यह तो विश्वास है।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि सरकार भूमिहीनों में भंगियों को रखेगी तो गलत बात है। उनको तो शहरों में ही काम करने देना चाहिए।

श्री हरिराम घारू : वे दिन तो लद गये हैं। भंगी तो अभी मजिस्ट्रेट भी है। शायद आप सपनों की बात कह रहे होंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि भंगी टट्टियाँ उठा रहे हैं, अगर उनको खेत सरकार दिला दे तो हमारी जाति की जिन्दगी सुधर जाये और खेत मिल जाय तो धान पैदा करने का बहुत अच्छा काम वे सीख लेंगे और मैं यही सरकार से निवेदन करता हूं कि उनकी पॉलिसी अच्छा है; जरा थोड़ी सी धीमी है यह नहीं होना चाहिए......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कांग्रेस से निकाल देंगे।

श्री हरिराम घारू : कांग्रेस में से क्या निकालेंगे, हमारा जन्म ही कांग्रेस में हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि जीवन-दान दिया है तो कांग्रेस ने ही दिया है, बाहर कैसे जायें ? बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। जरा सोचकर बोलिये। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, सभापति महोदया, कि बड़े बड़े जागीरदार नाराज न हों हमने उनकी बहुत सेवायें की हैं थोड़ा सीलिंग के मामले में हमारी मदद कर दें और थोड़ा गंगानगर के इलाके के लोगों को न भड़कायें और खुद ही त्याग करके जमीन किसानों को बांट दें। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन भी तूती बजा रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान के बारे में तो हमारे हिन्दुस्तान में यह कहावत है कि बांझ के पूत पैदा करने की नीति अपना रहा है। तो उसका ऑपरेशन विदेशी डाकटर से करवा

(श्री हरिराम धारू)

रहे हैं। उसके न तो काश्मीर हाथ आने वाला है और न कुछ। यह तो उनको नीति खत्म होने का खतरा है और चीनी विदेशी डाक्टरों की फीस पाकिस्तान को चुकाना मुश्किल हो जायेगा। तो ऐसी धमकियों से तो डरने वाले हम नहीं हैं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि राजाओं ने और जागीरदारों ने मिलकर बहुत त्याग करके सेवा की है तो यह जर्मन भी दे दो। अगर आप जमीन दे देंगे तो किसान मजबूत हो जायेंगे और फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो हम डटकर मुकाबिला करेंगे। मेरी आत्मा रो रही है, सभापति महोदया, कि भांबी, सांसी भंगी हरिजन भूखों मरते पतली राबड़ी और इतनी हांडी भरकर बाजरी की राबड़ी करके खाता है, उसके पास खेत नहीं है। मेरी सरकार से मेरी पुरजोर अपील है कि इस सीलिंग को आज ही पारित करें मैं ऐसा विश्वास रखता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय श्री दलपतसिंह जी। केवल ५ मिनट।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदया, आज सीलिंग रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स के बारे में दो दिन से डिस्कशन चल रहा हैं। आज मैं भी आया हूं और मैंने यह डिस्कशन्स सुने हैं। कई पहलुओं के ऊपर माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये। सबसे बड़ा नारा तो यही देखा कि सभी लोग एकदम बड़े प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा कानून है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा कानून है। इस सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में हमारे देश में सीलिंग लाना बहुत जरूरी है और जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि एक जागीरदार के पास तो १० हजार बीघा जोड़ के नाम से उनके पजेशन में है और दूसरों के पास १५ बीघा भी जमीन नहीं है। इसी इनइक्वेलिटी को खत्म करने के लिए हमने ४ साल पहले इसी विधान सभा में १६५८ में इस कानून को लाये और कानून को लाकर आज सभी यही सदस्य बोलते हैं कि यह पार्टी इतनी देर क्यों लगा रही है। इनको यह पता नहीं कि देश में एक प्रगतिशील कानून लाकर उसको इम्पलीमेन्ट कैसे करना चाहिए। यह हंसी-खेल की बात नहीं है। अगर किसी कानून को इम्पलीमेन्ट करते हैं और हजारों आदमी एक एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे उसमें उसके अन्दर यह कह दें कि कल का कल ही कानून पास कर दो यह कहां तक उचित बात होगी। यह तो मूर्ख आदमियों की बात होगी, इस तरह की शिक्षा देना। मैं देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर जो कि बैकबोन ऑफ दी कन्ट्री है और हम लोग अपने जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो एग्रीकल्चर के पीछे हमारे सब आधार होते हैं। बिलकुल ठीक है, प्रोग्रेसिव कानून है, सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी हमारे देश के अन्दर लाना चाहिए लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि आज काश्तकारों का कहना है कि सीलिंग के द्वारा काश्तकारों का उत्थान हो जायेगा। अपने यहां एक कहावत है 'रांड के रांड पगा लागे कि म्हारं जैसी तू'; इसका मतलब यह है कि एक रिवाज है औरत अपनी से बड़ी के पैर छूती है तो वह आशीर्वाद देती है कि सुहागिन हो, सपूती हो। पर यहां तो एक विधवा के विधवा पैर दाबती है वो आशीर्वाद कैसे दे- क्योंकि उसके पुत्र हो नहीं सकता। और काश्तकार का बेटा भी पढ़-लिखकर बड़ा बन सकता हैं। आखिर काश्तकार भी एक्सपैक्ट करता है

(श्री दलपतसिंह)

कि मेरा बेटा आर० ए० एस० में बैठ कर अच्छा बने। आपने आज ३६००) का दायरा बांध दिया है एक काश्तकार की फैमिली के लिए। इधर आप शहरों की तरफ नहीं देख रहे हैं कि जहां मकान मालिक किरायेदारों से लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन आज वही सिर्फ गरीब तबके ऊपर जिसको इस सुपीरियर क्लास को रिलीफ देनी थी उसी के ऊपर आज अटैक हो रहा है। ठीक है, समानता आ जायेगी। सीलिंग का कानून लायें। लेकिन सब सदस्यों का जोर देना कि जल्दी लाइये और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस कानून को लाने में देरी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इतना बड़ा कानून लाने के पहले उसके समझने में टाइम लगता है। इसके अन्दर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इसके अन्दर जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि तहसीलदार जाकर कैसे असेसमेन्ट कर देगा कि एक बीघा के अन्दर १० मन व्हीट का प्रोडक्शन होता है और उसके पीछे कितने बीघा जमीन उस फैमिली के लिए ठीक रहेगी। तो मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि इस कानून के अन्दर आप देख लें, हजारों बीघा के जोड़ को देखकर कर दें।....

जैसा कि आपने विधेयक बनाया है उसमें उस तरह से निर्धारित हैं, मगर आपको पता होगा कि पहले के राजस्व मन्त्री ने ३ साल पहले यह बताया था कि केनाल एरिया के अन्दर प्रोडक्शन में आसानी है, लेकिन हमारे जोधपुर डिवीज़न में जहां कि कुओं से सिंचाई होती है वहां पर कितना लेबर करना पड़ता है। एग्रीकल्चरिस्ट्स को कितनी केलेमिटीज़ को फेस करनी पड़ती है। १५ तारीख के पहले हमारे देश के अन्दर सब लोगों के और मन्त्रियों के होश उड़ गये थे। १५ तारीख के पहले क्या पोज़ीशन थी? उनको कितनी केलेमिटीज को फेस करना पड़ता है। आप गांवों में जाइये, मेरे इलाके में सिरोही, बाड़मेर, रानीवाड़ा वगैरह सभी क्षेत्रों के अन्दर काश्तकारों के पास कपड़े पहनने को नहीं हैं मैं गारन्टी के साथ आपको कहता हूं कि मेरे एरिया में जालोर में, सिरोही में, जागीरदारों के पास से कम से कम ५ हजार बीघा जमीन आप आज ले लेंगे, लेकिन आज मैं फण्डामेंटल ऑफ सीलिंग कानून के बारे में बात करता हूं कि वहां पर काश्तकारों को किस तरह का रिलीफ आप दे सकेंगे? काश्तकारों में ८-८ शेयर होल्डर्स हैं और पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। मैं कह देता हूं कि आप ५००, ४०० एकड़ से ज्यादा जमीन आपको सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली नहीं है वह जमीन भी कैसी होगी? वह जमीन ऐसी होगी कि जहां काश्तकार काम नहीं कर सकते हैं। प्रेक्टिकली में गांवों में टूर करता हूं, मुझे पता है, काश्तकारों की पोजीशन वही होगी। यद्यपि सीलिंग के नाम पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मैं सब माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि गंगानगर और बीकानेर में जहां बड़े बड़े चक्के पड़े हुए है वहां पर काश्तकारों को जमीन मिल जायगी, लेकिन मैं होल जोधपुर डिवीज़न की दशा बतलाता हूं कि सिवाय जैसलमेर के यदि काश्तकारों को १० एकड़ के हिसाब से दे देंगे तो मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि आप जोधपुर डिवीज़न में काश्तकारों को १० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दे सकेंगे। इससे बहतर है कि काश्तकारों की उन्नति के लिए सीलिंग लॉ इस तरह से लाया जाय कि दूसरे जो अच्छे काश्तकार हैं जिनके पास १०० बीघा जमीन है, तो वह इकोनोमीकल है, जिससे कि उसके पास में कपड़ा हो, वह एज्यूकेशन दे सके अपने बच्चों को। आज की परिस्थिति में, इस टाइम में नहीं हो सकेगा। आप देखिये, काश्तकारों की

(श्री दलपतसिंह)

बात आप कहते है। मैं एलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर हूं। मैं जगह जगह की टूर करता हूं। १५ एकड़ जमीन काश्तकार को देते हैं...

श्री केसरीसिंह (पाली) : १५ एकड़ नहीं, १५ बीघा।

श्री दलपतसिंह : तो आज क्या हालत है कि हिन्दुस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर ८० पर्सेन्ट लोग एग्रीकल्चर के अन्दर लगे हुए हैं जब कि अमेरिका में ६ पर्सेन्ट ही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि ८० पर्सेन्ट के बाद में यह हालत है कि १५ बीघा जमीन पर बतौर लेबर के काम करते रहें। इसलिए गांवों में जो अच्छे काश्तकार काम कर रहे हैं उनके पास १०० बीघा रहने दें तो इससे ज्यदा देश की भलाई होगी और देश के प्रोडक्शन के लिए हाउस को बताना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

५ मिनट, Five minutes only.

श्रीमती सभानेत्री : Five minutes too much. One minute only.

श्री दलपतसिंह : One minute is too little. I have some suggestion to put forward for the betterment of cultivators. I speak only seldom.

तो मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं हाउस के सामने कि अगर गांव के अन्दर काश्तकार के पास १०० बीघा जमीन होगी तो क्लासिफिकेशन में यह क्लियर कर दूं, माननीय राजस्व मन्त्री की इन्फर्मेशन के लिए मैं यह क्लियर कर दूं कि पहले वाले राजस्व मन्त्री ने यह कहा था कि कुओं से सिंचाई पर पूरा पैसा खर्च करना पड़ता है और ७५ एकड़ क्लियरकट उन्होंने तहसीलवाइज किया था कि अगर ३० एकड़ नहरी एरिया में है तो कुए के अन्दर लिमिटेशन ७५ एकड़ का माना था। उसके अन्दर सेटलमेंट का रेकार्ड देखे बिना ७५ और ५५ इस तरह से क्लासिफिकेशन २ कर दिये हैं। इसके ऊपर जरा गौर फर्मायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन एक टेक्निकल बात है जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के देखने की जरूरत है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं, माननीय सभापति महोदया, कि जो इम्प्लीमेंटेशन सीलिंग का हो वह १०-१० बीघा गांवों के काश्तकारों को न देकर कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को खोलकर लैण्ड पर प्रेशरन बढ़ने दें। उनको शहरों में भेज दें और इन्डस्ट्रियल सेक्टर में उनसे काम करायें और जो बड़े अच्छे काश्तकार हैं और जिनके पास कम जमीन है उनको १५ बीघा और दे दें ताकि उनकी आर्थिक पोज़ीशन अच्छी रहेगी। सीलिंग का मतलब यह नहीं कि काश्तकार की बर्बादी करें। लैण्डलेस टिनेन्ट के पास १० या १५ बीघा रहेगी तो वह अनइकोनोमिक होल्डिंग होगी और वह पैर छोड़ देगा। उसके बजाय उसको इन्डस्ट्रियल सेक्टर में भेजकर काम कराना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वास्तव में लैण्डलेस टिलर को जमीन एलॉट करें तो एलॉटमेन्ट कमेटी में यह एमेंडमेंट लायें कि काश्तकार जिनको कि जमीन पर बसा रहे हैं उनके पास में कम से कम ७५ एकड़ जमीन से कम न हो, चाहे वे आदिवासी

Page No 95

(श्री दलपतसिंह)

हों, राजपूत हों, शिड्यूल्ड कास्ट का हो, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, वर्ना जमीन का टेम्पटेशन देकर उस जमीन को इम्प्रूव करने के बजाय उसको खराब करना है। इसलिए आप मूल सिद्धान्त रखें कि लैण्डलेस टिलर को जमीन एलॉट करने के टाइम में ७५ एकड़ से कम जमीन किसी को भी नहीं मिले। वे उस पोजीशन में, एक्स्ट्रीम पोजीशन पर नहीं रहें। आबू रोड में आदिवासियों को ढ़ाई बीघा जमीन है। उन सब को इन्डस्ट्रियल सेक्टर में तब्दील करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको इन्डस्ट्री खोलकर आगे बढ़ाया जाय, वर्ना दो-दो बीघा जमीन देकर काश्तकारों की इकोनोमिक होल्डिंग्स को खराब करना है। इससे बैटर तो यही है अगर एलॉट ही करना है तो ५०० काश्तकार हैं उनको २००, २०० बीघा बराबर जमीन दे दी जाय तो इससे उनका आर्थिक स्तर अच्छा हो सकेगा।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हमारी पार्टी के एक भी आदमी को आज नहीं बोलने दिया है, यह कहां का न्याय है ?

श्रीमती सभानेत्री : १५१ मिनट आपकी पार्टी को दिये जा चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : एक आदमी भी बोला नहीं है आज। सभानेत्री महोदया, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी को जरूरत से ज्यादा रियायतें दी गई है।

श्री मानसिंह महार : एक आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी को काफी समय दिया गया है।

राज्य पक्ष के एक माननीय सदस्य : जो हमेशा बोलते हैं उनको मौका दिया जाता है और हम कभी कभी बोलते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है।

श्रीमती सभानेत्री : I am sorry.

श्री मानसिंह महार : १५१ मिनट दिये हैं, मगर आज किसी को भी नहीं बोलने दिया गया है। अपने विचार जरूर एक्सप्रेस करूंगा चाहे आप कुछ भी करें। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है······

श्रीमती सभानेत्री : Order please !

(घंटी)

श्री मानसिंह महार : क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी है, सभापति महोदया, जो कि इसका विरोध करना चाहती है इसलिए सब फैक्ट्स सामने लाना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करूंगा कि आधा घंटा ···

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए।

(शोरगुल)

यह हमारे साथ घोर अन्याय होगा। हम उप-मंत्री को जवाब देने नहीं देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : आपसे निवेदन किया जा चुका है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं अध्यक्ष की अनुमति के बगैर टाइम नहीं बढ़ा सकती।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय ने कल वायदा किया था कि हमको बोलने दिया जायगा। अब आप कहती हैं कि······

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कोई वायदा नहीं किया था, बल्कि ७ के बजाय ७.२० हो गए हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारे एक आदमी को भी आज नहीं बोलने दिया।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य को यहां के रूल्स का पता नहीं। आप बैठ जाइए।

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे निवेदन करूं कि रूल्स का मुझे सब पता है। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, उसके कॉन्सीक्वेन्सेज को मैं समझता हूं। लेकिन हमारी पार्टी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको जरूर मैं सदन में रखूंगा। मैं इस बात का विरोध करूंगा। हम इस सीलिंग के रूल्स का विरोध करते हैं। इसलिए हमारा मुंह बंद किया जाय, यह न्याय की बात नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप सदन की परम्परा को तोड़ रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा। मैं मौशन पुट करता हूं कि दस मिनट के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मैं इसका समर्थन करता हूं। यह राजस्थान के किसानों का सवाल है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना प्रश्न रख दें। अगर बहुमत मान जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं।

श्री मानसिंह महार : अगर सदन नहीं मानेगा तो भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे हाउस ने, ऑपोजीशन के मेम्बरों ने समय ऐग्री किया था कि ७ बजे तक इस कानून के बारे में बहस होगी। उसके बाद में भी ७.२० हो गए हैं। यदि माननीय सदस्यों ने उसको आगे बढ़ा लिया तो फिर उसका जवाब नहीं होगा। जैसे आप फरमा रहे हैं वैसे ही दूसरे पक्षों के लोग कहेंगे कि हम भी बोलना चाहते हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, जो चौमू से आते हैं, यदि इस तरह से समय बढ़ाने के बारे में आप कहेंगे तो इसका अंत नहीं होगा। दो दिन के बजाय तीन दिन कर लिया। आपकी बात को अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया। अब सात के बजाय साढ़े सात···

(शोरगुल)

(श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री मानसिंह महार से) स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करना

(श्री मानसिंह महार)

चाहता हूं कि इस तरह से .स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। यदि आप निकलवाना चाहेंगी तो मैं निकल जाऊंगा।

श्रीमती सभानेत्री : देखिए, स्वतंत्र पार्टी को १५१ मिनट दिए गए हैं, कांग्रेस को १२६, जनसंघ को सिर्फ ६६। मैंने बहुत ज्यादा रियायत बरती है।

श्री मानसिंह महार : कैसे रियायत बरती हैं? लीडर ऑफ दी ऑपोज़ीशन का भाषण भी १५१ मिनट में है, आपको मालूम होना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक स्वस्थ परम्परा को बिगाड़ने की चेष्टा न करें।

श्री मानसिंह महार : जो हमारी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है सभानेत्री, उसका मैं विरोध करूंगा। आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं तो न्याय की मांग करूंगा। जो आप कहती हैं कि विरोधी दल के नेता ने एक घंटा लिया वह सारे विरोधी दल का समय है। अगर श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री बोलते हैं तो वह कांग्रेस पार्टी का ही सिर्फ समय नहीं है, हम सबका समय माना जाता है, वैसे ही लीडर ऑफदी ऑपोजीशन हैं। आप इंगलैंड की परम्पराओं को जानती हैं जिसके द्वारा.......

श्रीमती सभानेत्री : देखिए यहां भारत की परम्परा रहेगी, इंग्लैंड की नहीं रहेगी।

श्री मानसिंह महार : ४० आदमियों में से एक आदमी भी सारे दिन में नहीं बोला। आप कहती हैं कि भारत की यह परम्परा है। अन्याय है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : Point of order......

श्री मानसिंह महार : मैं पॉइन्ट आफ ऑर्डर सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं अपना भाषण जारी रखता हूं। सीलिंग्ज़ के रूल्स के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि....

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : मुझे दुख है कि आपने सदन को गलत बात बताई। आपकी पार्टी का एक मेम्बर आज बोला है।

श्री मानसिंह महार : वह कल की स्पीच, थी वह उसने कन्टीन्यू की। आज मेरी पार्टी का कोई आदमी नहीं बोला।

(शोरगुल)

उधर बैठने वालों को दुख हो रहा है। कोई बात नहीं है। हम भी आपके एक आदमी को नहीं बोलने देंगे। अगर आप मेजें ठोकोगे तो हम भी ऐसा करना जानते हैं। हम आपका सिर फोड़ना जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगी कि यह कहां तक उचित है? आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाइये, यह ठीक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरा नम्र निवेदन केवल मात्र यह है कि स्वतंत्र पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों को जो समय नहीं मिला है....

श्रीमती सभानेत्री : इसके बारे में यह निवेदन करूं कि तीन दिनों की बहस में सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा रियायत स्वतंत्र पार्टी को दी गई। १५१ मिनट स्वतंत्र पार्टी ने लिये, जबकि कांग्रेस ने १२६ मिनट लिये और जनसंघ ने ६६। इस तरह से अगर माननीय सदस्य जिद पर अड़े रहेंगे तो सदन की स्वस्थ परम्पराओं को कैसे कायम रखा जा सकता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका निर्णय सर्वमान्य होगा, लेकिन यह सीलिंग का कानून है। स्वतंत्र पार्टी से बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है और जो कुछ मैंने इसमें ४०-४५ मिनट का भाषण दिया वह अगर विरोधी पक्ष के नेता के नाते है तो वह समय मेरे ख्याल से स्वतंत्र पार्टी के समय में से निकालना होगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है और अगर उतना समय निकाला जायगा तो स्वतंत्र पार्टी को १०० मिनट ही मिले हैं तो उसके मुकाबले में। दूसरी पार्टियों से मेरा विरोध नहीं है। लेकिन ६६ मिनट जनसंघ को भी मिले हैं। तो स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य को आज समय मिलना चाहिए। उसके उपरांत भी जो आपका निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा।

श्रीमती सभानेत्री : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो फरमाया, मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकती। आप खुद इस बारे में सोचें कि अगर एक एक व्यक्ति यह जिद्द कर बैठेगा तो सदन की परम्परा कैसे चलेगी ? आपने फरमाया कि स्वतंत्र पार्टी का इससे घनिष्ट सम्बन्ध है तो एक सदस्य के बोलने से क्या फर्क पड़ेगा ? यह केवल जिद्द है।

श्री मानसिंह महार : आदरणीय सभानेत्री महोदया, सदन के सामने जो सीलिंग्ज़ के रूल्स पेश हुए उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं...

(शोरगुल)

आपके जरिए उप-राजस्व मन्त्री को निवेदन करूंगा।

(शोरगुल)

मैं यों बैठने वाला नहीं हूं चाहे क्या भी हो जाय, मैं बैठूंगा नहीं। मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : Order please ! मैं स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता से अर्ज करती हूं कि इस बारे में आप इन्हें समझावें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : on a point of order, sir, सभापति महोदया, मैं इस सन्बन्ध में आपसेनिवेदन करना चाहता हूं कि आपने फरमाया कि स्वतंत्र पार्टी को १ घन्टा ५१ मिनिट का समय मिला है। यह बहस १२ घंटों तक चली है। १२ घंटों में से कांग्रेस पार्टी का समय निकाल दें और ६ घंटे दें तो विरोधी पक्ष में स्वतंत्र पार्टी की संख्या को देखते हुए २ घंटे का समय इस पार्टी को मिलना चाहिये। इनको समय इनकी संख्या के प्रपोर्शन से कम मिला है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिये। सदन का समय १ घंटा बढ़ा देने से समस्या सुलझ सकती है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो समय बढ़ सकता है। उनकी अनुमति के बिना नहीं बढ़ सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : On point of order, Sir.........

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

इस तरह से हल्ला करके टाइम बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ सकता, टाइम बढ़ाने का सवाल नहीं है। १ घंटा ५१मिनिट का समय उनको मिल जाने के बावजूद भी वे इस तरह से खड़े होकर समय नहीं लेते और पहले रिक्वेस्ट करते तो शायद मिल सकता था लेकिन जब डिबेट क्लोज़ होकर गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई देने का समय आया तो इस तरह से उसका विरोध करना, चेयर की आज्ञा का उल्लंघन करना सदन की परंपरा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिये माननीय सदस्य इस तरह से इन्सिस्ट नहीं करेंगे वरना दूसरे माननीय सदस्य उनका इन्स्टान्स लेकर सदन की परंपरा खराब करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये इनको और टाइम नहीं दिया जा सकता।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय उपमंत्री अपना वक्तव्य शुरू करें।

श्री मानसिंह महार : उपमन्त्री हैं नहीं, जितने में मुझे बोल लेने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मानसिंह महार : मैं स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अपोजीशन, विरोधी सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखरी आपकी इच्छा के अनुसार आज का समय ७ बजे तक का था उसको बढ़ा कर ७.३० बजे तक का कर दिया। इस तरह से अगर चर्चा करते चले जायं तो चर्चा कई दिनों तक हो सकती है लेकिन आखिर में तो एक जगह आकर रुकना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य स्वयं समझदार आदमी हैं, चेयर का रूलिंग है उसका आदर करना चाहिये। आधा घंटे में जवाब हो जायगा। आगे हमको २ दिनों में ५ बिल पास करने हैं। माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय के सामने कुबूल किया है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट का जवाब शुरू किया जाय, माननीय सदस्य अड़ें नहीं। सब नेताओं के साथ वे भी शरीक थे। जिस समय फैसला हुआ था कि इस पर इतने समय तक बहस होगी। अब अगर वे उससे पीछे जाते हैं तो बहुत खराब बात है। उनको मानना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : मेरा भी जवाब सुनलें ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक मिनिट में अर्ज करना चाहूँगा। यह सही है कि आज सारे वक्ताओं के भाषण ७ बजे समाप्त होने चाहिये थे और ७ बजे के बाद उप-मंत्रीजी को मौका मिलना चाहिये। लेकिन इनके कुछ ग्रीवान्सेज़ हैं उनको आपके सामने रखने की इच्छा ज्यादा है तो मंत्रीजी जिन्होंने अभी कुछ कहा था उनसे निवेदन करूंगा कि यह सही है कि निर्धारित समय पर ही समाप्त होना चाहिये था और इतना

(श्री भैरोंसिंह)

समय बढ़ाया है तो ५ मिनिट का समय इन्हें और दे दिया जाय तो इससे उलझन पैदा नहीं होती । मैं सभापति महोदया, आपकी मारफत सरकारी बेन्चेज़ से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको ५ मिनिट मिलने से कोई उलझन पैदा नहीं होगी, इनकी पार्टी के लिये ५ मिनिट और बढ़ाये जायं तो कोई हर्ज की बात नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir, समस्या यह नहीं है कि सम्माननीय सदस्य को टाइम दिया जाय या नहीं । सवाल यह है कि इस प्रकार से व्यवहार न करके हमको खुद को डिसिपिन रखना है और आपके सामने हमको व्यवस्था करनी है इसलिये मैं सम्माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि इस स्थिति में किसी तरह का खराब प्रिसिडेन्स कायम करना हमारी परम्परा के खिलाफ है । चेयर की प्रतिष्ठा हमारे सदन के एक एक माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा है । इस प्रतिष्ठा को कायम रखना सारे सदस्यों का कर्तव्य है, इन्डिविज्युअल सदस्य का और हमारा जोइन्ट कर्तव्य है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि चेयर की रूलिंग के खिलाफ बात न करें । वक्त का कोई सवाल नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता कि आपकी रूलिंग जिस तरह से आई है उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये, ऐसा करना इस सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा, चेयर की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा । इसलिये मैं अपील करता हूँ कि उनकी स्वयं प्रतिष्ठा रखनी है, नहीं रखने से प्रतिष्ठा कायम नहीं होगी ।

श्री मानसिंह महार : मुझे मेरे पोइन्ट का एक्सप्लेनेशन देना चाहिये, उसके बाद आप जचे जैसा करें । मैं आज इन्सिस्ट कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ५ मिनिट का टाइम दे देंगे तो सीलिंग रूल्स में उथल-पुथल आ जायगी । मेरा यह आग्रह है कि मैं जिस पार्टी का व्हिप हूं उस पार्टी के ४० सदस्य हैं । यह मुतवातिर हो रहा है कि हमारी पार्टी को पूरा समय नहीं दिया जा रहा है । हमारी पार्टी के लिये आपने फरमाया कि एक घण्टा ५१ मिनिट का समय मिला । वह दो दिन का टाइम इन रूल्स पर बहस करने के लिए रखा था उसमें से मिलना था । दो दिन का समय कल खत्म हो रहा था । डिप्टी मिनिस्टर साहब को बुलाकर कहा था कि कल कल का समय और बढ़ा दिया जाय इसलिए आज का समय और बढ़ाया गया लेकिन आज जो समय बढ़ा उसमें से हमारी पार्टी को समय नहीं मिला । इसके लिए मैं प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ । चाहे मुझे सदन से निकलना पड़े लेकिन मेरी पार्टी के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा । आप समझते होंगे कि मैं बोलने के लिए जिद्द कर रहा हूं । मुझे भले ही बैठा दिया जाय और मेरी पार्टी में से किसी दूसरे को बोलने दिया जाय, इसमें मुझे ऐतराज नहीं है । लेकिन मेरी पार्टी आपके सीलिंग करने की नीति का विरोध कर रही है, वह कहती है कि सीलिंग नहीं होना चाहिये, वह मेन अॉपोजिशन है इसलिए चाहिये यह था कि कांग्रेस, समाजवादी, पी० एस० पी०, कॉम्युनिस्ट और दूसरी सब पार्टियों को मिलाकर उनके लिये एक समय निश्चित करते और हमारे लिये अलग से समय निर्धारित करते तो उचित बात होती । आपने वह तो नहीं किया और कॉम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट, पी. एस. पी. के चार चार सदस्यों को बोलने का समय दे दिया और

(श्री मानसिंह महार)

स्वतन्त्रपार्टी के चार आदमियों को भी बोलने का समय नहीं दिया, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। मेरी बोलने की इच्छा नहीं है। मैं ५ वर्ष तक ५२ से ५७ तक पहले भी सदस्य रह चुका हूं और खूब बोला हूँ।

श्रीमती सभानेत्री : हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग के साथ ही सदन की कार्यवाही स्मूथली चल सकती है। यदि आप समय बढ़ाना चाहते हैं और सदन सहमत हो तो मुझे समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं है।

श्री मानसिंह महार : मैं पूर्ण कोआॅपरेशन देना चाहता हूं ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये बढ़ा दी जाय। यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो उपमंत्री जी का जवाब नहीं होगा।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

ना, पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार : हां, पक्ष जीता।

(विभाजन घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की यह सम्मति है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री मानसिंह महार : Ayes have it.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : Noes have it.

श्री मानसिंह महार : Ayes have it. We want division.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Noes have it.

श्रीमती सभानेत्री : क्या डिवीजन किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पांच मिनट के लिए चीफ व्हिप ने स्वीकार कर लिया है। वह हो जाय तो डिवीज़न की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं है।

मैं फिर पूछती हूं। क्या सदन की सम्मति है कि दस मिनट का समय दे दिया जाय।

('नही नहीं' की आवाज)

श्री मोतीलाल चौधरी : Not in this way.

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस तरह के व्यवहार के बारे में व्यवस्था होनी चाहिये

एक माननीय सदस्य : ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह परम्परा के बाहर है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभानेत्री जी, ऑपोजीशन के सभी प्रमुख सदस्यों की राय से यह तय हुआ था कि सात बजे तक डिबेट खत्म होकर गवर्नमेंट का रिप्लाई हो जाय। यह सदन में पहला अवसर नहीं है, इस प्रकार की बातें बार बार आ रही हैं इसलिए मजबूरी है यह कि आखिर किस चीज के ऊपर हाउस का सेन्स लिया जाय; जिस चीज को माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया था उसके ऊपर अथवा इसके ऊपर ? मैंने तो आपसे बात की थी. मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट का रिप्लाई होना चाहिए। गवर्नमेंट का रिप्लाई नहीं होता है तो माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है वह अनरिप्लाइड जाता है। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि गवर्नमेंट के रिप्लाई में कम से कम समय लिया जाय, लेकिन माननीय सदस्यों को अपने समय में अपनी डिबेट खत्म कर देनी चाहिए।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभानेत्री जी, मैं निवेदन करूं। अभी चीफ व्हिप कांग्रेस पार्टी द्वारा....

श्रीमती सभानेत्री : Order please!

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : डिवीजन क्लेम कराया गया है, ऐसी स्थिति में there can be no point of order,

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं आपकी आज्ञा लेकर कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है।

श्रीमती सभानेत्री : आपको अनुमति नहीं दी जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन कर रहा था सभानेत्री महोदया, इस तरह से...

श्रीमती सभानेत्री : Order please!

('हां हां' की आवाज)

श्री दलपतसिंह (आबू) : सदस्यों को खड़ा कर दीजिये।

श्री मानसिंह महार : लॉबीज़ में जायेंगे, खड़े क्यों हों ?

एक माननीय सदस्य : आपके पीछे कोई नहीं जायगा।

श्रीमती सभानेत्री : 'ना' पक्ष वाले 'ना' लाबी में जायं और 'हां' पक्ष वाले 'हां' लाबी में जायं।

(७.४५ म० प०)

(मत-विभाजन के पश्चात्)

'हां पक्ष' ३०

'नां पक्ष' ५८

'ना' पक्ष जीता । प्रस्ताव गिर गया ।

[विभाजन के फलस्वरूप 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य] :—

'ना' पक्ष

१. श्री अलदाराम मीणा
२. श्री बालकृष्ण कौल
३. श्री भगराज चौधरी
४. श्री भरतलाल
५. श्री भीखाभाई
६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
७. श्री भीमसेन
८. श्री भीमसिंह
९. श्री चन्दनमल वैद
१०, श्री चतुर्भुज उपाध्याय
११, श्री छोटूराम
१२. श्री छुट्टनलाल
१३. श्री दलपतसिंह
१४. श्री दौलतराम सारण
१५. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
१६. श्री देवीलाल मीणा
१७. श्री धर्माराम आर्य
१८. श्री दिनेशराय डांगी
१९. श्री गणेशलाल
२०. श्री गंगासिंह परिहार (हिंडोली)
२१. श्री गणपतिलाल वर्मा
२२. श्रीमती गौरी पूनिया
२३. श्री घासीराम यादव
२४. श्री गिरधारीलाल व्यास
२५ श्री गोकुलचन्द
२६. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
२७. श्री हनुमानसिंह चौधरी
२८. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२९. श्री हरिदेव जोशी
३०. श्री हरिकिशन
३१. श्री हरीराम घारू (सिवाना)
३२. श्री हरलाल
३३. श्री जयकृष्ण शर्मा

३४. श्री जेठमल बरवड़

३५. श्री जुझारसिंह

३६. श्री ज्वालाप्रसाद

३७. श्री कानाभाई नुवाल

३८. श्री केशरीसिंह जोजावर (खारी)

३९. श्री किशनसिंह वाटड़

४० श्री लालाराम

४१. श्री मजलिस खां

४२. श्री मोहनराज

४३. श्री मोतीलाल चौधरी

४४. श्रीमती नगेन्द्र बाला

४५. श्री नाथूराम (वागीडीरा)

४६. श्री नाथूराम मिर्धा

४७. श्री निरंजननाथ आचार्य

४८. श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

४९. श्री परसराम मदेरणा

५०. श्री फूलचन्द जैन

५१. श्री प्रतापसिंह

५२. श्री रघुनाथ बिश्नोई

५३. श्री रामप्रसाद लड्ढा

५४. श्री रावतराम

५५. श्री शंकरलाल जाट

५६. श्रीमती सुमित्रा

५७. श्री तेजाराम गहलौत

५८. श्री बिरधाराम फुलवारिया

'हां' पक्ष

१. श्री अब्दुलजब्बार

२. श्री अमरसिंह (डूडू)

३. श्री भैरोंसिंह शेखावत

४. श्री चौथमल वर्मा

५. श्री छत्रसिंह

६. श्री चोसरसिंह बाबेल

७. श्री दयाचन्द सौन

८. श्री डूंगाराम राजोरिया

९. वैद्य श्री गोविन्दसहाय

१०. श्री हरदत्तसिंह

११. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

१२. श्री जावन्दसिंह

१३. ठाकुर श्री जीवराजसिंह

१४. श्री जोधसिंह चौहान

१५. श्री जुगलाल

१६. श्री केसरीसिंह (पाली)

Page No 105

१७. श्री कृष्णकुमार गोयल

१८. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल

१६. श्री ललित मोहन

२०. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

२१. श्री लक्ष्मीचन्द

२२. श्री मानिकचन्द सुराणा

२३. रावत श्री मानसिंह महार (ग्रामेर)

२४. श्री मथुरेशबिहारी माथुर

२५. श्री मावा

२६. श्री मूलचन्द चौधरी

२७. श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

२८. श्री रामसिंह

२६. श्री उदयलाल वर्दिया

३०. श्री विजयपाल कटारा]

श्रीमती सभानेत्री : अब उप-मंत्रीजी अपना उत्तर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदया,...

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल(बयाना) : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमेशा समय दिया जाता है लेकिन...

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of order.

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जिस वक्त यह प्रश्न चल रहा था....

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : ग्राप चेयर के डिसीज़न को चैलेन्ज कर रहे है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस वक्त यह प्रश्न चल रहा था कि समय दिया जाये या नहीं उस समय...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा व अन्य माननीय सदस्य : बैठ जाओ। यह कोई पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर नहीं है।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir...

श्रीमती सभानेत्री : No point of order.

मानसिंह महार : सभापति महोदया, ग्रापने मेरे पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर को सुंने बिना ही कह दिया कि no point of order.

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदया, यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। जब यह प्रश्न चल रहा था तो ग्रध्यक्ष महोदय (सभानेत्री महोदया) ने पार्टी की तरफ मुखातिब होकर...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह गलत है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : निर्णय लिया यह गलत परम्परा कायम की जा रही है।

(शोरगुल)

जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इसलिये मैं बहिर्गमन करता हूं।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : No walk out. He must be thrown out.

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : पॉवर की तरफ जा रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : These are all aspersions. He must be withdrawn......

श्रीमती सभानेत्री : Order ! Order please!!

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदया, on a point of order, Sir...

(उप-मन्त्री, राजस्व की तरफ सम्बोधित करते हुए) जब कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज हो तो माननीय सदस्य अपना स्थाग ग्रहण करें। मैं जो सदन में अस्वस्थ परम्परा चल रही है उसको बताना चाहता हूं। मैं यह कहता हूं कि जब आप पोइन्ट ऑफ आर्डर को सुन लें उसके बाद अपना फैसला दें ....

श्रीमती सभानेत्री : मैंने सुन लिया है और अपना फैसला दे दिया हैं कि यह पोइन्ट ऑफ ओर्डर नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज तीन रोज से सीलिंग का कानून लागू किया जाने वाला है उस सम्बन्ध में जो सरकार की ओर से नियम बनाये उसके संबंध में बहस चल रही है....

श्री मानसिंह महार : on a point of order, Sir. सभापति महोदया, जो हमारा आग्रह था कि अब समय केवल दो मिनिट ही है तो वह हमको दिया जावे और जो जवाब सरकार की तरफ से हो वह कल के लिए रिज़र्व रखा जावे। यह मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मानसिंह महार : कल सरकार को उत्तर का समय नहीं दिया जाए।

श्रीमती सभानेत्री : यह कोई पोइन्ट ऑफ ओर्डर नहीं है।

माननीय उप-मंत्री अपना उत्तर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : राजस्थान में सीलिंग के कानून पर १२ मार्च, १९६० को प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट हुई, उसके बाद में कार्यान्वित करने की दृष्टि से नियम बनाये गये। यद्यपि ये नियम सरकार की ओर से बने फिर भी विशेष तौर से सदन के समक्ष लाये गये; वे इसलिये कि माननीय सदस्यों को प्रस्तावित नियमों की जानकारी हो और साथ ही साथ इन नियमों के संबंध में उनके जो सुझाव हों वे सदन के समक्ष आवें और सदन उन विचारों पर विचार कर सके और माननीय सदस्यों के जो सुझाव हों उनका लाभ उठ

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकें। इस नीयत से ये रूल्स सदन के सामने रखे गये। इस बहस के दौरान में तरह तरह के सुझाव आये और ज्यादातर सुझाव आये वे एक्ट को चैलेंज करते हुए थे। आज लेजिस्लेशन ने जब किसी बिल को पास कर दिया तो उसके बाद कोई चैलेंज नहीं होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : point of order Sir, ८ बज गये हैं।

श्रीमती सभानेत्री : ८ बजने में कुछ सेकिण्ड कम हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सुझावों को सुना गया और सुनने के बाद जिस प्रकार उनकी स्थिति होगी, जिसे ठीक समझा जावेगा उन सुझावों पर विचार किया जावेगा और निर्णय लिया जावेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात का जवाब देना अति आवश्यक समझता हूँ कि यहां पर दो दिनों से बहस की गई कि यह कानून किसानों की कमर तोड़ने वाला है, उनको खत्म करने वाला है, यह नितान्त असत्य है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की कार्यवाही कल २॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ८ बजे दिनांक १२ सितम्बर, १९६३ के म. प. ढाई बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर १९६३—)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

मृत्यु का कारण।

भूमि का अवैधानिक विक्रय।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के सामान की चोरी।

नवलगढ़ अस्पताल के डाक्टर।

'अदल' वीकली को सरकारी विज्ञापन।

जालोर-उम्मेदाबाद तथा उम्मेदाबाद गुढा मालानी सड़क।

कुचामन अस्पताल में बिजली।

नगर विकास निगम द्वारा प्लॉट्स की नीलामी।

रोडवेज कर्मचारियों को रात्रि-भत्ता।

पुल बनाने की स्वीकृति।

उदयपुर सर्किल के ठेकेदारों की बकाया।

बीकानेर अस्पताल में कमियां।

विचाराधीन मामले।

लामाणा-लीडी सड़क।

कोटा के अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं।

पशुओं की चोरी।

डिस्पेन्सरीज में दवाइयों पर खर्च।

अनूपगढ़-छत्रगढ़ सड़क।

लेडी डॉक्टर की व्यवस्था।

बिजली के बार-बार बन्द होने की शिकायत।

रामगढ़-गोविन्दगढ़-सीकरी रूट।

मेडीकल वर्कर्स यूनियन, जिला। अलवर का मांग-पत्र।

गंगापुर-जयपुर सड़क पर असुविधाएं।

सब-जेल्स के सर्किल आफिसर्स।

पुराने मोडल की यात्री गाड़ियों से कठिनाइयां।

जालोर के कस्बों में विद्युत् वितरण।

हिन्डौन नगरपालिका।

जिला बोर्ड सर्विसेज।

नावां-लोसल रूट।

बीकानेर में साइन्स कॉलिज के नाम से जमीन का अलॉटमेंट।

डकैतों द्वारा हत्यायें और अपहरण।

स्कम्भ

नावां-पांचौता सड़क योजना ।

अस्पताल के लिए जमीन ।

बांदीकुई-मंडावर सड़क योजना ।

स्थगित प्रश्न ६६

(२८-६-६३ व ४-६-६३ का)

नाहरगढ़ सड़क की मरम्मत

स्थगित प्रश्न ६७

(४-६-६३)

सी.ए.एस. क्लास प्रथम डाक्टरों का कन्फर्मेशन ।

ग्राम मायदपुर (वैर) का पुराना कूआ ।

२. विधायी कार्य—पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप राजस्व मन्त्री ने राजस्थास टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६३ को पुरःस्थापित किया।

३. राजस्थान टीनेन्सी (भूमि का अधिकतम-क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १६६३ के प्रारूप पर विचार

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा दिनांक ६ सितम्बर, १६६३ को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि :—

"राजस्थान टेनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, १६६३ [The Rajasthan Tenancy (Fixation of Celling on Land) (Government) Rules, 1963] के प्रारूप को जो दिनांक १६ मार्च, १६६३ को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाय।"

बहस का आज अन्तिम दिन था जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री केसरी सिंह (८६)

(२) श्री मानिकचन्द सुराणा

(३) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(४) श्री जगनसिंह

(५) श्री भैरोंसिंह

(६) श्री मोतीलाल चौधरी

(७) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(८) श्री भगराज चौधरी

(९) श्री हरिराम धारू

(१०) श्री दलपतसिंह

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप राजस्व मन्त्री ने सरकारी पक्ष की ओर से बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक रात्रि के ठीक ८ बजे गुरुवार, दिनांक १२ सितम्बर, १६६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १२ सितम्बर, १६६३ की कार्य-सूची

१. राजस्थान सैक्टर में श्रमिकों की समस्याएं एवं उनके निवारण सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य।

२. राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १६६३ (प्रवर समिति को) ।

३. अजमेर शमलात कमेटियां (विघटन) विधेयक, १६६२ (विचार-विमर्श एवं पारित) ।

४. राजस्थान कृषि विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६३ (विचार-विमर्श एवं पारित) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ का उत्तर देखिए)

LIST OF THEFT ARTICLES

S. No.	Description	Quantity	Rate	Amount
1	2	3	4	5
1.	Water Pump Bearing No. 30302	2 Nos.	13·96	27·92 NP.
2.	Self Starter Switch	1 Nos.	12·51	12 51 „
3.	Impeller Water Pump	1 „	8·73	8·73 „
4.	Oil Seal heusing Leyland	1 „	12·53	12·53 „
5.	Oil Seal Leyland	1 „	7·23	7·23 „
6.	Front Wheel Oil Seal TMB	2 „	5·21	10 42 „
7.	Oil Seal Dodge	4 „	4·76	19·04 „
8.	G. T. Pipe ½"	9 „	2·00 per meter	1·50 „
9.	G. I. Ellcw 3/4"	1 „	0·77	0·77 „
10.	Oil Seal TMB	1 „	6·59	6·59 „
11.	Nczzle Holder	1 „	29 30	29·30 „
12.	Hose Pipe 1" inner diameter	1 „	0 47	0·47 „
13.	Brake lining kivits	1 Packet	1·92	1·92 „
14.	Brake lining Another pin	1 No.	0·78	0·78 „
15.	Water Pump Sahft	1 No.	7·48	7 48 „
16.	Prechamber Washer	3 Nos.	1·01	3 03 „
17.	Hose pin clip	3 „	0 15	0·15 „
13.	Cutter pin	2 „	0 04	0·08 „
19.	Nut bolt asseted size	16 „	0 19	3·04 „
20.	Bowl Glass clip	1 „	0 40	0·40 „
21.	Head light spring	1 „	0·50	0·50 „
22.	Sheet Metal screw 1"-8	89 „	0·10	8 90 „
23.	Door Hongs	7 „	0·42	2·94 „
24.	Rexine	4½ Yds.	6·50 per Yard	27·85 „

1	2	3	4	5
25.	Hydrometer grarity indicater	1 No.	6·15	6·15 „
26.	Brake line set TMB from	1 Set	26·10	26·19 „
27.	Bowl Glass	1 No.	0·97	0·87 „
28.	Machine Screw	257 „	0·02	5·14 „
29	Direct filter stud	1 „	0·50	0·50 „
30.	Over flow screw with washer	1 „	0·75	0·75 „
			Total	233·81 NP

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ का उत्तर देखिये)

TRIPPING RECORD

S. No.	Date	Time of occurence	Time of restoring	Duration of interruption	O. C. S. or Feeder Tripped	Fault	Remarks.
1.	13-1-63	1. 27 P.M.	Immediately	Nil	132 KV O.C. B.	Overcurrent in phase R & B.	
2.	18-I-63	7. 59 P.M.	do	Nil	132 KV O.C. B.	Earth Fault.	Yellow flages were also noted on 132 KV.
3.	28-1-63	5. 58 P.M.	do	Nil	11 KV out going feeder No. 2 Nylon Factory.	do	
4.	27-1-63	12.02 P.M.	do	Nil	132 KV O. C. B. & 11 KV Outgoing feeder No. 2 Nylon.	Over current phase & R & B & o/ophase respectively.	Cut in immediately after re-setting the relay.
5.	27-1-63	6.15 P.M.	do	Nil	11 KV outgoing feeder No. 2 Nylon.	Earth fault.	
6.	1-2-63	4.04 P.M.	do	Nil	132 KV O.C. B. & 11 KV outgoing feeder No. 4 R. V. C. I.	Over current R & B phase in both.	O. C. B. of feeder No. 4 off asd rest put on after resetting the relays feeder No. 4 switched on at 3.37 P. M. to 2. 2. 63.
7.	2-2-93	6.34 P.M.	do	Nil	11 KV outgoing feeder No. 2 Nylon.	Over current R phase	Cut immediately after re-setting the relays.
8.	2-2-63	6.38 P.M.	do	Nil	do	do	do
9.	12-2-63	3 48 P.M.	do	Nil	do	Earth fault.	do
10.	6-3-63	6.26 A.M	do	Nil	132 KV O. C. B.	Earth fault.	do
11.	28-3-63	12,37 P.M.	do	Nil	11 KV Outgoing No. 2 Nylon.	Earth fault.	do
12.	30-5-63	3.30 P.M.	do	Nil	132 KV O. C. B.	Earth fault.	-do-at Gandhisagar 132 Kv O. C. B. tripped.
13.	6-4-63	7 15. P.M.	do	Nil	11 KV outgoing feeder No.2 (Nylon)	Over current R phase	Cut in immediately after re. setting the relays holding weel.
15.	14-4-63	9 26 A.M.	1-33 P.M.	4.02 hrs	132 KV O. C. B. cut off	Earth fault.	Shut down taken of 132 Kv supply to make connections of 132 KV Bus bar and to parrallel the transformers.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ का उत्तर देखिए)

LIST OF STAGE CARRIAGES WHICH ARE OLD MODEL

Sl. No.	No. of Bus	Model	Name of route	Remarks
1.	RJY 85	1943	Udaipur-Phaiasia.	
2.	RJY 940	1954	Udaipur-Dungarpur.	
3.	RJY 1313	1951	Udaipur-Bhathera-Kurabar.	
4.	RJY 20	1952	-do-	
5.	RJY 108	1947	Rikhabdeo-Salumbar.	
6.	RJY 457	1947	-do-	
7.	RJY 895	1948-49	Rani Rishabdeo.	
8.	RJY 493	1947	Udaipur-Kailashpura-Nathdwara.	
9.	RJY 494	1947	-do-	
10.	RJY 394	1947	-do-	

1	2	3.	4	5
11.	RJY 1001	1948	Udaipur-Gogunda.	
12.	RJY 522	1947	GUdaipur-Saumber-Sagara-Galia-kot.	
13.	RJY 888	1954	Nathdwara-Charbhuja-Desuri.	
14.	RJY 447	1945	-do-	
15.	RJY 448	1947	-do-	
16.	RJY 446	1946	-do-	
17.	RJY 441	1944	-do-	
18.	RJY 444	1955	-do-	
19.	RJY 454	1944	-do-	
20.	RJY 179	1944	-do-	
21.	RJY 565	1947	-do-	
22.	RJY 298	1940-41	Nathdwara-Mavti-Junction.	
23.	RJY 292	1947	-do-	
24.	RJY 186	1944	Nathdwera-Nathdwara Stn.	

1	2	3	4	5
25.	RJY 187	1948	-do-	
26.	RJY 188	1947	-do-	
27.	RJY 451	1947	-do-	
28.	RJY 299	1946	-do-	
29.	RJY 296	1942	Nathdwara-Badhwara.	
30.	RJY 452	1943-44	-do-	
31.	RJY 161	1948	-do-	
32.	RJY 293		-do-	
33.	RJY 151	1942	-do-	
34.	RJY 553	1945	Kankroli-Resuri.	
35.	RJY 345	1946	Charbhuja-Amet-Kalwa.	
36.	RJY 567	1947	Nathdwara-Kalwara-Charbhuja.	
37.	RJY 1044	1952	Nathdwara-Kelwa-Charbhuja.	
33.	RJY 184	1954	Kankroli-Gangapur.	

1	2	3	4	5
39.	RJY 848	1953	Kankroli-Gangapur.	
40.	RJX 183	1945	Kankroli Kapasan Rly. Station.	
41.	RJY 139	1948	Kankoroli-Kelwara.	
42.	RJY 1177	1949	Badnore Bheem	
43.	RJY 117	1945	Udaipur-Nathdwara via Haldi-ghati.	
44.	RJA 431	1953	Udaipur-Fatehnagar.	
45.	RJT 815	1948	Jura Kotra Bhomat Swaroopganj Rly. Stn.	
46.	RJY 1635	1952	Udaipur-Nimbahera.	
47.	RJL 2788	1953	Udaipur-Kelwara.	
48.	RJY 698	1958	Kelwara Udaipur-Akola via Bal-labhnagar.	
49.	RJY 696	1948	Gogunda Kotra-Swaroopgunj.	
50.	RJY 827	1947	Udaipur-Bamdora-Salumber.	
51.	RJB 35	1947	do	
52.	RJY 113	1945	do	

1	2	3	4	5
53.	RJY 121	1949-50	do	
54.	RJY 355	1942	Udaipur-Gogunda-Sajjanrcad.	
55.	RJY 422	1944	Nathdwara-Fatehnagar.	
56.	RJE 247	1946	Amet-Deogarh.	
57.	RJY 456	1945	Salumber-Kherwara via Rikhab-deo.	
58.	RJY 684	1946	Rishabdeo-Jhanjri.	
59,	RJY 257	1941	Nathdwara-Gaogura.	
60.	RJy 300	1942	do	

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ११ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	३	म. पू. २·३५	म. प. २.३५
५	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
७	स्कम्भ	]	७]
,,	अन्तिम से ५	का का माल	का माल
१२	१	श्री माथुरदास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
,,	९, १०	(श्री हरिशचन्द्र)	श्री हरिश्चन्द्र
२०	५	वांदीकुई	बांदीकुई
२५	१०	तौ	तो
३८	१४	औद्यौकिक	औद्योगिक
,,	अन्तिम से २	,,	,,
४५	अन्तिम से ३	(लूणकरसर)	(लूणकरणसर)
६१	५	(१)	(२)
६६	३, ४	गवर्नमेंन्ट	गवर्नमेन्ट
६७	१३	रहीं	रही
६९	१४	(३.४ म० प०)	(३.४५ म० प०)
७०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	मंत्रियों सम्बन्धी
,,	१७	पुरःस्थापना	पुरःस्थापन
,,	१२	पोईन्ट	पोइन्ट
८५	शीर्षक	टीनेन्सी –११ सितम्बर– नियम १९६३	मंत्रियों सम्बन्धी –११ सितम्बर, ६३– टीनेन्सी

१	२	३	४
६७	शीर्ष	(श्री श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
१०७	,,	(श्री गिरंजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
१०६	,,	(श्री मानकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
११०	१२	समानेत्रीजी	सभानेत्रीजी
१२०	१०	श्री जागनसिंहजी	श्री जगनसिंहजी
१२६	६	विक्टीभाइजेशन	विक्टीमाइजेशन
१३०	२५	डकिनिशन	डेफिनिशन
१३७	३	श्री भंरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१३८	२१	कॅम्पैन्सेशन	कम्पैन्सेशन
१५८	२१	!n	in
१७३	अन्तिम	लैंडलैस	लैंडलैस
१८३	शीर्ष	(श्री हरिराम धारू)	(श्री हरिराम धारू)
१७३	२०	श्रींमती	श्रीमती
२०२	१२	श्री भैंरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२०३	२२	श्री मुकबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२०६	अन्तिम से ३	धारू	घारू
२०६	अन्तिम से ५	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२१०	१, ६, २२	,, ,,	,, ,,
२११	१, १०	,, ,,	,, ,,
२१५	१	सितम्बर	सितम्बर,
२१७	शीर्षक	टीनेन्सी –११ सितम्बर, ६३– नियम, १९६३	संक्षिप्त-विवरण –११ सितम्बर, ६३– संक्षिप्त-विवरण
,,	५	(२८-९-६३ व ४-९-६३ का)	(२८-९-६३)

१	२	३	४
२१७	अन्तिम से ३	(सरवारी)	(सरकारी)
२१८	१५	धारू	घारू
२२१	५वें कॉलम में ५	1042	10.42
,,	४ ,, ११	2930	29.30
,,	४ ,, १२	047	0.47
,,	५ ,, १५	748	7.48
,,	५ ,, १६	303	3.03
,,	४ ,, १७	015	0.15
,,	,, ,, १८	004	0.04
,,	,, ,, १९	019	0.19
,,	,, ,, २०	040	0.40
,,	५ ,, २२	890	8.90
